हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 दिसम्बर, 2005

खण्ड-3, अंक-2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 15 दिसम्बर, 2005

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)23
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)31
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-- हरियाणा विशेषकर जिला भिवानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अस्पतालों की दयनीय हालात सम्बन्धी	(2)42
वक्तव्य-- स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(2) 42
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(2)47
सरकारी संकल्प-- चण्डीगढ़ में हरियाणा राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय बनाने के संबंध में	(2)52
बैठक का समय बढ़ाना	(2)81
सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)	(2)85

मूल्य :

RWS/Lib/8

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 15 दिसम्बर, 2005

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार एच०एस० चड्ढा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहेबान, अब सवाल होंगे।

Electricity Wires passing through Houses

*126. **Ch. Dharampal Singh Malik:** Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to shift High Tension wires passing through the houses in the residential areas of the following villages of the Gohana constituency :--

1. Village Rukhi to Moi Hooda line;
2. Devipur (Gohana);
3. Village Bhainswan Khurd;
4. Village Doduwa; and
5. Village Kanhi 71/2; and

(b) If so, the time by which the High Tension wires of the aforesaid villages are likely to be shifted ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) In village Rukhi, the work shall be completed by 31.12.05. In other villages, the work shall commence as soon as the cost is deposited by the villagers.

चौधरी धर्म पाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हाई टैंशन वायर्स की यह एक आम समस्या है। हाई टैंशन वायर्स जो इन्होंने अपने जवाब में मैंशन किए हैं वैसे तो यह सारे हरियाणा में हैं लेकिन विशेष रूप से गांवों में हैं और इनकी वजह से बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, कई बार बच्चे खेलते हुए हाथ लगा देते हैं और कई बार इनमें करन्ट आ जाता है, मवेशी भी इनसे कई दफा दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इनसे बहुत ज्यादा जान-माल का नुकसान होता है। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि एक गांव से ये हटवा दिए जाएंगे और बाकी गांवों के विलेजर्स जब पैसे जमा करवा देंगे तो उनकी भी इस लाइन को चेंज कर दिया जाएगा। इस बारे में मेरा कहना यह है कि क्या सरकार इस किस्म की नीति पर विचार कर रही है जो जनरल इंडीविजुअल किसी के घर के ऊपर से एच.टी. वायर जाती है तो वह खुद पैसा जमा करवाएं तब वायर शिफ्ट करवाए जाएंगे। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक गांव के बीच से या जनरल जगह से कोई लाइन जाती है जिससे सारा गांव इफैक्टिड है उसके लिए क्या सरकार अपनी खुद की कॉस्ट पर उसको शिफ्ट करने का क्या कोई विचार कर रही है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, जो हाई टैंशन लाइंस हैं या जो एल.टी. लाइंस हैं यदि वे लाल डोरे के अंदर हैं उनको तो हमारा बोर्ड शिफ्ट कर देता है लेकिन जो लाइंस लाल डोरे से बाहर हैं और कई ऐसी लाइन हैं जो 30 साल पहले लगा दी गई थीं और मकान वहां पर लाइन डालने के बाद बनाए हैं कहीं भी ऐसा नहीं किया कि मकान बन जाने के बाद लाइन खींची हो। जहां तक इन्होंने देवीपुर गोहाना गांव के बारे में जिक्र किया है कि इसमें 30 साल पहले लाइन डल गई थी उसके बाद मकान वहां पर बने हैं। रूखी गांव के लिए बाकायदा पैसे डिपोजिट कर दिये गये हैं वहां 31 दिसंबर तक लाइन शिफ्ट कर देंगे। भैंसवाल खुर्द, दुदवा, कनहीं गांव के विलेजर्स जैसे ही पैसा डिपोजिट कर देंगे वहां से लाइनें शिफ्ट कर दी जाएंगी। विलेज दुदवा के कुछ पोर्शन में लाइनें लाल डोरे के अंदर हैं, कुछ लाल डोरे के बाहर हैं वहां जैसे ही पैसा डिपोजिट करवा दिया जाएगा, लाइनें शिफ्ट कर दी जाएंगी।

चौधरी धर्म पाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरा कुछ कहना तो मंत्री महोदय ने माना है। जहां तक मंत्री जी ने कहा है कि 30 साल पहले लाइन डाली गई थी। स्पीकर साहब, 30 साल में बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई है जिससे टोटल एरिया उसके कवर में आ जाता है, यह बड़ी भारी समस्या है। जो चोरी होती है, जो लाइन लौसिज हैं, कुंडी कनैक्शन हैं, क्या गवर्नमैंट इस पर विचार करेगी कि ट्रायल बेसिज पर किसी एक एरिया को सलैक्ट करके केबल सिस्टम से अंडरग्राउंड फिटिंग की जाए ताकि करंट और दुर्घटना से बचा जा सके और इस किस्म के लौसिज से महकमे को फायदा हो और लोग परेशानी से बच सकें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इनकी ये बात तो जायज है। जो तार नजदीक से निकलते हैं उनसे दुर्घटना का अंदेशा रहता है। जहां तक अंडरग्राउंड लाइनों की बात है उसमें काफी कॉस्ट लगती है। बड़ी-बड़ी मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं, जैसे बॉम्बे हैं उनमें तो यह हो सकता है, सब जगह ऐसा करवा पाएंगे इसको हम ऐग्जामिन करवा लेंगे, वैसे यह मुश्किल है। यह एक ऐसी टैक्नोलौजी है, जिसको काफी ऐग्जामिन करने की जरूरत है। कई बड़े-बड़े मैट्रोपोलिटन टाऊन में तो इस प्रकार की बात हो सकती है लेकिन रूरल एरिया में ऐसा होना बड़ा मुश्किल है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि लाल डोरे के तार तो वे हटवा देंगे। लेकिन आज गांवों में काफी प्लाट लाल डोरे से बाहर भी हैं क्योंकि लाल डोरे की

सीमा 50 सालों से बढ़ाई नहीं गई है जबकि गांवों की पैरीफेरी एक किलोमीटर या दो किलोमीटर तक बढ़ गई है। यह बात दुरुस्त है कि जो तार कई साल पहले खींची गई थी बाद में वहां पर मकान बन गये और प्लाट तारों के नीचे हैं उन तारों को वहां से हटा देना चाहिए लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास छोटा सा प्लाट है और वह गरीब आदमी दूसरा प्लाट खरीद नहीं सकता उसके लिए सरकार ने जो भारत सरकार से यह 700 करोड़ रुपया मिला है उसमें से कोई व्यवस्था करनी चाहिए। गांवों में माल प्रैक्टिस भी काफी हो रही है और गरीब आदमी जब एस.डी.ओ. या जे.ई. के पास जाता है तो वे या तो रिश्वत की मांग करते हैं या फिर एस्टिमेट बनाने की बात करते हैं। आप इसके लिए किसी योजना के तहत यह कार्य करें। इस काम के लिए कोई तारीख निर्धारित करके ये जो पहले तार खींचे गये हैं उनको गलियों में से निकाल दें तो मेरे ख्याल से काफी हद तक यह समस्या हल हो जायेगी। गांवों में आज किसी आदमी की इतनी हैसियत नहीं कि वह अपने घर से बाहर जो बिजली का खम्बा है उसको हटवा सके।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, लाल डोरे में तो इस समस्या का हल हो जायेगा। जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि भारत सरकार से राजीव गांधी रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के तहत जो पैसा मिला है उस पैसे में से यह कार्य करवाया जाये। उसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि यह पैसा ऐसे एरियाज के लिए मिला है जिनमें अभी तक बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे कई समूहों की 30-30 या 35-35 घरों की ढाणियां हैं उनके लिए तो इस पैसे में से हम व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जैसा कि लाईनों को शिफ्ट करने की बात है, उस पैसे में से यह काम नहीं किया जा सकता।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल आपने हमारे कैप्टन साहब को जनरल भी बना दिया। जनरल तो सब के बारे में ठीक सोचता है। जैसा कि माननीय साथी श्री धर्म पाल सिंह मलिक जी ने जो प्रश्न किया है यह केवल इनका ही केस नहीं है बल्कि सारी स्टेट की समस्या है। I think it is social problem. जैसा कि माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि पिछले 20-30 सालों से गांवों के लाल डोरे की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है जबकि गांवों की आबादी काफी बढ़ गई है। गरीब आदमी इस खर्चे को वहन नहीं कर सकता। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पोलिसी के तहत सरकार इस योजना पर पुनर्विचार करे। जिस प्रकार 1600 करोड़ रुपये बिजली के बिलों का माफ किया है उसी प्रकार की एक कल्याणकारी योजना सरकार बनाये कि आधा खर्चा सरकार वहन करे और आधा खर्चा लोगों से लिया जाए। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे और इस बारे में कोई रिलैक्सेशन देंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, रेगूलेटरी कमीशन इस बात का फैसला करता है कि बिजली के बारे में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर वहां पर इस बात पर विचार किया जाता है तो हम उसको एग्जामिन कर लेंगे और जो भी संभव होगा वह फैसला ले लिया जायेगा।

श्री दिलू राम : स्पीकर सर, बिजली के तारों की एक भयंकर समस्या है क्योंकि बिजली के ढीले तारों से पता नहीं कब दुर्घटना हो जाये। अल्यूमिनीयम की तारों के साथ अगर स्टील की तार न होती तो ये कब की नीचे गिर जाती। मेरे हल्के के दो गांवों पहाड़पुर और ककराला में ऐसी दुर्घटना हो चुकी है। अगर एक आदमी को तार पकड़ती है और दूसरा उसको छुड़ाने जाता है तो उन दोनों को बिजली की तार पकड़ लेती है। ऐसी दुर्घटना एस.सी. लोगों के साथ ज्यादा होती है क्योंकि गांवों के लाल डोरे में उनको कोई जगह देता

[श्री दिलू राम]
नहीं इसलिए उनको जहां भी जगह मिलती है वहां वे अपनी झोंपड़ी बना लेते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम एस.सी. लोगों को तो ऐसी छूट मिलनी चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने सवाल किया है कि कई तारें एल्यूमीनियम की हैं, टूट गई हैं या टूटने वाली हैं, तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि एग्जामिन करके इनको ठीक करवा देंगे और वायर चेंज कर देंगे। अगर माननीय साथी कोई स्पैसीफिक जगह के बारे में बताना चाहते हैं तो बता दें उसको हम ठीक करवा देंगे, लेकिन हम रैगुलेटरी कमीशन से बाहर नहीं जा सकते।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि जहां आज भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार किसानों की भलाई के काम कर रही है, बिजली के बिल माफ करने का काम कर रही है, मैं चाहूँगा कि वे ऐसी स्कीम बनाएं कि गांव में या शहर में जहां भी बिजली की तारें लोगों के घर की छत्तों के साथ जा रही हैं उनको हटाया जाए क्योंकि ये मोटी-मोटी तारें होती हैं, जिससे नुकसान होने का खतरा हर समय बना रहता है और लोग जब डिपार्टमैंट से इन तारों को हटाने के लिए दरखास्त करते हैं तो बिजली डिपार्टमैंट वाले इन्हें लम्बे चौड़े बिल बना कर दे देते हैं जिन्हें पे करना उनके बस में नहीं होता। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार कोई स्कीम बनाकर इन तारों को हटाने का प्रबन्ध करवाए, यह लोगों की भलाई का काम है। जहां पहले ही सरकार भलाई के काम कर रही है वहां सरकार यह काम भी करवाए इससे लोग सरकार की तारीफ करेंगे और इससे गरीब लोगों को राहत मिलेगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने बताया है कि इनके गांवों में तारें घर के नजदीक से जा रही हैं, तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि लाल डोरे के एरिया के अन्दर जिनके मकान हैं और उनके मकानों के ऊपर से ये तारें जा रही हैं तो उन तारों को तो हम चेंज कर देंगे। अगर ये कोई स्पैसीफिक बात कहेंगे तो वह हम चेंज कर देंगे। जब हरियाणा में इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ था उस समय कोई भी बिजली की तार किसी के मकान के ऊपर से नहीं ले जाई गई थी लेकिन लोगों ने बाद में मकान बना लिए हैं, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हम रैगुलेटरी कमीशन से बाहर नहीं जा सकते। तारों के नीचे अगर कोई मकान बना रहे हैं तो वह गलत है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि जो तारें हटाने का काम है वह कंस्ट्रक्शन डिवीजन का है और जो आम जनता बिजली के महकमे से जुड़ी है, वह प्रसारण डिवीजन से जुड़ी है, कई बार जनता को पता नहीं चल पाता कि कहां जाना है और किससे मिलना है और किस से नहीं मिलना है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि इन दोनों डिपार्टमैंट का कोर्डीनेशन बना दें ताकि जनता को तकलीफ न हो। हमारे यहां फतेहाबाद में वहां के माननीय विधायक जी बैठे हैं। भट्टू रोड पर हाई टैंशन वायर के खम्भे गाड़े हुए दो साल हो गए हैं लेकिन अभी तक वहां तारें नहीं डली हैं। किस कारण से वहां तारें नहीं डली हैं पता नहीं ? उसको जरूर दिखवाएं, शायद लैक आफ कम्युनिकेशन है जनता सही ढंग से विभाग को एप्रोच नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि इन खम्भों को जल्दी से जल्दी हटाने का प्रबन्ध करवाया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले तो इनकी सरकार थी।

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, Govt. is a continuous process, कुछ काम कंटीन्यूस होते हैं जिन्हें पूरा करना सरकार का काम है (विघ्न)।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो भट्ट रोड की बात की है उसको हम दिखवा लेंगे, वैसे ये पोल इनके समय में लगे हैं। जहां तक कोर्डीनेशन की बात है तो बोर्ड में पूरा कोर्डीनेशन है। इनको मालूम होना चाहिए कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के ओफिसिज बने हुए हैं, लोग वहां जाएं, बाकायदा ओफिसिज के बाहर बिल्डिंग पर दफ्तर का नाम लिखा हुआ है। इसलिए कोर्डीनेशन की कोई बात नहीं है, यह बोर्ड का इंटर्नल मामला है।

Providing of Licence to Private Vehicle Owners

***131. Sh. Naresh Yadav :** Will the Minister for Transport be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to issue the licence to the private vehicle owners for transportation of the passengers; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to make an amendment in rules for challaning the vehicles to avoid harassment to the vehicle owners ?

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सैशन में 28 प्रश्न दिए हैं और जब जिला महेन्द्रगढ़ या दक्षिणी हरियाणा की बात आती है तो मैंने अब की बार देखा है कि लगभग सब का जवाब 'नो सर' में दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला महेन्द्रगढ़ में रोजगार के कोई साधन नहीं हैं। हमारे यहां के बी.ए., एम.ए. पास लड़के कोई टैम्पू चलाता है, कोई जीप चलाता है और कोई दूसरी गाड़ी चलाता है। वहां न कोई इंडस्ट्री है और न ही कोई कारखाना है, रोजगार का कोई और साधन वहां नहीं है। जिन्होंने गाड़ियों के परमिट ले रखे हैं उन्हें भी महीने में 5-5 या 10-10 हजार रुपये चालान के भुगतने पड़ते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हमारे यहां के नौजवानों के बारे में सरकार कुछ कर रही है या नहीं। स्पीकर साहब, जिनके पास परमिट हैं और चाहे परमिट न भी हों उनको चालान तो भुगतना ही पड़ता है। एक विभाग में चालानों की थोड़ी कमी आई है और पुलिस विभाग में इस बार कुछ मन्थली कम हुई है नहीं तो पुलिस को भी हर कोने में उनको मन्थली देनी पड़ती है। गाड़ियों वाले और बसों को पुलिस वालों को मंथली देनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर 100 रुपये से लेकर 400 रुपये तक का चालान है जबकि राजस्थान के अन्दर परमिट ले लें तो उसके बाद कोई चालान नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे ऐसा कोई प्रावधान करेंगे क्योंकि गाड़ी वालों को रोज तकलीफ होती है और हमारे पास सारा दिन फोन आते रहते हैं कि हमारी गाड़ी पकड़ ली, कभी टैक्स वालों ने पकड़ ली, कभी डी.टी.ओ.

[श्री नरेश यादव]
ने पकड़ ली, आज पुलिस चौकी में रोका हुआ है। यह जो चालान की प्रक्रिया है इसको आसान किया जाए। वे बेरोजगार युवक जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए लोन पर गाड़ियां लेते हैं वे कर्ज के नीचे दबते चले जाते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप इतना लम्बा सवाल न करें, क्वैश्चन ब्रीफ होना चाहिए ताकि मंत्री जी उसका सही जवाब दे सकें। यादव साहब, आप भाषण न दें और स्टेटवे सवाल पूछें।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि यह जो गाड़ियों के चालान हो रहे हैं क्या इनको कम किया जाएगा, क्या इनकी लिमिटेशन की जाएगी कि 100-200 या 400 रुपये का चालान भुगत कर अपनी गाड़ी को छुड़वा सकें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य की भावना तो ठीक रहती है लेकिन शायद वे अपना सवाल बनाने में चूक गए हैं। इन्होंने जो सवाल पूछा है मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इनका सवाल यह है कि जो प्राईवेट गाड़ियों के मालिक हैं या प्राईवेट कारों के मालिक हैं क्या सरकार उनको टैक्सीज के रुप में चलाने का लाईसैंस देगी ? स्पीकर सर, आपको यह पता है कि हमारे यहां पर मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी सैक्शन 66 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि प्राईवेट गाड़ी का मालिक अपने निजि वाहन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है लेकिन कोई सरकार किसी भी कानून के तहत उसको टैक्सी का लाईसैंस नहीं दे सकती है उसके लिए अलग से प्रावधान है। माननीय सदस्य का सवाल यह है कि-

"Whether there is any proposal under consideration of the Government to issue the licence to the private vehicle owners for transportation of the passengers;"

That is why the answer is 'no', because it cannot be done. उसका जवाब मैं माननीय सदस्य तथा सदन को बताना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, इनकी भावना सही है और इनकी जिज्ञासा भी सही है। कान्ट्रैक्ट कैरिज की जो गाड़ियां चलती हैं जिनको हम टैक्सीज या मैक्सीकैब कहते हैं उनके बारे में शायद इनका सवाल था कि क्या सरकार उनके बारे में कोई राहत दे सकती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह निर्देश दिए हैं और इस मामले पर डिपार्टमैंट गम्भीरता से विचार कर रहा है। हम कोई ऐसी स्कीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मैक्सीकैब हमारे नौजवान चलाते हैं उनको कुछ राहत सरकार की तरफ से दी जाए। इस स्कीम की शक्ल क्या होगी वह इस समय यहां पर बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा। विधान सभा के अगले सत्र तक कुछ न कुछ राहत उन साथियों को जरूर दी जाएगी चाहे वह चालान काटने की हो या टैक्सेशन की हो इनमें कुछ न कुछ राहत दी जाए ऐसा हम विचार कर रहे हैं। जहां तक नये परमिट देने का सवाल है वह भी इस समय सरकार के विचाराधीन है। स्कीम कुछ ऐसी है कि परमिट दे कर नौजवान साथियों को कुछ प्रोत्साहित किया जाए। इस बारे में पिछली सरकार की जो स्कीम थी वह तोड़ मरोड़ कर चल रही थी जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने पाबन्दी लगा दी थी और वह स्कीम हमने वापिस ले ली है। नई स्कीम की जो भी रूपरेखा तैयार होगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, हमारे हल्के से संगरिया से चण्डीगढ़ तक बस चला करती थी।

उस बस को बन्द कर दिया गया है। मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूँ कि उस बस को बन्द करने की क्या वजह रही। इस बात को लेकर लोगों में बड़ा भारी रोष है, इस बस से लोग चण्डीगढ़ आया करते थे। सुबह दस साढ़े दस बजे तक वे चण्डीगढ़ पहुँचते थे और शाम को तीन बजे के लगभग चलकर डबवाली पहुँच जाया करते थे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, वैसे इनका स्पलीमैंटरी मेन सवाल से सम्बन्धित नहीं है। माननीय साथी इस बारे में लिखकर दे दें। मैं इस बारे में जांच करवा लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूँगा और इस बारे में सबको पता भी है कि वे वाहन किसी एक व्यक्ति के परिवार से सम्बन्धित थे। वह रजिस्टर्ड तो राजस्थान में हुए थे लेकिन यहां पर से बिना टैक्स दिए ही बसें निकाल कर ले जाते थे। वे बसें किसी एक व्यक्ति के ससुराल वालों की थीं और हमने उन पर हरियाणा में चलने पर रोक लगाई है और भविष्य में भी नहीं चलने देंगे।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, सवाल सीधा सा था कि संगरिया से चण्डीगढ़ के लिए जो बस चलती थी उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन इन्होंने उसका जवाब न देकर गोलमोल जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : सीता राम जी, आपका प्रश्न तारांकित प्रश्न से सम्बन्धित नहीं था। मंत्री के लिए हर प्रश्न का जवाब वरबली देना मुश्किल होगा। आप रैलेवेंट प्रश्न पूछा करें। (विघ्न)

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, नरेश यादव जी ने अपना एक प्रश्न पूछा है। वे पिछली विधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा डॉक्टर सीता राम जी जो कह रहे हैं उनके यहां पर बस बंद कर दी है। मैं पिछली सरकार के बारे में एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जब आपकी सरकार की रैलियां होती थी तो चौटाला साहब दो तीन दिन पहले ही सभी बसों को अपनी रैली के लिए बुला लेते थे। विघ्न)

Mr Speaker : Madam, do not tell, आप पूछिए। This is not the Way. Put the Supplementary. (Interruptions) No, I would not allow this. (Interruptions) This is not a supplementary. I will not allow this vague supplementary. Next question please.

Industrial Backward Area

*140 **Dr. Sita Ram :** Will the Minister for Insustries be pleased to state :--

(a) the name of the areas which have been declared, as industrially backward in the State;

(b) the detail of exemption provided by the government for setting up of new industrial unit in the industrial backward area; and

(c) the number of new industrial units set up in the industrial backward areas after the declaration of these areas as industrially backward ?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir, the list showing names of areas District wise/Block wise which have been declared as Industrially Backward in the State is placed at Annexure 'A'.

(b) The details of Incentives/Exemption provided but the Govt. for setting up new industrial units in the industrially backward areas are placed at Annexure 'B'.

(c) 104 Industrial units have been set up in the industrially backward areas after the declaration of these areas as Industrially Backward.

Annexure-A

The list showing the names of the area Districtwise/Blockwise which have been declared as Industrially Backward in the State.

Sr. No.	Name of the District	Name of the Block declared Industrially Backward
1.	Ambala	Barara, Naraingarh, Shahzadpur.
2.	Bhiwani	Badhra, Bawani Khera, Dadri-II, Loharu, Dadri-I, Tosham, Siwani, Kairu.
3.	Faridabad	Hodal, Palwal, Hasanpur.
4.	Fatehabad	Bhattukalan, Bhuna, Fatehabad, Ratia, Tohana
5.	Gurgaon	Pataudi, F. Nagar.
6.	Hisar	Adampur, Agroha, Narnaund, Uklana, Barwala
7.	Jhajjar	Beri, Jhajjar, Matanheil, Sahlawas.
8.	Jind	Alewa, Jind, Julana, Narwana, Pillukhera, Safidon, Uchana.
9.	Kaithal	Kaithal, Guhla, Kalayat, Pundri, Rajound
10.	Karnal	Assandh, Indri, Nissing
11.	Kurukshetra	Ladwa, Babain
12.	Mewat	Hathin, Taoru, Nuh, Nagina, Punhana, F.P. Jhirka
13.	Mahendergarh	Narnaul, Nangal Chaudhary, Ateli, M. Garh. Kanina.
14.	Panchkula	Pinjore, Morni, Barwala, Raipur-Rani.

Sr. No.	Name of the District	Name of the Block declared Industrially Backward
15.	Panipat	Israna, Matlauda, Bapouli.
16.	Rewari	Khol, Jatusana, Nahar
17.	Rohtak	Rohtak, Kalanur, Lakhan Majra, Meham, Sampla
18.	Sirsa	Baragudha, Dabwali, Ellenabad, Nathusari Chopta Odhan, Rania, Sirsa.
19.	Sonipat	Kharkhoda, Gohana, Mundlana, Kathura
20.	Yamuna Nagar	Sadhaura, Chhachhrauli Bilaspur, Mustafabad.

Annexure-B

The Details of Incentives/Exemption provided by the Government for setting up of New Industrial Units in the industrially backward areas.

Incentives to Mega Projects in Backward Areas:

(i) Mega project with investment of Rs. 100 crore and above or any project employing more 500 persons irrespective of investment to be set up in the backward area would be extended the facility of financial assistance to be quantified at 50 percent of the tax paid on the sale of goods produced by such industrial units, under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 for a period of 7 years from the date of start of commercial production, as Interest Free loan (IFL) repayable after a period of 5 years from the date of grant of IFL.

(ii) Exemption from LADT for a period of 5 years.

Incentives for SSI in Backward Areas :

(i) New SSI units in the backward area would be extended the facility of financial assistance in the shape of Interest Free loan to be quantified at, 50 percent of the tax paid on the sale of goods produced in such industrial units, under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 for a period of 5 years from the date of start of commercial production to be repayable after a period of 5 years.

(ii) Exemption from LADT for a period of 5 years.

Incentives for Exporting Untis :

In order to boost the exports and enhance competitiveness of exporting

[Sh. Randeep Singh Surjewala]

units, subsidy upto 1 % of the FOB value of exports subject to maximum of Rs. 10.00 lac per annum shall be given.

Incentives for Food Processing Industries :

(i) Food Processing Industries except wheat & rice will be considered as seasonal industry and exempted from payment of minimum demand charges for electricity during closer period of more than 3 months.

(ii) No market fee shall be levied on agriculture and horticulture produce used as raw material by Food Processing Industries within the State except rice, wheat, mustard oil and cotton.

(iii) Interest Free Loan at the rate 75 percent of the tax paid on the sale of goods produced by such industrial units shall be given under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 for a period of 5 years from the date of start of commercial production. This would be repayable after a period of 5 years.

(iv) Charges for change of land use for food processing units shall be levied @ 50 % of normal rates in state declared backward areas.

(v) Wines/Liquors/Brandy etc. made from 100% fruits produce in the State will be exempted from the Excise Duty in backward areas.

Special priority shall be given for release of electric connection to mega projects, 100% EOUs, IT Industries and FDI projects.

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो नए प्रोजेक्ट इन्डस्ट्रियल बैकवर्ड एरियाज के अन्दर लगे हैं, उनके क्या-क्या नाम हैं। इसके साथ-साथ मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करें कि इन उद्योगों को लगाने से हरियाणा के कितने नौजवानों को रोजगार मिला है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, हालांकि इनका सवाल तारांकित प्रश्न का हिस्सा नहीं है लेकिन मेरे पास 104 की लिस्ट है जो मैं आपकी परमिशन से इनके पास भेज रहा हूँ। (इस समय एक लिस्ट अध्यक्ष की आज्ञा से डॉ० सीता राम जी को दी गई) स्पीकर सर, जहां तक इम्पलाईमेंट का सवाल है तो इस बारे में आप सैपरेट प्रश्न पूछें तो हम इसका जवाब भी आपको दे देंगे।

Releasing of Electricity Connections to Tubewells

***157. Shri Tejendra Pal Singh Mann :** Will the Chief Minister be pleased to state :--

(a) the total number of applications for electricity connections to tubewells in which farmers have deposited full amount as per HVPN estimates are still pending in the Kaithal district.

(b) the time by which the electricity connection to tubewells are likely to be released to the farmers referred to in part (a) above; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to improve the infrastructure keeping in view of the increasing in load in the aforesaid area ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) 822 applications for electricity connection to tubwells in which farmers have deposited full amount were pending as on 28.11.2005 in the Kaithal district.

(b) the connections are likely to be released within 3 months.

(c) 11 K.V. overloaded feeders are being bifurcated, undersize conductors are being augmented and additional distribution transformers are being added in the system. Existing 33 KV and 132 KV sub-stations are being augmented and new 33 KV and 132 KV sub-station have been proposed to strengthen the existing infrastrucure.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, मंत्री जी ने अपने जवाब में टोटल 822 कनैक्शन बताएं हैं। मैं समझता हूं कि मेरा क्षेत्र पहले बहुत निगलैक्टिड था। इस बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था कि वहां पर अब सबमर्सिबल ट्यूबवैल्ज लग रहे हैं। मैंने मंत्री जी से आग्रह किया कि हमारे इलाके में 2-3 सब-स्टेशन लगाने की जरूरत है। आपने इस बारे में कहा था कि इस बारे में चैक करवा लेंगे। मंत्री जी, जब तक ये कनैक्शन वहां पर लगेंगे तब तक सारा सिस्टम ओवर लोड हो जाएगा क्योंकि मैं अभी भी यह देखता हूँ कि वहां पर वह ट्रांसफार्मर ओवर लोडिड है। मंत्री जी जो नए सब-स्टेशंज बनाए जा रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि वहां से इन कनैक्शन को देने की कोशिश की जाए। इसके अतिरिक्त मंत्री जी, कैथल में जो काम चल रहा है वहां पर जितने सामान की जरूरत है उतने समान की आपूर्ति नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि उनको कम्पलीट होने में तीन महीने से भी ज्यादा समय लगने की सम्भावना है। परन्तु आपने इसको तीन महीने में पूरा करने की बात कही है तो हमें इस बात की बहुत खुशी है। दूसरे जो 33 के.वी. और 132 के.वी. के सब-स्टेशंज बनाने की बात कही है हमारे पुण्डरी,

[श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान]
जाखोली और तीतरम में पहले ही सब-स्टेशन्ज़ बने हुए हैं। तीतरम में तो सबसे पुराना सब-स्टेशन है। अगर आप तीन चार सब-स्टेशन और बनाएंगे तो हमारे जो 822 कनैक्शन लेने वाले एप्लीकैंटस हैं जिनमें से 600 कनैक्शन अकेले पाई से ही हैं। पुण्डरी और कैथल में आलरेडी ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज हैं। आप इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमैंट के लिए आदेश दे दें ताकि ऐसा न हो कि वहां पर कनैक्शन तो मिल जाएं लेकिन वोल्टेज ड्रापेज की वजह से वहां पर बिजली ही न आए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 31 अक्टूबर तक 1247 कनैक्शन लोगों को रिलीज कर दिए गए हैं। जहां तक इन्होंने यह कहा कि अब वहां पर काफी सबमर्सिबल ट्यूबवैल्ज लग गये हैं इसलिए अब वहां पर इम्प्रूवमैन्ट की जरूरत है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि To improve the voltage of Kaithal District एक तो 200 के.वी. सब स्टेशन डिस्ट्रिक्ट कैथल में पावर ग्रिड कोरपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है। इस पर 30-35 करोड़ रुपये लग जाएंगे। यह ऐप्रूव हो गया है और इसको बनाने के लिए स्थान भी देख लिया गया है। इसके अलावा इन्होंने 33 के. वी. के सब स्टेशंज को अपग्रेड करने की बात भी कही है। मैं इनको बताना चाहूँगा कि राजौन्द के अन्दर 33 के.वी. के सब स्टेशन को हम 132 के.वी. का सब स्टेशन बनाने जा रहे हैं यह भी ऐप्रूव हो गया है। रायसीना में भी 33 के.वी. सब स्टेशन को हम 132 के.वी. सब स्टेशन बनाने जा रहे हैं यह भी ऐप्रूव हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इनके बनने में 18 महीने लगते हैं। जल्दी ही यह काम शुरू हो जाएगा। टैक्नीकल कमेटी इनकी वायबिलिटीज का जल्दी ही फैसला ले लेगी। ऐसे कामों में थोड़ा समय तो लगता ही है। इसी तरह से 132 के.वी. सब स्टेशन पाई में भी बनाना है इसकी आगुमैन्टेशन भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर हम टैक्नीकली वायबिलिटीज चैक कर रहे हैं। ढाण के अंदर भी 33 के.वी. सब स्टेशन को 132 के.वी. सब स्टेशन करने के बारे में विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार से नौछ में 33 के.वी. से 132 के वी. सब स्टेशन बनाने पर विचार किया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए टैक्नीकल वायबिलिटीज को देखा जा रहा है। इसी तरह से 132 के.वी. का एक और नया सब स्टेशन खुराणा में बनाने का विचार है। इसके अलावा 132 के.वी. के सब स्टेशन भागस में, उलाना में, बदसुई में बनाने का काम चल रहा है। (विघ्न) इसी प्रकार से पपराला में भी आगुमैंटेशन का काम चल रहा है। ऐसे ही बबरी में भी, महमदपुर में भी आगुमैंटेशन करने की बात है। इस प्रकार से हम कैथल जिले में सब स्टेशंज को मजबूत कर रहे हैं और इनकी क्षमता को बढ़ा भी रहे हैं।

डॉ० शिवशंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी तीन महीने का समय इन्होंने कैथल जिले के लिए बताया है तो क्या भिवानी जिले में जो ट्यूबवैल्ज के पैंडिंग कनैक्शंज हैं वे भी तीन महीने में दिए जा सकेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, क्राईटेरिया तो सबके लिए बराबर होता है। भिवानी के लिए भी सेम समय रहेगा।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के वक्त जब किसान ट्यूबवैल का कनैक्शन लेता था तो उस वक्त उससे तीन-तीन लाख रुपये लिए जाते थे लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उस समय काफी लोगों ने अपना ट्यूबवैल

10.00 बजे

का कनैक्शन लेने के लिए ऐस्टीमेटस वगैरा बनाकर एक-एक लाख या पचास-पचास हजार

रुपये की सिक्योरिटी भी भर दी थी लेकिन अब बिजली विभाग उनके यह पैसे वापस नहीं दे रहा है उनका कहना है कि अपना समान खरीद लाओ और खरीदने के बाद अपना कनैक्शन ले लो। जो पैसा जमा है वह कहते हैं कि बिल में काट देंगे। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि इस समस्या से किसानों को राहत दिलाई जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से तो इस तरह की कोई बात नहीं की जाती है कि कनैक्शन के लिए कोई सामान खुद लेकर आए। फिर भी माननीय सदस्य ने जो बात कही है इसको हम ऐग्जामिन करवा लेंगे और मैं अधिकारियों से भी बात करूंगा और हिदायत दे देंगे कि इस तरह की बात आगे से न की जाए।

श्री दिलू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि एक तो इन्होंने यह कहा कि मेरे हल्के में बदसुई के अंदर काम चल रहा है। चलो, वह तो नहीं भी चल रहा है तो इनके कहने से आज से शुरू हो जाएगा। एक इनके विभाग ने यह कहा था कि गांव की पंचायत यदि फ्री ऑफ कॉस्ट 4 एकड़ लैंड दे देगी तो प्रायोरिटी पर 33 के.वी. का सब स्टेशन शुरू करेंगे। मेरे हल्के में हरनोला, मांडी सत्रा, मूंदपुर और उरलामा ये 4 सब-स्टेशन ऐसे हैं जिनकी जमीन पंचायत ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है।

श्री अध्यक्ष : दिलू राम जी, इसको जनरल क्वेशचन न बनाओ, पर्टिकुलर रखो।

श्री दिलू राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा और आपका दोनों का पैडी एरिया है इसलिए मुझे आप थोड़ा समय दे दिया करो क्योंकि पैडी का सीजन आने वाला है। किसान देख रहे हैं कि इन सब स्टेशंज का काम कब शुरू होगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने गांवों के नाम गिनवाएं हैं उनकी टैक्नीकल वायबिलिटी देख लेंगे और जहां हमें जरूरत है वहां टैक्नीकल वायबिलिटी चैक करवा लेते है। बदसुई के तो टैंडर वगैरह हो गए हैं। कंट्रैक्टर ने ढिले कर दिया होगा, अदरवाइज बदसुई में जल्दी काम शुरु कर देंगे।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, बिजली के मामले में काफी फराखदिल हैं और आजकल बहुत बिजली दे रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वर्ष 2003-2004 में कितने कनैक्शन दिए थे और 2005 में अब तक कितने दिये गए हैं ?

Mr. Speaker : It is not possible to reply this question. Please sit down.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो यह ट्यूबवैल के कनैक्शन दिए हैं वह किसी डिपोजिट स्कीम के तहत दिए जा रहे हैं या जनरलाइज्ड स्कीम के तहत दिए जा रहे हैं। क्योंकि यह पिछली सरकार की पॉलिसी थी। आपकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद बड़े-बड़े वायदे किए थे कि हम सस्ते ट्यूबवैल कनैक्शन देंगे, क्या इस दिशा में सरकार ने कोई काम किया है, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि ट्रांसफार्मज का बर्न्ट रेट क्या है, पहले क्या था आज क्या है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने जनरलाइज्ड स्कीम का जिक्र किया है, उनकी अलग सीनियोरिटी लिस्ट है जो नॉर्मल आधार पर आते हैं उनकी अलग सीनियोरिटी लिस्ट है और जो डिपोजिट वर्क होते हैं उनकी अलग सीनियोरिटी होती है और जो इन्होंने जिक्र किया है, कि काफी सारे कनैक्शन पैंडिंग पड़े हुए हैं इस तरह की कोई बात नहीं है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को जानना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में तीन स्टेशन, मूंधड़ी, कटावड़ और सौंगड़ी हैं, इनके बारे में मैंने कल भी पूछा था। These have been worked out in all respects and viability has been seen by the Department. क्या मंत्री जी इनके बारे में आश्वासन देंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या इन तीनों सब स्टेशनों को आप अपग्रेड करने के लिए कंसीडर करेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को कल भी जवाब दिया था कि उनकी टैक्नीकल वायबिलिटी देखकर इनको अपग्रेड करवा देंगे।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूँगा कि बिजली की पोजीशन पहले से भी बहुत खतरनाक है।

Mr. Speaker : Mr. Gautam, is it a supplementary ? आप इतने ऐक्सपीरियैंस्ड आदमी हैं, ये कोई सप्लीमैंट्री है।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, कल बिल पेश हो रहे थे, सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं मैंने उन सबकी स्पोर्ट की।

श्री अध्यक्ष : अभी आप सप्लीमैंट्री पूछो, जब मौका आए तब इस बारे में बताना।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बारे में बताना चाहता हूँ कि 7-7,8-8 महीनों से पैसे जमा पड़े हैं। स्पीकर साहब, आज भी लोगों को कहा जाता है कि जिन्होंने बिजली के कनैक्शन के लिए पहले पैसे जमा करा दिए उनको दोबारा पैसे जमा करने के लिए कहा जा रहा है। यह बात सौ प्रतिशत सही है कि आज गांवों में बिजली एवेलेबल नहीं है। मैं सरकार को कह रहा हूँ कि सरकार को अपनी आंख खोल लेनी चाहिए क्योंकि यह खतरनाक समस्या है। अगर ऐसा हुआ तो आगे कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आयेगी। पहले तो चौटाला साहब की मिलीभगत से एक आध सीट आ गई थी।

Mr. Speaker : Gautam ji, take your seat, It is not a supplementary.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, गौतम साहब जोश में आ गये हैं इन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले भी डिटेल में बताया है कि हम बिजली व्यवस्था को स्ट्रैंथन कर रहे हैं। पिछली सरकार के समय में जो बिजली के प्लांट लगाये गये थे उनकी डिज़ाइन गलत बनाई गई थी इसलिए वे तकनीकी कारणों से सारे फेल हो गये हैं अब हम उनको दोबारा से रिपेयर करा रहे हैं। इसलिए बिजली की थोड़ी दिक्कत आ रही है। यमुनानगर का बिजली का थर्मल प्लांट ठीक काम कर रहा है। जो इन्होंने एक लाख रुपये लेने की बात की है अगर इन कामों में कोई कोताही पाई जायेगी तो उन अधिकारीयों के

खिलाफ एक्शन लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। अगर इनके नोटिस में कोई केस है तो वे हमारे नोटिस में लायें हम जरूर एक्शन लेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : स्पीकर सर, बिजली का कनैक्शन लेने के लिए बिजली विभाग किसानों से पैसे जमा करवा लेता है। इसके लिए किसानों से 54 हजार रुपये और 40 हजार रुपये जमा कराये जा रहे हैं। बिजली की तार वहां तक गई हुई होती है और उससे आगे जो किसान ट्यूबवैल का कनैक्शन लेता है उससे फिर पैसे जमा करने के लिए कहा जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे हल्के के नांगल चौधरी क्षेत्र में किसान पैसे जमा करा रहे हैं जब किसान कहते हैं कि बिजली का कनैक्शन दो तो कहा जाता है कि पोल नहीं हैं। जब हमने एस.ई. साहब को कहा तो उन्होंने कहा कि आपके हल्के के लिए 500 पोल चाहिएं जो कि तीन महीने से पहले पोल नहीं दे सकते क्योंकि सरकार ने पोल खरीदे हैं वे तीन महीने से पहले नहीं आ सकते लेकिन तीन महीने में तो फसल समाप्त हो जायेगी। क्या जिन किसानों ने तीन महीने पहले फसल बोई है उनके नुकसान की भरपाई सरकार करेगी या इन पोलज को जल्दी लगाने का काम करेगी। इन दोनों में से सरकार कौन सा काम करेगी मंत्री जी इस बारे में बतायें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि पोल परचेज कर लिए गए हैं और जो समय निर्धारित किया है उसके अन्दर-अन्दर पोल वितरित कर दिए जायेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं है। पोल जल्दी भेज दिए जायेंगे। यह सब एंज पर रैगूलेशंज चलते हैं।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों ने ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए पैसा जमा करा रखा है उनको अब कहा जा रहा है कि वे दोबारा से पैसे जमा करायें। ट्रांसफार्मर की कीमत 30 हजार रुपये बताते हैं लेकिन बिल में से 13 हजार रुपये ही काटते हैं। इसी प्रकार पोल की कीमत 1600-1700 रुपये है लेकिन बिल में से 800 रुपये ही काटते हैं। क्या इसकी कुल कीमत जमींदार को ही पे करनी होती है या सरकार भी करती है इस बारे में मंत्री जी बतायें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर पैसा जमा करवा दिया है तो उनको कनैक्शन जल्दी दे दिए जायेंगे। इस बारे में हम चैक कर लेंगे।

Construction of Stadium

***136. Sh. Radhey Shyam Sharma Amar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Stadium in Narnaul Constituency for promoting the sports; if so, the details thereof ?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : No, Sir.

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, नारनौल में अब तक इण्डस्ट्रीज नहीं पहुँच पाई हैं। इसी प्रकार से हमारे खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनाने की बात है। कृष्णा नगर और कारवाली की लड़कियां

[श्री राधे श्याम शर्मा अमर]
नैशनल लेवल पर खेलने जाती हैं। क्या नारनौल में स्टेडियम बनाने का काम यह सरकार करवायेगी ? जो नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के नाम से स्टेडियम बनाया गया था उसकी चार दिवारी बनाई गई थी लेकिन वह स्टेडियम खेलने लायक नहीं है। सरकार की पोलिसी है कि चार एकड़ जमीन देकर स्टेडियम बनवा सकते हैं तो उसके लिए जमीन जितनी चाहिए वह चार-पांच गांव जमीन देने के लिए तैयार हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि अगर हम जमीन दे दें तो स्टेडियम बनवा देंगे उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, नारनौल में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के नाम से एक स्टेडियम 39,53,000 रुपये की लागत से बनाया गया था जिसमें 300 मीटर ट्रैक, कबड्डी, खो-खो, वालीबाल, बास्केटबाल, बोक्सिंग, क्रिकेट और टेबल टैनिस के लिए एग्जिस्ट करते हैं। इसके इलावा इनके जिला महेन्द्रगढ़ में भी सरकार का स्टेडियम बनाने का विचार है। 8 एकड़ 2 कैनाल और 4 मरला जो जमीन है जो गवर्नमैंट कालेज महेन्द्रगढ़ के पास थी वह सरकार को स्थानान्तरित कर दी गई है। उसका साइट प्लान वगैरा बनवा रहे हैं, जैसे ही साइट प्लान बन जाएगा उसके बाद अगले ऐस्टीमेट बनवाकर ये फैसीलिटी क्रिएट की जाएगी। जहां तक स्टेडियम बनाने की नीति का प्रश्न है, तो मैं बताना चाहूँगा कि तहसील या ब्लाक स्तर पर स्टेडियम के लिए 10 एकड़ जमीन की रिक्वायरमैंट है, ग्रामीण स्तर पर 4 एकड़ जमीन की रिक्वायरमैंट है। तहसील स्तर पर स्टेडियम की लागत 90 लाख रुपये आती है और ग्रामीण स्तर पर स्टेडियम की लागत 14 लाख रुपये आती है। इसका तरीका यह है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या गांव की पंचायत जो है वहां के स्थानीय लोग 50 प्रतिशत पैसा देंगे और 50 प्रतिशत पैसा सरकार देगी। जहां का भी इस . कार का प्रपोजल आएगा सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, गांव के अन्दर 50 लाख और 20 लाख रुपये देने के लिए पंचायत के पास कोई फण्ड नहीं होते, इसलिए गरीब गांव तो स्टेडियम बना ही नहीं सकता। मंत्री महोदय बताएं कि यह जो आधा पैसा गांव से लिया जाता है क्या यह सारा पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया जा सकता क्योंकि 4 एकड़ जमीन भी 15 लाख रुपये की होती है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि यह राशि 50 लाख रुपये नहीं है बल्कि 14 लाख रुपये है जिसमें से 7 लाख रुपये सरकार देती है।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि हरियाणा के अन्य भागों में जैसे हिसार में, जींद में और सिरसा में जो स्टेडियम बनाए गए थे क्या वहां के लोगों ने पैसा जमा करवाया था, तब बने थे। हमारे यहां के लोग कोई चीज मांगते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप पैसा जमा करवाओ तब आपका काम होगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि हरियाणा के जो दूसरे हिस्सों में स्टेडियम बनाए गए हैं क्या वहां के लोगों से पैसा लेकर बनाए गए हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पूरे खर्चे का प्रश्न है, यह अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य लिखकर भिजवा दें हम इसको अवश्य जवाब भिजवा देंगे।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, हांसी में गवर्नमैंट कालेज भी हैं और प्राइवेट कालेज

भी हैं। वहां के बच्चे भी खेलने का शौक रखते हैं। सरकार को पहले भी वहां के लोगों ने स्कीम भिजवाई थी कि स्टेशन के पास 10-12 एकड़ जमीन है जो कि फोरैस्ट डिपार्टमैंट के पास है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार वह जमीन लेकर स्टेडियम बनाने का विचार करेगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हिसार जिले के अन्दर सरकार द्वारा मल्टीपरपज हाल, जूडो हाल, बाक्सिंग हाल, योगा हाल, सिंथैटिक ट्रैक्स, फुटबाल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, कबड्डी ग्राउंड, हैंडबाल ग्राउंड, बास्केट बाल ग्राउंड, लॉन टैनिस, बालीबाल ग्राउंड, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच बनाए गए हैं, इसके अलावा आदमपुर में भी इस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं और सरकार की नीति के तहत जो भी दरखास्त देंगे, नियमों के अनुसार सरकार उस पर विचार करेगी।

Shortage of Pipes

***177. Sh. Ram Kumar Gautam :** Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there is any shortage of 8" and 6" pipes with the department, if so, the time by which the shortage of pipes is likely to be met out ?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Yes Sir, However, part order for the supply of 6" and 8" has been placed and supply of pipes have started. Order for the balance pipes will be placed shortly.

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन का ध्यान एक बहुत ही इम्पोर्टेंस के मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरी कांस्टीच्यूएंसी के हर गांव में और मैं समझता हूँ कि सारे हरियाणा के गांवों में यही हाल है कि हर गांव में पीने के पानी के कनैक्शन्ज़ दिए हुए हैं लेकिन गांव का जो तकड़ा आदमी है उसके मुहल्ले में तो पानी जा रहा है और उस आदमी की भैंस भी उस पानी से नहाने लग रही है और उस गली में पानी जा रहा है जब कि बाकी सारे का सारा गांव पानी के बिना रो रहा है खासतौर पर दलित बस्तियों, बैकवर्ड क्लास तथा गरीब लोगों की बस्तियों में पानी लगभग न के बराबर है। अध्यक्ष महोदय, हर गांव में पानी की सप्लाई की हालत ऐसी ही है लोक दल के कई लोग तो लगी लगाई टूटियों को भी उखाड़ कर ले गए और लाईनों की लाईनें उखाड़ कर ले गए। जो बात मैं कह रहा हूँ वह बहुत ही गौर करने वाली है। कई लोगों ने इल्लीगल कनैक्शन्ज़ लगाए हुए हैं और उनको पानी की पूरी सप्लाई भी मिल रही है लेकिन जिन लोगों ने लीगल कनैक्शन्ज़ लिए हुए हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि जिन लोगों ने इल्लीगल कनैक्शन्ज लिए हुए हैं उनके मुहल्ले और गली में तो पानी जा रहा है और बाकी सारा गांव पानी के बिना रो रहा है ? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गांव के हर आदमी को पानी मिले, हर वर्ग को पानी मिले और जिन लोगों ने इल्लीगल कनैक्शन्ज़ लिए हुए हैं उनको उखाड़ दिया जाए और सभी लोगों को लीगल कनैक्शन्ज़ दिए जाएं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री गौतम जी ने जो भावना व्यक्त की है मैं उससे सहमत हूँ। यह सही है कि पिछले छः साल एक ऐसी सरकार रही जिसने सुनियोजित तरीके से खासतौर पर हमारे जो पिछड़े हुए तथा दलित भाई हैं उनको सभी मूलभूत सुविधाएं, चाहे वह पीने के पानी की सुविधा

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
है या दूसरी और सुविधाएं हैं, उनसे वंचित रखा। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम लोग अपनी ड्राईव चलाने में लगे हुए हैं और मैं अपने माननीय साथी श्री गौतम साहब से आग्रह करूंगा कि जिस गांव में भी उन्हें ऐसी समस्या नजर आए कृपया मुझे एक पत्र लिख कर भेज दें। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गरीब आदमी का घर पीने के पानी से वंचित न रहे। स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं और उन्होंने यह निर्देश दिए हुए हैं जिसके तहत हमने एक स्कीम भी बनाई है कि दलित बस्तियों तक हम सबसे पहले पाईप लाईन बिछाएं। इस साल हमने कुछ गांव सैम्पल के तौर पर लिए हैं और अगले साल हम उसमें और ज्यादा गांव जोड़ेंगे और वहां पर विशेषतौर पर हौदी तैयार करवाएंगे ताकि औरतों को पानी लेने के लिए गढ़े न खोदने पड़ें और पानी वहां पर सीधे उन तक पहुँचे। पानी टंकियों से सीधा उनकी बस्तियों तक पहुँचाने के लिए हम एक विशेष कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। कुछ गरीब गांवों को सैम्पल के तौर पर इस स्कीम के लिए लिया है और अगले साल उनकी संख्या में हम और इजाफा करेंगे ऐसा मैं उनको आश्वासन देता हूँ।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए यह पूछना चाहूँगी कि हर शहर में ऐसी अनऐथोराईज्ड कॉलोनीज़ हैं जहां पर 80% से ज्यादा रिहाईश हैं और कम से कम 15-20 सालों से ये कॉलोनियां बसी हुई हैं और ज्यादातर यहां पर गरीब और दलित लोग रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल करनाल की बात नहीं कर रही हूँ बल्कि पूरी स्टेट में यही हाल है। अब जब कि सरकार ने सीवरेज और पानी के लिए हर शहर में पैसा दिया है और करनाल में भी तकरीबन 70 लाख रुपये इसके लिए दिए हैं। इन कॉलोनियों और बस्तियों में सीवरेज और वाटर पाईप लाईन डालने के लिए जब हम पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट से बात करते हैं तो वे यह जवाब देते हैं कि ये कॉलोनीज़ अनऐथोराईज्ड हैं जबकि वहां पर बिजली के कनैक्शन्ज़ दिए हुए हैं, सड़कें भी हैं और वहां पर घरों की कंस्ट्रक्शन भी पूरी हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी क्योंकि यह बहुत ही जैनुअन डिमाण्ड है और पूरे हरियाणा की यह प्रॉबल्म है, सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, यह ईशू केवल पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट से ही जुड़ा हुआ नहीं है। आप जानते ही हैं कि 1966 में सभी सरकारों की कांस्टैंट नीति रही है कि केवल जो कॉलोनीज़ ऐथोराईज्ड हैं वहीं पर हम पीने के पानी के कनैक्शन्ज़ दे पाएंगे। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूँगा कि इस सरकार के गठन के बाद कई हजार ऐसी कॉलोनीज़ हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष निर्देश दे कर रैगुलराईज़ करवाया है जहां पर इस समय हम सीवरेज और पीने के पानी की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। फिर भी यदि माननीय सदस्या की कोई विशेष समस्या है तो मैं इनसे कहूँगा कि वे सम्बन्धित विभाग को रैगुलराईजेशन ऑफ कॉलोनी के लिए लिखें और जैसे ही वह कॉलोनी रैगुलराईज हो जाएगी वैसे ही जन-स्वास्थ्य विभाग इस बारे में उचित कार्यवाही करेगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले सत्र में भी चर्चा की थी कि पिछली सरकार के वक्त में पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के लिए काफी पैसा दिया गया था लेकिन उस पैसे का उपयोग कलायत क्षेत्र के विभिन्न गांवों में नहीं हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि वे इसकी जांच करवाएं कि वह पैसा क्यों नहीं खर्च किया गया। अध्यक्ष महोदय, आज के समय में हमें माननीय

मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और माननीय मंत्री जी के सहयोग से कलायत क्षेत्र में पब्लिक हैल्थ को 3 करोड़ रुपये आए हैं और वहां पर कार्य प्रगति पर है लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही है कि कई जगह हमारे पी.डब्ल्यू.डी. की रोडज़ अन्डर कंस्ट्रक्शन हैं और वहां पर जे.सी.बी. मशीनें चलती हैं जिसकी वजह से पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट द्वारा बिछाई गई पाईप्स हैं वे डैमेज हो जाती हैं। जिसके कारण पीने का पानी और गन्दा पानी इकट्ठा हो जाता है। हमने कई बार इस तरफ विभाग का ध्यान दिलाया कि इसको ठीक करने के बारे में कार्यवाही की जाए। लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। वहां पर पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट में और पी.डब्ल्यू.डी. दोनों में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि इस तरह की प्रोब्लम कहीं पर भी न आए। स्पीकर सर, जब हमारी सरकार किसी काम के लिए इतना फंड दे रही है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए।

Mr. Speaker : Madam, please put your supplementary.

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, वहां पर कार्य प्रगति पर है क्योंकि सरकार की तरफ से वहां पर काफी फंडज़ आए हुए हैं। लेकिन वहां पर पाईप्स की कमी की वजह से काम रुके हुए थे। स्पीकर सर, सदन में मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि पाईप्स जल्दी आ जाएंगी तो मैं समझती हूँ कि वह कार्य जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से केवल माननीय सदस्या जी को यह बताना चाहूँगा कि कलायत जो इनका विधान सभा क्षेत्र है वहां पर वर्षों से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की सुविधा थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सरकार ने 544 लाख 18 हजार रुपये विशेष तौर पर पिछड़े क्षेत्र के लिए मंजूर किये हैं। वहां पर इस समय काम प्रगति पर है जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है। हमें लगता है कि दिसम्बर, 2006 तक इस पिछड़े क्षेत्र में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से बढ़ाकर 110 लीटर पर ले जाएंगे।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वाजिब है कि चौटाला सरकार ने दलितों को पानी से वंचित रखा था। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि 6 साल के दौरान में जो गरीब आदमियों ने पीने के पानी के कनैक्शन लिए थे उनको उन 6 सालों में पीने का पानी तो मिला नहीं लेकिन उनको 1000-1000 और 2000-2000 रुपये पानी के बिल आ गये हैं। क्या सरकार उनके इन बिलों को माफ करने के बारे में कार्यवाही करेगी ? **(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)**

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से गौतम जी ने कहा कि प्रदेश में हकीकतन बिजली और पानी की किल्लत है। आज दलितों और गरीब लोगों को विशेषतन बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। गौतम जी ने कहा कि लोकदल वाले नहरें तोड़ लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोकदल वाले तो अपनी प्यास बुझाने के लिये पानी तक ले लेते हों लेकिन बड़े खेद की बात है कि नैशनल लैवल पर सवाल पूछने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एन.सी.पी. के लोग रिश्वत तक ले लेते हैं। (विघ्न) स्पीकर सर, हमारे ऊपर कमैंट किए गए थे इसलिए मैंने यह कहा है। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यह सवाल है कि जो ओवर हैड पर रिजरवायर्ज हैं जिनके कनैक्शन 6 और 8 ईंच की पाईप लाईन से दिए जाते हैं, वे कितने कनैक्शन अब तक अधूरे पड़े हुए हैं। जो अधूरे पड़े हुए हैं क्या उनको चालू करने की सरकार की कोई मंशा है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : इसका रिप्लाई पोसिबल नहीं है। नैक्स्ट क्वैश्चन।

Strength of I.P.S. Officers

***200. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state :--

(a) the total strength of IPS officers at present in the State along with their designation; and

(b) the number of criminal cases investigated as an investigating officer in the State during the last 10 years by the aforesaid officers ?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) The information is given below :-

Designation	Nos.
DGP	03 + 1 (1 under suspension)
ADGP	12
IGP	15 + 1 (1 under suspension)
DIG	11
SP	49
ASP	01
Total	93

It is further submitted that the total authorised strength of IPS officers of Haryana Cadre is 125. Out of which 93 IPS officers are posted in the State. 19 IPS officers are at present on deputation with Central Government and 02 IPS officers are under training at NPA Hyderabad.

(b) The information asked for is required to be collected from various districts after checking the case files of last 10 years. 6,84,717 cases were registered and investigated by the State Police including IPS officers during last 10 years. It would require Herculean efforts to go through all case files and see how many cases were investigated by IPS officers fully or partially.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे स्टार्ड प्रश्न के उत्तर में माना है कि आई.पी.एस. आफिसर्ज की अथौराईज्ड स्ट्रैंग्थ होनी चाहिए। स्पीकर सर, आई.पी.एस. आफिसर्ज की अथौराईज्ड स्ट्रैंग्थ 125 है जबकि इनके पास 114 आई.पी.एस. ऑफिसर्ज ही हैं। क्या बाकी के रिक्त अधिकारियों के पदों को जो हमारे विदइन स्टेट अधिकारी हैं उनकी परमोशन करके पूरा करेंगे या बाहर से अधिकारियों को बुलाकर पूरा करेंगे ? इसके साथ ही मेरे प्रश्न के पार्ट-बी के जवाब में इन्होंने जो कहा है उस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि

यह बहुत बड़ी बात है। जब आई.पी.सी., सी.पी.आर.एल. और संविधान में यह व्यवस्था है कि हमारे आई.पी.एस. आफिसर उन केसों की तफतीश करेंगे, आई.ओ. बनेंगे जिन केसों में बहुत संगीन जुर्म हैं। स्पीकर सर, इन्होंने माना है और इन्होंने कहा है कि इस बारे में ये इन्फर्मेशन कुलेक्ट करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह बात देखने में आती है कि जो आई.पी.एस. रैंक के आफिसर्ज हैं वे किसी भी केस की इन्वेस्टीगेशन नहीं करते हैं। स्पीकर सर, इनसे जो छोटे अधिकारी हैं उनको ज्यादा तजुर्बा न होने की वजह से वे केस की छानबीन ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से लोगों को ज्यादातर केस कोर्ट में भुगतने पड़ते हैं और गलत केसिज़ कोर्ट के अंदर लोगों को भुगतने पड़ते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जितने भी आई.पी.एस. अधिकारी हैं, डी.जी.पी. से लेकर ए.एस.पी. तक ये कोई परसैंटेज फिक्स करें कि हरियाणा के तमाम आई.पी.एस. अधिकारी क्रिमनल केसिज के आई.ओ. बने, उनकी इन्वैस्टीगेशन करें तथा कानून के मुताबिक कार्य करें ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस रूल्ज 25.17 के मुताबिक जो हीनियस केसिज हैं उनकी जो जांच है उसकी सुपरविजन डी.एस.पी. के द्वारा, एस.पी. के द्वारा और रैंज इन्सपैक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा की जाती है। ऐसा कोई प्रावधान कहीं नहीं है कि तफसीशी ऑफिसर जो हैं वह एस.पी. ही होंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर ए.एस.आई., सब इंसपैक्टर, इंसपैक्टर और एस.एच.ओ. क्या करेंगे ? इसलिए मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि यह संभव नहीं है कि एस.पी. या इंसपैक्टर जनरल ऑफ पुलिस तफसीशी ऑफिसर बन जाएं।

श्री अध्यक्ष : इन्वैस्टीगेटिंग ऑफिसर तो लोअर रैंक का ही ठीक रहता है because he knows better than IPS Officer because he remains in field.

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल ठीक है कि यह संभव नहीं है कि हर आई.पी.एस. ऑफिसर इन्वेस्टीगेशन करें लेकिन जो सैशन ट्रायल केसिज हैं जिनमें हीनियस क्राईम इन्वाल्वड है उन केसिज में डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज आई.पी.एस. ऑफिसर एस.पी. हैं उनके लिए यह जरूरी है कि वह मौके पर जाएं, स्पॉट इंसपैक्शन करें। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या उनके नोटिस में ऐसा कोई केस है जिसमें एस.पी. मौके पर स्पॉट इंसपैक्शन पर सैशन ट्रायल के अंदर गया हो ?

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, वह तो जाते ही हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि सभी हीनियस ओफैंसिज में सुपरविजन डी.एस.पी. की रहती है। माननीय सदस्य को बहुत तजुर्बा है। ऐसे अनेकों केसिज हैं जहां एस.पी. खुद इंटरवीन करते हैं यदि कोई सीरियस ओफैन्स हो जाए तो वे मौके पर भी जाते हैं और यदि कहीं पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो वे तफतीश भी करके लाते हैं फिर भी अगर ऐसा कोई इंडीविजुअली केस नोटिस में है जहां ऐसा नहीं हो पाया हो और वह बहुत गंभीर है तो माननीय सदस्य लिखकर दे दें हम उसकी जांच अवश्य करवाएंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे मौजूदा संविधान में आई.पी.सी. में पुलिस रूल्ज में अभी भी यह प्रावधान है कि Every IPS Officer is I.O. by virtue of his post which he holds तो कितने आई.पी.एस. ओफिसर्ज ने संवैधानिक

[श्री कर्ण सिंह दलाल]
जिम्मेवारी की वजह से जो व्यवस्था में लिखी हुई है, कितनी इन्वैस्टीगेशन की और कितने केसिज के वे आई.ओ. रहे ? मंत्री जी इसकी जानकारी सदन को दे दें।

श्री रणदीप सिंह सूरजेवाला : स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले भी माननीय सदस्य को बताया कि तकरीबन हर हीनियस ऑफेंस केस में उनकी डायरेक्ट या इन डायरेक्ट, पेटेन्ट या लेटेन्ट इन्वाल्वमेंट रहती है। जब भी जिले के अंदर कोई गंभीर अपराध होता है तो चाहे वह डी.एस.पी. हो, चाहे एस.पी. या चाहे आई.जी. रेंज भी हो; वे व्यक्तिगत तौर पर यह देखते हैं कि तफसीश ठीक हुई है या नहीं। वे यह भी देखते हैं कि जांच ठीक हो।

श्री कर्ण सिंह दलाल : आप इन्वैस्टीगेशन का बताएं।

श्री रणदीप सिंह सूरजेवाला : स्पीकर साहब, जहां तक इन्वैस्टीगेशन का सवाल है जो एस.पी. हैं उनकी सुपरविजन के अंदर यह जांच की जाती है। इन केसिज में हमने 85 नोटिस काटे, 48 एफ.आर.दर्ज हुई और 48 में ही चालान भी दर्ज हो चुका है।

Carved out Un-authorised Colonies

Shri Bachan Singh Arya : Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) Whether the Government is aware of the fact that some unauthorised colonies are being carved out/developed by some land grabbers/ property dealers on the land adjacent to Safidon Mandi, Safidon City and Pillukhera Mandi in Safidon constituency, and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to check the aforesaid land grabbers/property dealers ?

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir, Some unauthorised colonies are being carved out within the municipal limit of Safidon adjacent to Safidon Mandi and existing town. However Pillukhera Mandi, is neither controlled area nor urban area.

(b) Notices as per provisions of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 have been issued and further action is being taken as per provisions of the law.

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Development of Villages

***185. Shri Sukhbir Singh Sohana :** Will the Chief Minister be please to state whether there is any proposal under consideration of the Government to hand-over the development work within Lal Dora of the villages in District Gurgaon to the HUDA or HSIDC ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान्।

Opening of a College at Behal

***220. Shri Somvir Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state :--

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a College at Behal, district Bhiwani; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Laying of Sewerage in Kalayat

***216 Smt.Geeta Bhukal :** Will the Minister for Public Health be pleased to state :--

(a) the time by which the construction work for laying the sewerage system in Kalayat will be started; and

(b) whether any budget provision in the current financial year for carrying out the aforesaid work has been made; if so the details thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) श्री मान् जी, इस समय कलायत में सीवरेज बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) कलायत में सीवरेज बिछाने के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

Upgradation of Power Houses of Dikadla and Biholi Villages

***274 Shri Bharat Singh Chhokar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the 33 KV Power Houses into 132 KV Power Houses of Dikadla and Biholi villages of district panipat; if so, the time by which these are likely to be upgraded ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हां, श्रीमान् । जिला पानीपत में 33 के.वी. उपकेन्द्र डिकाडला एवं बिहोली को अपग्रेड करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इनके अपग्रेड करने का प्रस्तावित 220 के.वी. उपकेन्द्र समालखा की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि करने के साथ जुड़ा हुआ है। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2007-08 के अन्त तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

Financial position of Municipal Committee, Bhiwani

***238 Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Minister for Urban Development be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Municipal Committee, Bhiwani is not in this position to pay the salaries of its employees regularly because of its financial position is not sound.

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to make the aforesaid Municipal Committee financial sound; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to fill up the posts lying vacant in the Municipal Committee, Bhiwani ?

उद्योग मंत्री (श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा) :

(क) हां, श्री मान् जी।

(ख) नगरपालिका भिवानी के संसाधनों को सुदृढ़ बनाने हेतु, शॉपिंग कम्पलैक्स आदि बना कर आय के साथ जुटाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) नगरपालिका भिवानी में रिक्त पदों को भरने बारे प्रयास किये जा रहे हैं।

Posts of Doctors in Medical College, Rohtak

***233. Sh. Shadi Lal Batra :** Will the Minister for Health be pleased to state--

(a) the total number of sanctioned posts of doctors in Medical College, Rohtak; and

(b) the total number of posts out of the posts referred to in part (a) above lying vacant at present, togetherwith the steps taken or proposed to be taken to fill up these vacant posts ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) :

(क)	श्रेणी-1	=	303
	श्रेणी-2	=	232
(ख)	श्रेणी-1	=	73
	श्रेणी-2	=	96

श्रेणी-2 के रिक्त पद दिनांक 3.12.2005 को विज्ञापित किये जा चुके हैं तथा श्रेणी-1 के पदों को विज्ञापित करने के लिये प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

Upgradation of Sub-station, Bhattu

***290. Sh. Kulvir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the 32 KV Sub-station of Bhattu Town into 132 KV; if so, the time by which it is likely to be upgraded ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हाँ, श्रीमान्।

भट्टूकलां में वर्तमान 33 के.वी. उपकेन्द्र को 8.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 32 एम.वी.ए. क्षमता वाले (2 x 10 / 16 एम.वी.ए., 132/11 के.वी. ट्रांसफार्मर) 132 के.वी. उपकेन्द्र में अपग्रेड किया जा रहा है।

इस केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा सितम्बर 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

Plying of Buses

***306. Kumari Sharda Rathore :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether the Haryana Roadways buses or private buses are being plied on each village route in the rural area in the State; if not, the time by which the bus facilities are likely to be provided on each rural route in Haryana ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान जी, हरियाणा के सभी ग्रामवासियों को हरियाणा राज्य परिवहन एवं निजी संचालकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में समुचित बस सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

Irregularities Committed in the recruitment of Police Department

***254. Smt. Kiran Chaudhary :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it has come into the notice of the Government that irregularities committed in the recruitment made to the post of different categories of police department during the regime of previous Government; if so, the details thereof togetherwith the action taken in this regard ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : मैडम, पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित भर्तियों से सम्बन्धित अनियमितताये ध्यान में आयी है :--

(i) वर्ष 2000 और 2004 के दौरान 02 पुलिस निरीक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताएं।

(ii) वर्ष 2004 के दौरान 819 सिपाहियों की भर्ती में अनियमितताएं।

(iii) वर्ष 2004 के दौरान पुलिस विभाग में 124 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताएं।

अनियमितताओं का विस्तृत विवरण और उन पर की गई कार्यवाही सदन के पटल पर नीचे प्रस्तुत है।

विवरण

पुलिस विभाग की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती में अनियमितताओं का विस्तृत विवरण तथा उन पर की गई कार्यवाई।

I. पुलिस निरीक्षकों की भर्ती/नियुक्ति :

(i) दिनांक 28.7.2000 को श्री संजय अहलावत पुत्र श्री सुखबीर सिंह निवासी गांव गोछी डाकघर बेरी, जिला झज्जर को सरकार की अनुमति से निरीक्षक के पद पर भर्ती किया गया क्योंकि उसे निरीक्षक के रूप में भर्ती करने का सरकार का निर्णय उसके अपने नियमों और हिदायतों की उल्लंघना थी और माननीय उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.पी. नं० 14406-1996-नर सिंह नं० 4/263 बनाम हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दी गई हिदायतों के विरूद्ध था इसलिए सरकार द्वारा उसके मामले की समीक्षा हेतु कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ii) दिनांक 22.7.2004 को श्री विनय कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द्र, निवासी पंचकूला को खिलाड़ी कोटे के अन्तर्गत निरीक्षक के रूप में भर्ती किया गया क्योंकि उसकी नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना गलत की गई थी इसलिये उसकी सेवाएं दिनांक 7.7.2005 से समाप्त कर दी गई है।

II. 819 सिपाहियों की भर्ती :

राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 16/4/2004-जी.एच.आई. दिनांक 9.9.2004 द्वारा जिला गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत में पी.सी.आर. स्टॉफ के लिए 819 सिपाहियों के पद स्वीकृत किये। पुलिस अधीक्षक, भिवानी, रिवाड़ी, कुरुक्षेत्र और करनाल के अधीन गठित किए चयन मण्डलों द्वारा 819 पदों के

विरूद्ध 815 सिपाहियों का चयन किया गया।

कार्यालय का रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि दिनांक 17.12.2004 अर्थात् तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, हरियाणा श्री एम.एस. मलिक, भारतीय पुलिस सेवाएं के मौखिक/लिखित निर्देशों पर इन प्रवरण मण्डलों द्वारा विधान सभा चुनाव की घोषणा होने और आचार संहिता लागू होने के बाद इन सूचियों को अन्तिम रूप दिया गया। साक्षात्कार आचार संहिता लागू होने के बाद लिये गये थे। भारत चुनाव आयोग ने दिनांक 17.12.2004 को राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि में नियुक्तियाँ न करने के आदेश दिये। इसके बाद भी, श्री एम.एस. मलिक ने बतौर संदेश क्रमांक 30151-196/ स्था (II)-1 दिनांक 19.12.2004 द्वारा भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने और चयनित उम्मीदवारों का चिकित्सा परीक्षण करने और पुलिस सत्यापन करने और चयनित उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर सिपाही का नम्बर देने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने परिणाम की घोषणा रोकने के आगामी आदेश दिये थे जबकि, पुलिस महानिदेशक द्वारा चुनाव आयोग की यह हिदायतें क्षेत्रीय यूनिटों को दिनांक 28.12.2004 को प्रेषित की। तब तक आदेशक पंचम वाहिनी, मधुबन ने दिनांक 28.12.2004 को 47 उम्मीदवारों को और आदेशक, प्रथम वाहिनी, अम्बाला शहर ने दिनांक 28.12.2004 को 14 उम्मीदवारों को, चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई हिदायतों की उल्लंघना करते हुए रैजीमैन्टल नम्बर दे दिए थे।

ये सभी उपरोक्त अवैध भर्तियां चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, हरियाणा श्री एम.एस. मलिक, भारतीय पुलिस सेवाओं के निर्देशों के अन्तर्गत की गई जो पुलिस विभाग में प्रशासनिक आयोग्यता, पक्षपात और उम्मीदवारों की पिछले दरवाजे से प्रवेश होने को सुगमता को दर्शाता है।

उक्त अनियमिताओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 1.6.2005 को राज्य सरकार ने सारे चयन को समाप्त कर दिया। राज्य सरकार के निर्णय के निरन्तर में एच.ए.पी. आदेशकों को ये हिदायतें जारी की गई कि उन 61 सिपाहियों की सेवाएं समाप्त की जाएं जिन्हें अनियमित रूप से नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। इन सेवा मुक्त सिपाहियों ने माननीय उच्च न्यायालय में 29 याचिकायें दायर की जिनका 27.10.2005 को सुनवाई का आदेश हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.10.2005 के आदेश से सभी याचिकाओं का निपटान करते हुए उपरोक्त भर्ती में की गई अनियमितताओं की सी.बी.आई. जांच के आदेश दिये।

III. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती :

जिला पुलिस, हरियाणा सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों तथा भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र भौंडसी (गुड़गांव) में चतुर्थ श्रेणी के 100 पदों की भर्ती करने के उद्देश्य से दिनांक 21.11.2004 को "दिव्य हिमाचल" तथा "दी हिन्दु" नामक दो समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु अन्तिम तारीख 6.12.2004 नियत की गई थी। विभिन्न उम्मीदवारों से लगभग 1500 आवेदन प्राप्त हुए थे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की चयनप्रक्रिया को अन्तिम रूप देने के लिए दिनांक 7.12.2004 को तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, हरियाणा दिनांक 10.12.2004 तथा 11.12.2004 को उम्मीदवारों के साक्षात्कार हेतु एक चयन समिति का गठन किया था। साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त चयन समिति ने दिनांक 17.12.2004 को 100 पदों के विज्ञापन के विरूद्ध नियुक्ति के लिए 122 उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश की थी।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

अभिलेख (रिकॉर्ड) यह दर्शाता है कि इस सूची को दिनांक 17.12.2004 अर्थात् राज्य विधान सभा चुनाव घोषित होने और आचार संहिता लागू होने के उपरान्त ही चयन समिति द्वारा इस सूची को अन्तिम रूप दिया गया। भारत चुनाव आयोग ने दिनांक 17.12.2004 को राज्य सरकार को सरकारी नौकरी, सार्वजनिक उपक्रम आदि में किसी प्रकार की नियुक्तियां न करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ने बतौर संदेश क्रमांक 30151-96/ई (II)-1 दिनांक 19-12-2004 के द्वारा भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने और प्राथमिकता आधार पर चयनित उम्मीदवारों का चिकित्सा परीक्षण करने और पुलिस सत्यापन करने के निर्देश दिए। उस समय के पुलिस महानिदेशक के इन निर्देशों के आधार पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षकों और निदेशकों ने इस प्रक्रिया को जारी रखा तथा दिनांक 21.12.2004 से 28.12.2004 तक की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए।

भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई हिदायतों की उल्लंघना के अतिरिक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में की गई विभिन्न अन्य कमियां और खामियां ध्यान में आई। अभिलेख (रिकॉर्ड) दर्शाता है कि साक्षात्कार के लिए बुलाने हेतु आवेदकों को कोई अलग से पत्र जारी नहीं किए गए थे। उक्त पदों के लिए लगभग 1500 उम्मीदवारों ने आवेदन दिए थे परन्तु इस कमी के कारण केवल 711 उम्मीदवार ही साक्षात्कार में भाग ले सके। आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि ये चयन कुशल नौकरियों जैसे माली, कुक, मैशन, मोची, दफ्तरी, बारबर और पेन्टर के लिये किया गया था, परन्तु उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने हेतु उम्मीदवारों से कोई अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं लिए गए थे। यहां पर यह भी उल्लेख करना उचित है कि कुछ उम्मीदवारों ने किन्हीं विशेष पदों के लिए आवेदन दिए थे परन्तु चयन समिति ने आवेदित पदों के विरूद्ध उनके दावों पर विचार करने की बजाए उनका अन्य चतुर्थ श्रेणी पदों के विरूद्ध चयन किया जबकि उन्होंने इसके लिये आवेदन-पत्र ही नहीं दिए थे। साक्षात्कार लिए गए उम्मीदवारों की सूची यह दर्शाती है कि 36 उम्मीदवारों के नाम हस्तलिखित थे जिनमें से 27 उम्मीदवारों का अन्तिम रूप से चयन किया गया। शेष उम्मीदवारों की साक्षात्कार सूची टाईप की गई थी, इसमें यह शंका होनी उचित है कि चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में उनके नाम सूची में बाद में जोड़े गए हैं।

चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में अवैधताओं और अनियमितताओं का ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट होता है कि भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई हिदायतों की पूर्ण रूप से अवहेलना हुई है और जल्दबाजी में की गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को पुलिस विभाग ने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। और इस प्रकार भर्ती किए गए सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तदनन्तर, उनमें से कुछ ने माननीय उच्च न्यायालय में 7 याचिकायें दायर की जिनका 21.11.2005 को इन सभी याचिकाओं का निपटान करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपरोक्त भर्ती के चयन में की गई अनियमितताओं की राज्य सतर्कता ब्यूरो को जांच करने के लिए आदेश दिए हैं।

Construction of the Sewerage System of Siwani and Bawani Khera Municipal Committees

***275. Sh. Ram Kishan Fauji :** Will the Minister for Public Health be pleased to state whether it is a fact that the construction of sewerage system of

Siwani and Bawani Khera Municipal Committees are lying closed; if so, the time by which it is likely to be got constructed ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : हां, श्रीमान जी, सिवानी तथा बवानी खेड़ा नगर पालिकाओं में सीवरेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य जमीन की उपलब्धता न होने की वजह से रुका हुआ है। बवानी खेड़ा में भिवानी जिला न्यायालय से स्टे है तथा सिवानी में सीवरेज डिस्पोजल का कार्य जमीन अधिग्रहण के बाद शुरू किया जायेगा जिसमें एक साल लगेगा।

Percentage of Old Age Pension Cases

***248. Sh. S.S. Surjewala :** Will the Minister for Social Welfare be pleased to state--

(a) the district-wise percentage of old age pension cases in the State & particularly in district Kaithal;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct a fresh survey in district Kaithal for identifying the old age persons who have become eligible for getting old age pension; and

(c) the district-wise percentage of pension of other categories in the State ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) :

(क) राज्य में वृद्धावस्था पेंशन मामलों की प्रतिशतता कृपया अनुबन्ध-1 पर देखें। जिला कैथल के मामलों की प्रतिशतता 5.48 है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) अन्य श्रेणियों जैसे विधवा एवं विकलांग पेंशन योजना के पेंशन मामलों की जिलावार प्रतिशतता अनुबन्ध-1 पर संलग्न है।

[बहन करतार देवी]

अनुबन्ध - 1

वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन मामलों की जिलावार प्रतिशतता

क्र.सं.	जिला	2001 में जनसंख्या	वृद्धावस्था पेंशन		विधवा पेंशन		विकलांग पेंशन	
			1.10.05 को लाभ-पात्र	प्रति-शतता	1.10.05 को लाभ-पात्र	प्रति-शतता	1.10.05 को लाभ-पात्र	प्रति-शतता
1.	अम्बाला	1014411	47747	4.70	15045	1.48	3708	0.36
2.	पंचकुला	468411	14267	3.04	4404	0.94	750	0.16
3.	यमुनानगर	1041630	49233	4.72	16153	1.55	4687	0.45
4.	कुरुक्षेत्र	825454	39606	4.79	16010	1.93	5044	0.61
5.	कैथल	946131	51850	5.48	21011	2.22	4125	0.44
6.	करनाल	1274183	53676	4.21	24059	1.88	4871	0.38
7.	पानीपत	967449	33606	3.47	15037	1.55	2904	0.30
8.	सोनीपत	1279175	62711	4.90	22534	1.76	6801	0.53
9.	फरीदाबाद	2194586	57587	2.62	28831	1.31	4662	0.21
10.	गुड़गांव*	1660289	59472	3.58	23083	1.39	3254	0.20
11.	रिवाड़ी	765351	36705	4.79	11017	1.43	2419	0.32
12.	नारनौल	812521	46785	5.75	11990	1.48	2533	0.31
13.	जींद	1189827	66303	5.57	24014	2.02	4980	0.42
14.	रोहतक	940128	50334	5.35	15949	1.70	4400	0.47
15.	झज्जर	880072	46597	5.29	13707	1.55	4160	0.47
16.	भिवानी	1425022	70894	4.97	27041	1.89	7552	0.53
17.	हिसार	1537117	66862	4.35	31552	2.05	8586	0.56
18.	फतेहाबाद	806158	46321	5.74	18072	2.24	5879	0.73
19.	सिरसा	1116649	63164	5.65	23788	2.13	6190	0.55
	कुल	**21144564**	**963720**	**4.56**	**363297**	**1.72**	**87505**	**0.41**

*जिला मेवात की सूचना जिला गुड़गांवा में शामिल है।

Upgradation of General Hospital, Charkhi Dadri

***281. Major Nirpender Singh Sangwan :** Will the Minister for Health be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the General Hospital, Charkhi Dadri from 100 bed to 150 bed; and

(b) whether it is a fact that there is shortage of doctors and other paramedical staff in the aforesaid Hospital, if so, the time by which the shortage of the doctors and other staff is likely to be met out ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) :

(क) नहीं श्रीमान् जी।

(ख) रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Misuse of Funds

16. Sh. Naresh Yadav : Will the Chief Minister be pleased to state whether it has come to the notice of the Government that there was a misuse of funds in digging of ponds in the villages of district Mahendergarh during March, 2004 to date. If so, action if any taken or proposed to be taken by the Government against the defaulting Government officers/officials ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्रीमान् जी। ऐसा कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं है।

Harassment to the Farmers in Disbursing the Loan

17. Sh. Naresh Yadav : Will the Chief Minister be pleased to state :-

(a) whether the Government is aware of the fact that the farmers are facing great harassment for getting the loan from the Land Haryana Development Bank; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to simplify the procedure for disbursing the loan ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) प्राथमिक भूमि विकास बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए किसानों को किसी समस्या का सामना करना नहीं पड़ रहा। किसानों से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। किसानों को कठिनाई से बचाने के लिए बैंक ने अपनी ऋण वितरण प्रणाली को पहले ही आसान बना लिया है।

(ख) 1-4-2005 से 31-10-2005 तक बैंक ने 12135 लाभार्थियों को 147.74 करोड़ रुपये के ऋण वितरण किए हैं। किसी भी प्राथमिक भूमि विकास बैंक या उनकी शाखाओं का प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है। ग्रामीण कृषि के सेवार्थ ऋण प्रणाली में बदलाव करने हेतु ऋण वितरण के लक्ष्यों पर पूरी नज़र रखी जा रही है।

Opening of Science Faculty in Government College, Ateli

18. Sh. Naresh Yadav : Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a science faculty in Government College, Ateli ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : नहीं, श्रीमान् जी। इस समय विज्ञान संकाय चलाने के लिए कक्षा के कमरे, प्रयोगशालाएं इत्यादि आवश्यक मूलभूत सुविधाएं इस महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। अत: राजकीय महाविद्यालय, अटेली में विज्ञान संकाय आरम्भ नहीं किया जा सकता। तथापि, विभाग आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का सृजन किये जाने की प्रक्रिया आरम्भ कर रहा है तथा जैसे ही ये सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, विभाग राजकीय महाविद्यालय, अटेली में विज्ञान संकाय आरम्भ कर देगा।

District-wise number of Challans of Vehicles

19. Sh. Naresh Yadav : Will the Minister for Transport be pleased to state the district-wise number of challans made in the State during the last four years ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : राज्य में पिछले चार वर्षों में कुल 2,63,337 चालान किये गये हैं। इस सम्बन्ध में सूची जिसमें कि पिछले चार वर्षों के दौरान जिला एवं वर्ष-वाईज चालानों की संख्या दर्शाई गई है, सदन के पटल पर अनुबन्ध 'क' पर रखी है।

अनुबन्ध 'क'

वाहनों के चालानों की जिलावार संख्या

क्रम सं०	जिला का नाम	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	कुल योग
1	अम्बाला	2825	3103	4595	2583	13106
2.	भिवानी	422	7129	13557	3306	24414
3.	फरीदाबाद	5245	6536	8306	2776	22863
4.	फतेहाबाद	1714	1234	1965	1361	6274
5.	गुड़गांवा	2471	2101	2703	2717	9992
6	हिसार	3283	3444	5971	2861	15559
7.	झज्जर	68	352	4061	2334	6815
8.	जीन्द	2685	1771	2209	1196	7861
9.	कैथल	1846	2459	2004	1243	7552
10.	करनाल	3641	9431	11371	5420	29863
11.	कुरुक्षेत्र	1769	1328	1983	1352	6432
12.	महेन्द्रगढ़	3034	1289	4928	2634	11885
13.	पंचकूला	3091	2311	11598	2229	19229
14.	पानीपत	1857	2249	3637	1797	9540
15.	रिवाड़ी	6111	12625	3561	4506	26803
16.	रोहतक	4105	3002	4682	4721	16510
17.	सिरसा	2453	2246	1625	1373	7697
18.	सोनीपत	1890	1885	6010	1921	11706
19.	यमुनानगर	2230	2154	2880	1972	9236
	कुल :	**50740**	**66649**	**97646**	**48302**	**263337**

Number of Freedom Fighters in the State

23. Dr. Sushil Indora : Will the Chief Minister be pleased to state :-

(a) the total number of freedom fighter in Haryana State at present;

(b) the details of policy and the amount of pension being disbursed to freedom fighters per month; and

(c) whether it has come to notice of the Government that fake claims of pension have been made by freedom fighters; if so, the action taken by the Government against them ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) इस समय 830 स्वतन्त्रता सेनानी और 1331 विधवाएँ सम्मान पैंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) राज्य सरकार की नीति के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दो मास या इससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की यातना भोगी हो, वह स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होता है। स्वतन्त्रता सेनानियों / विधवाओं को प्रति मास 3500/- रुपये की राशि सम्मान पेंशन के रूप में दी जाती है यह राशि 1.4.2005 से 1400/- रुपये जमा 125/- रुपये चिकित्सा भत्ता से बढ़ा कर 3500/- रुपये प्रति मास की गई है। (इसमें नियत चिकित्सा भत्ता भी शामिल है।)

(ग) सम्मान पेंशन के सभी दावे स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति की सिफारिश अनुसार विचारे और स्वीकृत किये जाते हैं। सम्मान पेंशन हेतु प्रस्तुत किये गये अमान्य दावे अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। इसलिए उनके विरुद्ध सरकार द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

Cases of Rape/Murder etc. registered in the State

25. Dr. Sita Ram : Will the Chief Minister be pleased to state the monthwise and district-wise number of cases of rape, dacoity, murder etc. registered in the State during the period from 1st April, 2004 to 31st March, 2005 and 1st April to 30th September, 2005 ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

राज्य में समावधि अप्रैल 2004 से मार्च 2005 तक के दौरान दर्ज मुकदमें

बलात्कार

जिला	अप्रैल,04	मई, 04	जून, 04	जुलाई, 04	अगस्त, 04	सितम्बर, 04	अक्तूबर, 04	नवम्बर, 04	दिसम्बर, 04	जनवरी, 05	फरवरी, 05	मार्च, 05
पंचकूला	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2
अम्बाला	2	0	0	1	1	0	1	1	0	2	0	2
यमुनानगर	1	1	0	4	1	5	1	0	0	0	4	2
कुरुक्षेत्र	1	0	1	4	4	1	1	2	2	3	0	1
कैथल	0	3	0	3	2	4	2	0	1	1	0	2
हिसार	1	5	5	1	4	3	0	2	0	0	0	1
सिरसा	3	4	3	0	1	1	1	0	1	1	0	1
भिवानी	0	2	1	6	4	0	0	2	1	5	4	0
जीन्द	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
फतेहाबाद	0	1	0	4	0	1	1	0	1	0	1	0
गुड़गांवा	2	1	5	4	1	1	4	3	2	0	1	0
फरीदाबाद	1	3	6	4	7	3	2	3	2	3	1	7
नारनौल	1	0	1	1	1	3	2	1	5	0	2	3
रेवाड़ी	2	2	4	1	2	2	2	0	1	0	2	2
मेवात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2
रोहतक	4	3	3	0	3	4	0	3	3	4	3	2
सोनीपत	2	1	2	3	0	0	0	0	0	2	3	1
करनाल	2	2	3	1	5	0	4	2	2	2	1	4
पानीपत	0	2	2	4	3	5	4	4	7	0	1	4
झज्जर	1	1	0	0	3	0	1	3	0	0	0	1
रेलवे	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
कुल	24	35	38	44	43	33	26	28	29	28	31	39

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

राज्य में समावधि अप्रैल 2004 से मार्च 2005 तक के दौरान दर्ज मुकदमें

डकैती

जिला	अप्रैल,04	मई, 04	जून, 04	जुलाई, 04	अगस्त, 04	सितम्बर, 04	अक्तूबर, 04	नवम्बर, 04	दिसम्बर, 04	जनवरी, 05	फरवरी, 05	मार्च, 05
पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
यमुनानगर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
कैथल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हिसार	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
सिरसा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
भिवानी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जींद	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
फतेहाबाद	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुड़गांवा	0	1	1	0	1	3	1	1	2	0	0	2
फरीदाबाद	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
नारनौल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
रेवाड़ी	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
मेवात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रोहतक	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
सोनीपत	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
करनाल	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
पानीपत	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
झज्जर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेलवे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	4	5	6	2	6	4	3	3	4	1	2	6

राज्य में समावधि अप्रैल 2004 से मार्च 2005 तक के दौरान दर्ज मुकदमें

हत्या

जिला	अप्रैल,04	मई, 04	जून, 04	जुलाई, 04	अगस्त, 04	सितम्बर, 04	अक्तूबर, 04	नवम्बर, 04	दिसम्बर, 04	जनवरी, 05	फरवरी, 05	मार्च, 05
पंचकूला	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
अम्बाला	1	3	3	1	5	3	3	2	0	0	2	0
यमुनानगर	1	3	2	2	1	2	2	0	3	2	4	3
कुरुक्षेत्र	2	2	2	2	3	2	2	3	1	0	1	2
कैथल	1	1	4	4	2	0	2	4	0	1	3	2
हिसार	5	1	7	9	3	8	4	4	9	6	6	2
सिरसा	4	3	2	3	0	3	1	0	3	1	1	1
भिवानी	9	3	4	4	2	5	5	2	4	3	4	9
जीन्द	4	4	2	4	2	3	4	3	1	3	1	1
फतेहाबाद	1	4	3	4	1	3	3	2	2	0	0	0
गुड़गांवा	2	4	7	4	7	10	6	2	4	7	2	5
फरीदाबाद	2	9	4	6	5	6	9	6	2	5	5	5
नारनौल	1	2	2	3	3	1	1	1	1	2	0	1
रेवाड़ी	1	2	3	4	1	1	1	2	1	2	2	2
मेवात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
रोहतक	4	0	8	9	5	5	3	3	7	2	1	6
सोनीपत	6	4	3	7	3	10	5	4	8	6	7	8
करनाल	5	4	4	2	3	6	1	1	2	2	1	5
पानीपत	0	4	5	5	2	2	3	5	3	1	3	1
झज्जर	7	2	3	6	3	5	0	5	1	6	4	5
रेलवे	3	1	0	4	2	5	1	0	3	0	1	0
कुल	**60**	**56**	**68**	**83**	**56**	**81**	**56**	**49**	**55**	**52**	**48**	**58**

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

राज्य में अप्रैल 2005 से सितम्बर 2005 तक के दौरान दर्ज मुकदमें

बलात्कार

जिला	अप्रैल, 05	मई, 05	जून, 05	जुलाई, 05	अगस्त, 05	सितम्बर, 05
पंचकूला	1	1	0	0	1	1
अम्बाला	1	2	2	1	2	2
यमुनानगर	0	3	0	0	1	2
कुरुक्षेत्र	5	1	2	2	4	4
कैथल	0	3	4	3	2	2
हिसार	1	6	1	5	1	0
सिरसा	3	1	0	2	5	1
भिवानी	1	1	1	3	0	0
जीन्द	1	2	1	4	3	2
फतेहाबाद	0	2	0	2	2	0
गुड़गांवा	1	3	2	1	1	1
फरीदाबाद	2	3	5	4	5	5
नारनौल	4	1	1	1	2	1
रेवाड़ी	0	1	3	0	0	2
मेवात	4	3	2	3	0	4
रोहतक	0	1	4	4	2	3
सोनीपत	1	3	3	2	4	1
करनाल	2	7	8	7	4	3
पानीपत	6	10	2	5	3	7
झज्जर	2	1	1	1	2	2
रेलवे	0	0	0	0	0	0
कुल	**35**	**55**	**42**	**50**	**44**	**43**

राज्य में अप्रैल 2005 से सितम्बर 2005 तक के दौरान दर्ज मुकदमें

डकैती

जिला	**अप्रैल, 05**	**मई, 05**	**जून, 05**	**जुलाई, 05**	**अगस्त, 05**	**सितम्बर, 05**
पंचकूला	0	0	0	0	0	0
अम्बाला	1	0	0	0	0	0
यमुनानगर	0	0	0	1	0	1
कुरुक्षेत्र	0	0	1	2	3	1
कैथल	0	0	0	0	1	0
हिसार	1	0	1	0	0	0
सिरसा	0	0	1	0	1	0
भिवानी	1	1	0	1	0	0
जीन्द	0	1	0	0	0	0
फतेहाबाद	0	0	0	0	0	0
गुड़गांवा	0	0	1	1	0	1
फरीदाबाद	0	0	0	0	0	1
नारनौल	1	0	0	0	0	0
रेवाड़ी	4	0	0	0	0	0
मेवात	1	1	1	2	1	1
रोहतक	0	0	0	0	2	0
सोनीपत	0	0	1	0	0	0
करनाल	1	0	2	0	0	1
पानीपत	1	1	0	0	1	1
झज्जर	0	1	0	0	0	0
रेलवे	0	1	0	0	0	0
कुल	**11**	**6**	**8**	**7**	**9**	**7**

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

राज्य में अप्रैल 2005 से सितम्बर 2005 तक के दौरान दर्ज मुकदमें

हत्या

जिला	अप्रैल, 05	मई, 05	जून, 05	जुलाई, 05	अगस्त, 05	सितम्बर, 05
पंचकूला	1	0	1	0	1	1
अम्बाला	2	3	3	2	5	3
यमुनानगर	0	5	3	2	3	2
कुरुक्षेत्र	2	2	2	4	4	3
कैथल	0	3	0	1	2	4
हिसार	1	6	6	9	5	2
सिरसा	3	0	2	4	7	3
भिवानी	2	4	6	3	8	3
जीन्द	5	2	2	3	2	7
फतेहाबाद	5	2	1	1	1	0
गुड़गांवा	9	3	5	8	8	7
फरीदाबाद	5	7	9	6	8	8
नारनौल	0	1	3	2	1	2
रेवाड़ी	3	6	2	0	8	0
मेवात	2	5	2	2	1	1
रोहतक	2	6	5	5	7	3
सोनीपत	5	6	6	4	8	0
करनाल	5	7	4	3	4	3
पानीपत	3	5	7	7	4	4
झज्जर	7	2	3	3	6	6
रेलवे	0	2	2	3	0	0
कुल	62	77	74	72	93	62

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव / प्राइवेट सदस्यों का विधेयक

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आपकी सेवा में नकली खादों की बिक्री द्वारा किसानों को ठगने संबंधी एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया था, उसका क्या फेट है ?

Mr. Speaker : Your Calling Attention Notice has been sent to the Government for comments.

श्री एस.एस. सुरजेवाला : स्पीकर सर,मैंने भी आपकी सेवा में 11 सांसदों द्वारा रिश्वत के आरोप लगाने संबंधी कालिंग अटैंशन मोशन दिया था, उसके बारे में बताएं।

Mr. Speaker : Your Calling Attention Notice is under consideration.

श्री नरेश यादव : सर,मैंने भी अटेली निर्वाचन क्षेत्र के गांव मिर्जापुर बाछौद में आग की घटना संबंधी एक कालिंग अटैंशन मोशन आपकी सेवा में दिया हुआ है, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : वह गवर्नमैंट के पास कमैंट्स के लिए भेजा हुआ है।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने और हमारी पार्टी के तीन अन्य सदस्यों ने हरियाणा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई की कमी के संबंध में आपकी सेवा में एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया हुआ है, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आपका कालिंग अटैंशन मोशन 19.12.2005 के लिए लगा हुआ है।

Smt. Kiran Chaudhary : Sir, I would like to know what is the status of the Private Member Bill regarding the Haryana Population Control Bill, 2005, which I have submitted on population control because I have not been notified about it.

Mr. Speaker : That has been sent to the Government. I have not received the reply.

Smt. Kiran Chaudhary : All right Sir. What will be the status of that ? Whether it lags for the next session ?

Mr. Speaker : I do not know when the Government replies it.

Smt. Kiran Chaudhary : So, it will be taken up in the next Session.

Mr. Speaker : Let us see. I will tell you. Now, Madam, please proceed with your Calling Attention Notice.

Smt. Kiran Chaudhary : It means that the comments of the Government have not been received.

Mr. Speaker : Yes.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव--

हरियाणा विशेषकर जिला भिवानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अस्पतालों की दयनीय हालत संबंधी

Mr. Speaker : Now, Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 1 from Smt. Kiran Chaudhary, MLA regarding conditions of Primary Health Centres, Community Health Centres and Hospitals of Haryana, particulary in district Bhiwani. I admit it. Smt. Kiran Chaudhary, MLA may read her notice.

Smt. Kiran Chaudhary : Sir, there is a Calling Attention Motion which I have brought forward today. I would like to say that the primary duty of the elected Government is to ensure the primary health of the citizens of the State. Although a lot of funds have been allocated and our Government has gone out of its way-to ensure adequate facilities to the people but unfortunately it has not percolated down to the grass-root level. Sir, adequate health facilities are very very important, as you know, because this acts as an umbrella to ensure security to the citizens of the State. Therefore, I am bringing this calling attention motion and I would like to read it now. Sir, I want to draw the attention of this august House towards a matter of urgent public importance that the conditions of Primary Health Centres, Community Health Centres and hospitals of Haryana particularly in district Bhiwani is miserable. There is shortage in para-medical staff and doctors in about every department of hospitals. There is shortage of adequate medicines and equipments in above said hospital particularly in the Bhiwani District due to which the people of the respective areas are suffering therefrom. Most of the equipments in these hospitals are out of order. The common men cannot afford the services of private hospitals. The health of the people is precious. It is a matter of great concern.

Therefore, in view of the position stated above, I request the Government to make a statement on the floor of House in this regard.

वक्तव्य--

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या इस बात से अच्छी तरह से अवगत है कि हम स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं तथा स्वास्थ्य वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकता का एजैंडा है। वर्ष 2005-06 के लिए बनाई गई योजना की रूपरेखा में स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में विशेष वृद्धि

की गई है, जिससे यह विदित है कि सरकार इस पर विशेष ध्यान व उच्च प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2004-05 में 45 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 66% वृद्धि के साथ 75 करोड़ रुपये का प्रभावशाली बजट दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रूरल हैल्थ मिशन योजना जारी की है। उसके प्रभाव में सभी स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। विशेषकर उन लोगों तक ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जिन तक अभी तक कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं। सरकार के ध्यान में सभी को स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। विशेषकर उन लोगों को जिन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, जैसे पिछड़े व दलित वर्ग के लोगों को जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संस्थागत स्तर पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समितियों/स्वास्थ्य कल्याण समितियों के माध्यम से सशक्तिकरण किया गया है। जैसा कि मैडीसन खरीदने की बात कही गई है। हाई पावर कमेटी की तरफ से काफी दवाइयां खरीदी गई हैं। इसके अलावा एमरजैंसी के लिए दवाइयां खरीदने के लिए सिविल सर्जन को 50 हजार रुपये तथा एस.एम.ओ. को 10 हजार रुपये की दवाइयां खरीदने के अधिकार दे दिए गये हैं। इतने तक की दवाइयां खरीदने के लिए वे खर्चा कर सकते हैं। यही नहीं गांवों में जो ए.एन.एम. होती हैं उनको भी किसी महिला की डिलीवरी के समय या एमरजैंसी के लिए दवाइयां खरीदने के लिए दस हजार रुपये तक का बजट दिया गया है वह ऐसे हालत में दस हजार रुपये में से कुछ पैसा ऐसी दवाइयां खरीदने के लिए खर्च कर सकती है जो दवाई उस समय उसके पास उपलब्ध नहीं है। जहां तक उपेक्षित लोगों का सवाल है मेवात एरिया स्टेट में एक ऐसा एरिया है जो बहुत पिछड़ा हुआ था और उपेक्षित भी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 7.9.2005 को एक नई स्वास्थ्य स्कीम का उदघाटन किया था जिसके तहत जो पिछड़े हुए और उपेक्षित एरिया हैं उनको भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी। इसके लिए हैल्थ विभाग ने एक पूरा प्रोग्राम चॉक आउट किया है जिसके तहत 31 मार्च, 2006 तक सभी गांवों में सभी लोगों के स्वास्थ्य का चैक-अप किया जायेगा। जो केसिज अस्पतालों में रैफर किए जायेंगे उनको अलग-अलग अस्पतालों में रैफर कर दिए जायेंगे। मिजरेबल शब्द से मुझे बहुत दुःख हुआ है हम चिन्तित हैं एम.एम.आर. और आई.एम.आर. के लिए। हमारा पूरा प्रयास है कि MMR/IMR के लिए योजना सरकार चला रही है। इसके लिए 300 प्रसूति डिलिवरी हैट्स बनाने का सरकार का विचार है उनमें से 135 को तो हमने चालू कर दिया है और 165 को शीघ्र चालू कर दिया जायेगा। बच्चों और मदर में जो अनामिया की शिकायत होती है उसके लिए 19 लाख बच्चों को डि-वार्मिंग करने के लिए सघन अभियान चलाया गया है। पूरी स्टेट के बच्चे उनमें चाहे सरकारी स्कूल हों चाहे प्राइवेट स्कूल हों उन बच्चों को डि-वार्मिंग के लिए दवाई दे दी गई है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं 50 अस्पतालों, 72 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 408 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 2433 उप-केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही हैं। इन संस्थाओं में भारत सरकार के मापदण्डों के अनुसार 2060 चिकित्सक, 318 दन्त चिकित्सक तथा 9483 अर्ध चिकित्सा अमला कार्यरत हैं। डॉक्टरों के जो 150 स्थान खाली हैं और डैन्टल डॉक्टर के 112 स्थान खाली हैं वह हमने विज्ञाप्ति कर दिए हैं उनकी भर्ती जल्दी ही की जायेगी। जो पैरा मैडीकल स्टाफ के स्थान खाली हैं उनके लिए विभाग ने स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को अपनी रिक्विजिशन भेज दी है उनकी भर्ती भी जल्दी ही कर ली जायेगी। जहां तक भिवानी जिले की बात है, जिला भिवानी में 4 सामान्य अस्पताल हैं, 1 नेत्र चिकित्सालय, 1 ई.एस.आई. अस्पताल व 2 आयुर्वेदा चिकित्सा संस्था कार्यरत हैं। जिनमें से एक सामान्य अस्पताल भिवानी का 300 बिस्तरों वाला राज्य में जिला

[बहन करतार देवी]

स्तर का सबसे बड़ा अस्पताल है। जिले में 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 37 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 210 उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। चिकित्सा अधिकारियों के कुल 162 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 89 पद भरे हुए हैं एवं 73 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के कुल 24 स्वीकृत पदों के विरूद्ध केवल 6 पद नहीं भरे गए हैं। चिकित्सा तथा अर्ध चिकित्सा अमले के कुल 1158 स्वीकृत पदों में से 875 पद भरे हुए हैं एवं 283 पद रिक्त हैं।

राज्य में चिकित्सकों तथा अर्ध चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 150 चिकित्सा अधिकारियों तथा 112 दन्तक सर्जनों के पद विज्ञापित किए गए हैं। तृतीय श्रेणी के अर्ध चिकित्सा (पैरा मैडिकल) कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग-पत्र भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त जिला भिवानी को 84 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (महिला) तथा 12 स्टाफ नर्सों को अनुबन्ध आधार पर नियुक्त करने की अनुमति दे दी गई है। जिला अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों के विरूद्ध विशेषज्ञों की सेवाएं (स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, एनाथैस्टिस्ट) प्रथम परामर्श इकाइयों में आपातकालीन प्रसूति सेवाएं प्रदान करने हेतू निजी क्षेत्र से अनुबन्धित आधार पर प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है।

राज्य में दवाइयों व चिकित्सा सामग्री की खरीद के लिए 11.65 करोड़ रुपए की राशि का चालू वित्त वर्ष में प्रावधान किया गया है, जिसमें से 8.78 करोड़ रुपए की दवाइयां तथा अन्य सामग्री पहले ही खरीदी जा चुकी है।

जिला भिवानी के लिए 67.73 लाख रुपये की दवाइयों तथा अन्य सामग्री की खरीद के लिए आदेश दिए गए हैं (अस्पतालों के लिए 44.05 लाख रुपये तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 20.50 लाख रुपये)। इस जिले के लिए 3.18 लाख रुपये की राशि से दवाइयां बाढ़ राहत कोष से खरीदी जा चुकी हैं। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति भी दवाइयां तथा अन्य सामग्री की आपात आवश्कताओं को संस्थागत स्तर पर उपलब्ध धन से पूरा करने के लिए सक्षम है।

मैं यह भी सूचित करना चाहूँगी कि भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (महिला) को उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर छोटी-मोटी मुरम्मत, बल्ब आदि या जन प्रयोग के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उप केन्द्र स्तर पर सेवाओं में सुधार लाने के लिए 10,000 रुपये की खुली राशि प्रदान की गई है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (महिलाओं) को पंचायती राज संस्थाओं के साथ बेहतर सहभागिता हेतू पंचायतों के साथ इस राशि का संयुक्त खाता खोलने के लिए निर्देश दिये गये हैं।

राज्य व जिला भिवानी में सामान्यत: उपकरणों की कोई कमी नहीं है। निरन्तर उपयोग के कारण किसी समय पर 15 से 20% उपकरण प्राकृतिक रूप से खराब रहते हैं। इनकी मुरम्मत की आवश्यकता होती है। इसलिए वर्ष 2005-06 के योजना बजट में उपकरणों के रख-रखाव के लिए 45 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं तथा जिला भिवानी के लिए 1.82 लाख रुपये रखे गए हैं। सामान्य अस्पताल भिवानी उपकरणों से सुसज्जित हैं, इन उपकरणों में कम्प्यूटरीकृत रेडियोग्राफी सिस्टम, अल्ट्रासाउण्ड, ई.सी.जी., कार्डियोमानीटर, ई.एन.टी. ट्रीटमैंट यूनिट, होरीजैन्टल आटोक्लेव, ब्लड गैस एनालाईजर, सी.बी.सी. काउंटर, फलोरोसैंट

माईक्रोस्कोप, आटो एनालाईजर, ब्लड स्टोरेज रैफरीजरेटर, एलीसा रीडर तथा एक प्लाज़्मा सैपरेटर सम्मिलित है। चूंकि उपकरण निरन्तर प्रयोग में रहते हैं, इसलिए कभी-कभी अस्थाई तौर पर खराब हो जाते हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी वार्षिक रख-रखाव ठेके पर दी जाती है।

जिला में 22 दन्तक चेयर तथा 4 दन्तक एक्सरे इकाइयां कार्यरत हैं।

जिला भिवानी में वर्ष 2004 में (जनवरी से अक्टूबर तक) बैड आकूपैंसी 60% थी जो वर्ष 2005 में उसी अवधि के दौरान बढ़कर 67.66% हो गई।

यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि चालू वर्ष के दौरान सचल चिकित्सा इकाइयों को सक्रिय रूप से चालू किया गया है। वर्ष 2005 में अब तक इन इकाइयों द्वारा 98 गांवों का दौरा किया गया तथा 10,101 रोगियों का निरीक्षण किया, जिनमें से 242 रोगियों को रैफर किया गया।

Smt. Kiran Chaudhary : Mr. Speaker Sir, it was not my intention to hurt the feelings of the Hon'ble Minister. There is no doubt that lot of work has been done. But unfortunately strong words have to be used because I have seen it personally. I am carrying a report from the Newspaper "Danik Tribune" which talks in detail about the utter neglect and shambles in which the hospitals in Bhiwani, Tosham and most of the district are lying. Mr. Speaker Sir, I have put forward this calling attention motion after visiting these hospitals personally and it is imperative that all the facilities which have been provided and for which our Government is working, those should be made properly available to the poor man because Mr. Speaker Sir, I am not seeing any visible effect at the grass-roots. The building of hospital in Bhiwani is in utter shambles, the slabs are falling off. The moment you enter there, an overpowering smell is coming from the faulty sewerage which hits you like a ton of bricks and there are such unhygienic conditions prevailing that it is impossible for the patients to have a good healthcare. Instead of going there for treatment they come back with more illness. So, it is very important that the situation should be rectified and brought to the notice of the Hon'ble Minister and the pathetic situation should be taken care of immediately. The same is the case in Tosham and Bhiwani Khera. All the places, I have personally visited and these are really in a very very pathetic condition. So, I would like to ask the Hon'ble Minister when this situation will be taken care of ? This is my first question and I reserve the right to ask for the second one.

बहन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ समाचार-पत्रों की बात नहीं है जैसा कि इन्होंने कहा है कि मैंने खुद जाकर देखा है तो ये बताएं कि भिवानी के अस्पताल में ऐसे कौन से उपकरण हैं जो ठीक नहीं हैं। यह तो मैं स्वीकार करती हूं कि डॉक्टर्ज का जो रवैया है उसमें जितना सुधार होना चाहिए था उतना सुधार हम नहीं कर पाए। मेरा बार-बार उनसे अनुरोध है कि वे जनता के साथ बिल्कुल सही, नम्रतापूर्ण और

[बहन करतार देवी]

मिलनवत तरीके से काम करें ताकि उनके मन में यह भाव रह सके कि डॉक्टर्ज हमारी सेवा के लिए हैं वे किसी पुलिस की तरह से अधिकार जताने के लिए नहीं हैं। साफ-सफाई और दूसरी चीजों की जो बात है, यह बात ठीक है कि शुरू-शुरू में मैंने भी कई जगह पर ऐसा महसूस किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मैडम को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हर बात की तरफ हमारा पूरा ध्यान है। हर पी.एच.सी. और सब-सैंटर लैवल तक अपग्रेड करने का मामला है, जो पुराने हॉस्पीटल हैं जहां उनकी मरम्मत की जरूरत हमारे नोटिस में आई है पी.डब्ल्यू.डी. को हम मरम्मत के लिए पैसा जमा करवा चुके हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि वातावरण शुद्ध हो, लोगों को टाईम पर दवाइयां भी मिलें और डॉक्टरों का व्यवहार भी जनता के प्रति अच्छा रहे।

Smt. Kiran Chaudhary : Mr. Speaker Sir, in her reply the Hon'ble Miniser herself has said there is no shortage of equipments in the State or in General Hospitals in District Bhiwani. She further goes on to say that in any given time 15% to 20% equipments remain non-functional due to natural wear and tear, which require maintenance. Mr. Speaker Sir, the problem here is that 15% or 20%, which she herself has admitted, why those equipments which are absolutely necessary like TMT machines, MRI machines and other important machines, which are important to facilitate diagnosis, are lying in a state of neglect ? Those machines have been lying idle in certain hospitals and in many cases are totally out of repair for a very long time and as a result, what is happening is that the doctors are deliberately sending patients to private clinics for tests, which are very costly. There is a proper racket going on in these hospitals. The Hon'ble Minister has herself said that they are trying to reign in the corrupt doctors, who charge a regular commission. I do not mind in putting it on record here. They make the diagnosis in such a way that the patients have to go outside the hospitals and to have a check up done outside and to have other costly tests conducted thereby resulting in great hardship to themselves. Apart from that I want to ask the Minister whether she knows the fact that there is a regular racket going on as far as these MLRs are concerned. There is a regular shameful racket going on. If there is a small little injury, Rs. 100 are given. If a little more injury then Rs. 500 are given and if some more injury is there then Rs. 1000 are given. The poor patient is absolutely at his wit's end. He does not know what to do. Poor man goes there to get some sort of health facilities and comes out disgusted and flabbergasted. He has nothing, with him and has no other record, therefore, he cannot go anywhere. So, I would like to ask the Hon'ble Minister whether such cases have come to the forefront ? What kind of

action is being taken against such erring doctors? The fear of God should be put in them to abstain from such nefarious activities. This sort of thing should not be allowed to go on in the hospitals. As far as equipments are concerned, wear and tear will always go on. But how long will it take for the wear and tear to be put back together so that the patients do not suffer?

बहन करतार देवी : स्पीकर सर, यह ठीक है कि एम.एल.आर. के और दूसरे केसिज मेरे नोटिस में आए हैं, जहां पर डॉक्टरों का रवैया अशोभनीय रहा है। इस मामले में कई डॉक्टरों को रैड हैण्डीड भी पकड़ा गया है। उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा रही है। आपको कोई भी एक ऐसा केस नहीं मिलेगा जो पकड़ा गया हो या जिसने अशोभनीय व्यवहार किया हो और उसको छोड़ दिया गया हो। हमारी सरकार की मंशा है कि कम से कम इस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों के पास तो मरीज यह आशा लेकर आता है कि मैं यहां पर बीमारी से बच जाऊंगा। (विघ्न) स्पीकर साहब, वहां पर भी ऐसे केस मिलते हैं तो यह बहुत ही दुःख की बात है। स्पीकर सर, जो भी हमारे नोटिस में ऐसे केस आए हैं उनमें कार्यवाही की गई है और कईयों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है और बहुतों को तो सस्पैंशन हुई है। इस बारे में एक्चुअल फिगर मेरे पास नहीं हैं कि कितनों को सस्पैंड किया गया है। हमारी कोशिश यह है कि जो भी ऐसे केस हमारे नोलेज में आए हैं उसमें सख्त से सख्त कार्यवाही की गई है।

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121 for suspension of Rule 30.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move--

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 15th December, 2005.

Sir, I also beg to move--

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 15th December, 2005.

Mr. Speaker : Motion moved--

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 15th December, 2005.

[Mr. Speaker]

and also moved--

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 15th December, 2005.

डा० सुशील इन्दौरा (एस.सी., ऐलनाबाद) : स्पीकर सर, नियम 30 के तहत यह प्रस्ताव रखा गया है लेकिन विधान सभा के रूल्ज में प्रावधान है कि थर्सडे को या तो प्राइवेट मैम्बर्ज बिल आयें या नॉन ऑफिशियल रैजोल्यूशन टेक अप किया जाए लेकिन आप इसको सरकारी दिवस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। (विघ्न) स्पीकर सर, विधायी कार्य करने के लिए सदन के नेता की सहमति होती है और यह भी सदन के नेता की सहमति से सदन में प्रस्ताव रखा गया है। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से पूछना चाहूँगा कि माननीय कर्ण सिंह दलाल जी ने जॉब आरिएंटिड पर रैजोल्यूशन दिया था और हमें उम्मीद थी कि उस पर भी सदन में बहस होगी, इसके अलावा ऐसे और भी महत्त्वपूर्ण मामले सदन में डिसकस होने थे, उन सभी को प्रायरिटी न देकर के आज ऐसा क्या था कि नॉन-ऑफिशियल-डे को ऑफिशियल-डे में कन्वर्ट कर दिया? (विघ्न) स्पीकर सर, कल भी सदन जल्दी एडजर्न हो गया था और आज भी हमारे पास काफी समय था। कहीं सरकार की ऐसी नीयत तो नहीं है कि सदन को जल्दी से जल्दी खत्म करके यह दर्शाना चाहती है कि हमने सत्र एक हफ्ते चला दिया है। स्पीकर सर, हमें इस सरकार की नीयत पर शक है। स्पीकर सर, हमने भी कर्मचारियों और मजदूरों के बारे में एक एडजर्नमैंट मोशन दिया था और उसके बारे में हमें कोई इन्फर्मेशन नहीं दी गई है। इसके अलावा थानों में दलितों के साथ बुरा व्यवहार किया गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, क्या आपकी ये बातें इसके साथ कनैक्टिड हैं? (विघ्न) This is not the way. (Interruptions) आपको इस बात पर विश्वास नहीं है when I say कि इसके बाद I will hear you. (Interruptions) इसका मतलब है आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं जबकि मैं आपको कहता हूँ कि I will hear then what do you want ? (Interruptions).

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार से पहले छः वर्षों तक इनकी सरकार विधान सभा चलाती थी। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन्दौरा जी, आप उस समय में एक भी दिन ऐसा बताएं कि जब प्राइवेट मैम्बर बिजनैस ट्रांजैक्ट किया हो। स्पीकर सर, इन्होंने अपने समय में सदन की सारी नियमावली को ताक पर रखा हुआ था। इसके बावजूद भी जब हमारा पिछला सत्र हुआ था तो हमने बकायदा प्राइवेट मैम्बर-डे पर घटते सैक्स रेशो पर सदन में चर्चा करवाई थी। स्पीकर साहब, अब की बार एक भी ऐसा प्रस्ताव, एक भी रैजोल्यूशन या एक भी बिल विपक्ष की तरफ से नहीं दिया गया है जो नॉन ओफिशियल-डे पर डिसकस हो सकता हो। स्पीकर सर, इनकी पोल तो यहां पर खुल जाती है। (विघ्न) केवल एक कालिंग अटैंशन मोशन श्रीमती किरण चौधरी जी ने दिया है जो इस समय सरकार के विचाराधीन है और उसको हम लेकर आएंगे। इसी प्रकार से एक कालिंग अटैंशन मोशन हमारे भाई कर्ण सिंह दलाल जी ने दिया था, वह भी हम सदन में लेकर आएंगे। यह दोनों कालिंग अटैंशन मोशन सरकार के विचाराधीन हैं। स्पीकर सर, पृथक हाई कोर्ट का जो मामला है, वह इन सारे मामलों से ऊपर है। ये इस मामले में योगदान देने की बजाए रोड़ा अटकाना चाहते हैं। स्पीकर सर,

इनको शर्म आनी चाहिए। 6 साल तक इन्होंने इसी प्रकार कानून और सभा की परम्पराओं की धज्जियाँ उड़ायी लेकिन फिर भी ये आज बोलने का अख्तियार रखते हैं। स्पीकर सर, हरियाणा में एक कहावत है कि छाज तो बोले बोले लेकिन छलनी भी अगर बोले जिसमें एक हजार छेद हैं तो क्या यह ठीक है ? इन्होंने 6 वर्षों तक इस सभा की परम्पराओं की धज्जियाँ उड़ायी। यहां तक की स्पीकर के ओफिस तक का भी दुरुपयोग किया। आज जब आपने इनको उदार तरीके से बोलने का मौका दिया है तो इनके पास आपको एक कागज भी देने को नहीं है, एक बिल भी इन्होंने आपको नहीं दिया है और न ही कोई रैजोल्यूशन इन्होंने दिया है। श्रीमती किरण चौधरी का जरूर एक प्रस्ताव है। लेकिन इन सारे मुद्दों से बड़ा एक और प्रस्ताव है जो सरकार सदन के समक्ष लाने जा रही है। मैं अनुरोध करुंगा कि ये कुछ सदबुद्धि लें क्योंकि हरियाणा के लोगों को इनको और इनके नेता को जो इस समय सदन में नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। कम से कम ऐसे विषय पर जिस पर हम सबको इकठ्ठा होना चाहिए, अलग-अलग बातें नहीं करनी चाहिएं। हमें इस बात पर एक स्वर से बोलना चाहिए, एक स्वर से प्रस्ताव करना चाहिए ताकि पूरे देश को, पूरे प्रान्त को एक मैसेज जाए। आज एक ऐसे मुद्दे पर हरियाणा के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं इसलिए मेरा इनसे कहना है कि ये इसमें व्यवधान न डालें। मैं इनको बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इनके नेता किया करते थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इंदौरा साहब, आप बैठिए।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिए । (विघ्न)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, आप बैठिए।

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Let me speak, Indora ji. आप भी बोल लेना। स्पीकर साहब, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन अध्यक्ष पद के लिए आपका चुनाव सर्व सम्मति से हुआ।

डॉ० सुशील इंदौरा : कोई सर्व सम्मति से चुनाव नहीं हुआ। हमारे से इस बारे में कोई कंसैन्ट नहीं ली गयी।

श्री बीरेन्द्र सिंह : फिर क्या आपने उस समय अपना कोई कंडीडेट खड़ा किया था ?

डॉ० सुशील इंदौरा : कंडीडेट तो खड़ा नहीं किया था लेकिन हमसे पूछा भी नहीं गया।

श्री अध्यक्ष : मैं तो यह समझता हूँ कि आपने पार्टिसिपेट भी किया था। मैं तो यही समझकर चलता हूँ । अगर नहीं था तो आपकी मर्जी है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, यह परमानैंट भटकाव की स्थिति में रहते हैं क्योंकि अब ये आपके चुनाव पर पहुंच गये। इन्हें यह मालूम नहीं कि इन्हें किस विषय पर जाना है। अब ये आपके चुनाव की वैधता को ही चुनौती देने लग रहे हैं। आप इनके भटकाव को खत्म करिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इंदौरा जी, आपको बोलने का मौका मिल गया है अब आप बैठिए। (विघ्न) अब बीरेन्द्र सिंह जी बोलेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर ये सर्व सम्मति का मतलब नहीं समझते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। (विघ्न)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए। सर्वसम्मति तो एक रिवायत है लेकिन सत्ता पक्ष इसके लिए विपक्ष से भी सलाह करता है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : सलाह किससे करते ? आपके नेता तो एक साल से सदन में आ नहीं रहे हैं जबकि आप कह रहे हैं कि हमारे से सलाह करते। स्पीकर साहब, आप इनको पूरी अथोरिटी दे दीजिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इंदौरा साहब, आज का काम आपका भुगत गया। Now let him proceed. Birender Singh ji, please continue.

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि जिस दिन सदन ने आपका सर्व सम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया उस समय हमारे विपक्ष के साथियों ने भी आपको शुभकामनाएं और मुबारिकबाद दी थी। इनको भी यह याद होगा। अगर ये आपका चुनाव सर्व सम्मति से नहीं मानते थे तो ये आपको शुभकामनाएं नहीं देते और बायकाट करते। (विघ्न)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर सदन को गुमराह किया जा रहा है इसलिए हम कैसे नहीं बोलेंगे ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इंदौरा साहब, हर बात में सींग न फंसाया करो। This is not the way. आप हाउस को चलने दें। (Interruptions and noise) मैं समझता हूं कि अब आप न बोले। मैं तो यह भी समझता हूं कि मैं आपकी सहायता से ही स्पीकर बना हूँ। अगर आप यह कहो कि ऐसा नहीं है तो यह आपकी मर्जी है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, ये एक वैचारिक, शारीरिक और व्यक्तिगत सब

11-00 बजे प्रकार के भटकाव की स्थिति से गुजर रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके चुनाव में सदन में एक आम सहमति थी और दो बातों पर आम सहमति थी। एक तो पिछले सालों में जो सदन में चर्चा आई थी वह यह थी कि पिछले सालों की एवरेज सिटिंग 11 साढ़े 11 दिन की बनती थी।

श्री अध्यक्ष : साढ़े छह दिन की बनती थी, मैं दिनों की बात कर रहा हूँ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : सर, मैं सिटिंग की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह थी कि पिछले सालों में जो नॉन ऑफिसियल-डे था उस पर हमेशा ट्रांजेक्शन ऑफिशियल बिजनेस की हुई और जो पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी की परम्पराएं हैं, जो निश्चित परम्पराएं, स्वस्थ परम्पराएं हैं उनका हनन हुआ। आप अंदाजा लगाइए, हमारी मंशा की बात है। अगर हम यह चाहते हों कि हमने स्किप करना है तो हम 16 तारीख को सैशन शुरु कर सकते थे, तीन दिन सैशन चलना है। We could have started on Friday and it could go upto Tuesday. हमारी यह इच्छा नहीं थी। दूसरी बड़े खेद की बात है कि विपक्ष के इन साथियों को अपनी रिसपौंसिबिलिटी का वहन करना निहायत जरूरी है। एक बात ये बताएं, छह महीने से सदन प्रोरोग था, क्या इस बीच इन्होंने कोई नॉन ऑफिशियल रिजोल्यूशन स्पीकर महोदय को भेजा ? उसके बाद आप हमें यह कहें कि हम नॉन ऑफिशियल डे को ऑफिशियल डे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यह जिम्मेदारी आपकी है या हमारी है ?

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, आपके अध्यक्ष बनने में हम बहुत खुश हैं, वैसे तो हमारी सहायता की जरूरत ही नहीं थी। इस सदन में आप सबसे बड़े और सबसे लायक आदमी हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे इस तरह से न समझें, मैं कुछ बातें दोबारा से हुड्डा साहब को बताता हूँ जो अच्छे काम हुड्डा जी करेंगे, उनकी हम तारीफ करेंगे। इन्होंने जे.बी.टी. के ऐग्जाम कराए उसमें सिर्फ 20 परसैंट तो रोल पोल कर ली, वह बात अलग है लेकिन 80 परसैंट सही है और मुख्यमंत्री जी की तरफ से तो सैंट परसैंट सही है, उससे पहले राज में सैंट परसैंट रोल पोल के थे। एक भी काबिल टीचर सलैक्ट नहीं हुआ। मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सदन के ध्यान के लिए बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब से मैं सैशन अटैंड करने के लिए आया हूं तब से देख रहा हूँ कि बीस सवाल लिखकर दे देते हैं और 8 लगते हैं इसलिए तीन दिन के सैशन के बजाय दस दिन का सैशन कर दो। ये न करो कि सवाल लगाया ही नहीं और यह कह दिया जाता है कि Questions Hour is over. I think Questions Hour is meaningless. अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरी यह शिकायत है दूसरी मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको कहने की इजाजत नहीं मिलती, वह मैं हुड्डा साहब की नॉलेज में लाना चाहता हूँ। जब आप पॉवर में आए थे तो आपका सबसे बड़ा नारा यह था और आपने सदन में भी माना था और पालियामैंट अफेयर्स मिनिस्टर ने भी माना था कि 25 हजार इम्प्लौयी जो चौटाला ने हटाये हैं, हम उनको वापस लेंगे, आप बताएं कि अभी तक आपने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ? स्पीकर सर, मैं मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ कि वे बैठकर सारी बातें सुनें और उन पर अमल करने की कोशिश करें ताकि आपकी पार्टी का फायदा हो और जनता का फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष : यह सुनने की स्टेज नहीं है।

श्री रामकुमार गौतम : स्पीकर सर, कुछ बातें बहुत जरूरी हैं जो सदन को बताना चाहता हूँ।

Mr. Speaker : This is not the point.

श्री रामकुमार गौतम : स्पीकर सर, कुछ बातें बहुत जरूरी हैं जो सदन को बताना चाहता हूँ। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ठीक नहीं होगा।

Mr. Speaker : Question is --

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 15th December, 2005.

and also

That Rules 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 15the December, 2005.

The Motion was carried.

सरकारी संकल्प--

चण्डीगढ़ में हरियाणा राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय बनाने के संबंध में

Mr. Speaker : Now, a Minister will move the Official Resolution.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move--

"That whereas the framers of the Constitution of India were candid on the issue that there should be a separate High Court for each of the States of Indian Union and for this specific reason they incorporated an Article 214 in Chapter V of the Constitution that there shall be a High Court for each State. The spirit and object of Article 214 of the Constitution has been meticulously and consistently followed inasmuch a separate High Court has been established invariably for each state.

2. And whereas the State of Haryana came into existence with effect from Ist November, 1966, by virtue of the provisions as contained in section 3 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966). Apparently, on account of certain unresolved territorial disputes between the State of Punjab and Haryana, Parliament, in its wisdom, enacted section 29 in Part IV of the Punjab Reorganization Act, 1966, whereby it established a common High Court for the State of Punjab, Haryana and Union Territory of Chandigarh. Even after, a long period of thirty-nine years has passed, there continues to be a common High Court. States like Himachal Pradesh and newly created State like Jharkhand, Chhattisgarh and Uttranchal which came into existence much later than Haryana, are having their own separate High Courts from the very day of their inception. Presently, except the seven eastern States falling under the jurisdiction of Guwahati High Court, there is no State in the country which is not having its own seperate High Court.

3. And whereas during this long, period, the interests of the State of Haryana have suffered manifold due to the common High Court. It is a matter of fact that Haryana has never been able to get its proportionate representation on the Bench as per the ratio of 60 : 40 between Punjab and Haryana. Even at present there are only eight Judges from Haryana out of twenty-nine Judges in position against the total sanctioned strength of 53. Similar is the case with the insufficient/under representation of the State of Haryana in the Bar. Had there

been a seperate High Court, the disposal of the cases would have been much faster judicial system would have been further strengthened in the State.

4. And whereas the matter is taken up under section 41 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966), which is reproduced as under-

> **"41. Savings. – Nothing in this Part shall effect the application to the common High Court of any provisions of the Constitution, and this Part shall have effect subject to any provision that may be made on or after the appointed day with respect to that High Court by any Legislature or other authority having power to make such provision."**

5. And whereas on 14th March, 2002, Haryana Vidhan Sabha adopted a resolution for the bifurication of Punjab and Haryana High Court and creation of a seperate High Court for the State of Haryana. Since the new Lok Sabha has come into existence with effect from 17 May, 2004, it is apt to take up the matter afresh with the new Parliament.

6. And whereas in pursuance of the above said objectives the Haryana Cabinet took up the matter in its meetings dated 23-11-2005 and resolved as under :--

> **"It was approved that a resolution be moved in the Assembly to request the parliament to take up the amendment Bill and to pass the same thereby providing for a establishment of a High Court for the State of Haryana."**

7. Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in section 41 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966) and Article 214 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolve that the Government of India may move an appropriate Bill for carrying out suitable amendment in the said Act and provisions of the Constitution. The House also earnestly urges the Parliament to take up an appropriate Bill to carryout suitable amendment in part-IV of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966) that is from sections 29 to 41 of the Act and provide for a separate High Court for the State of Haryana to be located at Chandigarh which is the Capital of the State of Haryana."

Mr. Speaker : Motion moved--

"That whereas the framers of the Constitution of India were candid of the issue that there should be a separate High Court for each of the States of Indian Union and for this specific reason they incorporated an Article 214 in Chapter V of the Constitution that there shall be a High Court for each State. The spirit and object of Article 214 of the Constitution has been meticulously and consistently followed inasmuch a separate High Court has been established invariably for each state.

2. And whereas the State of Haryana came into existence with effect from Ist November, 1966, by virtue of the provisions as contained in section 3 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966). Apparently, on account of certain unresolved territorial disputes between the State of Punjab and Haryana, Parliament, in its wisdom, enacted section 29 in Part IV of the Punjab Reorganization Act, 1966, whereby it established a common High Court for the State of Punjab, Haryana and Union Territory of Chandigarh. Even after, a long period of thirty-nine years has passed, there continues to be a common High Court. States like Himachal Pradesh and newly created State like Jharkhand, Chhattisgarh and Uttranchal which came into existence much later than Haryana, are having their own separate High Courts from the very day of their inception. Presently, except the seven eastern States falling under the jurisdiction of Guwahati High Court, there is no State in the country which is not having its own seperate High Court.

3. And whereas during this long, period, the interests of the State of Haryana have suffered manifold due to the common High Court. It is a matter of fact that Haryana has never been able to get its proportionate representation on the Bench as per the ratio of 60 : 40 between Punjab and Haryana. Even at present there are only eight Judges from Haryana out of twenty-nine Judges in position against the total sanctioned strength of 53. Similar is the case with the insufficient/under representation of the State of Haryana in the Bar. Had there been a seperate High Court, the disposal of the cases would have been much faster judicial system would have been further strengthened in the State.

4. And whereas the matter is taken up under section 41 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966), which is reproduced as under-

> **"41. Savings. - Nothing in this Part shall effect the application to the common High Court of any provisions of the Constitution,**

and this Part shall have effect subject to any provision that may be made on or after the appointed day with respect to that High Court by any Legislature or other authority having power to make such provision."

5. And whereas on 14th March, 2002, Haryana Vidhan Sabha adopted a resolution for the bifurication of Punjab and Haryana High Court and creation of a seperate High Court for the State of Haryana since the new Lok Sabha has come into existence with effect from 17th May, 2004, it is apt to take up the matter afresh with the new Parliament.

6. And whereas in pursuance of the above said objectives the Haryana Cabinet took up the matter in its meetings dated 23-11-2005 and resolved as under :--

"It was approved that a resolution be moved in the Assembly to request the parliament to take up the amendment Bill and to pass the same thereby providing for a establishment of a High Court for the State of Haryana."

7. Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in section 41 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966) and Article 214 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolve that the Government of India may move an appropriate Bill for carrying out suitable amendment in the said Act and provisions of the Constitution. The House also earnestly urges the Parliament to take up an appropriate Bill to carryout suitable amendment in part-IV of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central act 31 of 1966) that is from sections 29 to 41 of the Act and provide for a separate High Court for the State of Haryana to be located at Chandigarh which is the Capital of the State of Haryana."

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई तथा मुबारिकबाद देता हूँ कि हरियाणा को बने हुए 39 वर्ष गुजर चुके हैं और सरकार यह रैजोल्यूशन ले कर आई है। हालांकि यह रैजोल्यूशन इतना डिलेड और देर से आया है लेकिन देर आयद दुरूस्त आयद। **(इस समय चेयरपर्सन्ज की सूची में से माननीय सदस्य डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान पदासीन हुए)** चेयरमैन साहब, सरकार ने यह बहुत ही अच्छा काम किया और सरकार ने एक अच्छी शुरूआत की है। सच बात तो यह है कि आज भी औद्योगिक रूप से हरियाणा की ऑल राउण्ड तरक्की के लिए काम करने की जरूरत है। वैसे तो मैं कोई कन्ट्रोवर्शियल बात नहीं कहना चाहता लेकिन मेरी यह धारणा है कि हरियाणा प्रदेश की अपनी सैपरेट कैपिटल होनी चाहिए। यह बात मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि हरियाणा का हाई कोर्ट अगर सैपरेट हो जाएगा तो हरियाणा का चण्डीगढ़ से क्लेम खत्म हो जाएगा अगर खत्म न भी हो तो यह क्लेम

[एस०एस० सुरजेवाला]
कमजोर जरूर हो जाएगा। जो लोग इसका विरोध करने में लगे हुए हैं ये वही लोग हैं उसी पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने पिछले 40 साल के अन्दर न तो हरियाणा के पानी का फैसला होने दिया और न ही हरियाणा के अलग हाई कोर्ट का फैसला होने दिया। तीन चार इण्टरस्टेट ईशूज़ को आपस में एन्टैंगल करके ये लोग हरियाणा के हितों पर कुठाराघात करते रहे। सरकार ने आज जो शुरूआत की है उसके लिए मैं सरकार को मुबारिकवाद देता हूं। इसमें 2-3 ईशूज़ हैं जिन पर सरकार को विचार करना पड़ेगा। एक ईशू तो यह है जिस पर आज चर्चा आई है। हाई कोर्ट में इस समय हमारे केवल आठ जज हैं जबकि पंजाब के 29 जज हैं। मुझे सही गिनती तो पता नहीं हो सकता है 500 से लेकर 1000 के बीच क्लास-फोर, क्लास-थ्री, क्लास-टू और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ड्राईवर और चपड़ासी से लेकर रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट तक हरियाणा का नाममात्र का हिस्सा है। हरियाणा का जब कोई इम्प्लोई नहीं। हाईकोर्ट के जज बैठकर मुकदमें को सुनते हैं और उस पर कोई फैसला देते हैं जूडिशियल सिस्टम केवल इतना ही नहीं है। इसके अतिरिक्त इतने ज्यादा टायर ऑफ ऑफिसर्ज हैं कि कौन-सा केस कब लगेगा, कौन सा केस अर्जेन्टली टेकअप होगा, कौन सा केस किस बैंच में जाएगा, कौन सा मैटर देर से आएगा इन सारी चीजों का निर्णय हाई कोर्ट के जजिज़ नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों का फैसला करने के लिए हाई कोर्ट का बड़ा भारी स्टाफ होता है। चेयरमैन सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि रजिस्ट्रार टू डाउनवर्ड स्टाफ का अल्टीमेटली उन केसों की सुनवाई तथा उनके फैसले पर बड़ा भारी असर पड़ता है। हमारे लोगों को जल्दी तथा सही इन्साफ मिले इसके लिए यह जरूरी है कि हाई कोर्ट में न केवल जजिज़ हरियाणा के हों बल्कि बाकी का सारा स्टाफ भी हरियाणा का ही हो। यह मैं कहूँगा। इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट बनेगा तो नैचुरली हमारा स्टाफ होगा उसके लिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सैपरेट लिखने की जरूरत थी। दूसरे मैं यह कहना चाहूँगा कि इसमें लीगली कॉम्पलीकेशंज हैं वे ये हैं कि हरियाणा हाईकोर्ट अगर चण्डीगढ़ में होगा तो जोगरोफिकली ज्यूरिडिक्शन कैसी होगी। चेयरमैन सर, हाई कोर्ट कभी नोशनल तरीके से नहीं हुआ करती है और हाई कोर्ट का एक जोगरफिकल एरिया है और वह उसी एरिया के मुकदमें सुन सकते है। यह नहीं है कि वह किसी और एरिये के मुकदमें भी सुन सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह बात भी है कि अगर चण्डीगढ़ में हमारी हाई कोर्ट होगी तो यू.टी. के केसिज कहां जाएंगे। क्या पंजाब हाईकोर्ट सुनेगा या हरियाणा हाईकोर्ट सुनेगा या सिर्फ चण्डीगढ़ के लोगों को यह आजादी होगी कि वे किसी भी हाई कोर्ट में चले जाएं। हमारे हरियाणा के चण्डीगढ़ में जो इम्पलाई हैं और हरियाणा के लोग चण्डीगढ़ से बाहर के हैं मैं समझता हूँ कि इस ईशू को लीगली, कांस्टीयूशनली रिजोल्व करने की जरूरत है। हमारे हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में किसी भी जगह लोकेटिड हो ज्यूरिडिक्शन की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आज हमारी हाई कोर्ट हरियाणा से बाहर लोकेटिड है। गर्वनमैंट आफ इण्डिया को हरियाणा के ज्यूरिडिक्शन को कांस्टीच्यूशनली रिजोल्व करना पड़ेगा। चेयरमैन महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सैपरेट हाईकोर्ट न होने की वजह से हरियाणा का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि मैं नहीं समझता कि उसकी भरपाई कभी हो सकेगी। जो भी इसके लिए दोषी हैं और जिन्होंने यह बात नहीं सोची, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। आज सिस्टम यह है कि हमारे हरियाणा में हाई कोर्ट के जजिज बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस होने चाहिए वे हमारे यहां पर नहीं है। हरियाणा में सिर्फ डिस्ट्रक्ट बार है और वह भी यू.टी. के साथ कॉमन है तथा उसमें हमारी पोजीशन इन्फीरियर है। इसलिए हमारे वकीलों को साईन करने के मौके नहीं मिलते हैं।

उसका नतीजा यह है कि बहुत से वकील दिल्ली चले जाते हैं। चेयरमैन सर, अगर हमारी हाई कोर्ट होती तो इन 39 सालों के अर्से में हमारे एडवोकेट आज सुप्रीमकोर्ट में भी बैंच के ऊपर बैठे होते। आज बड़े ही अफसोस की बात है कि सुप्रीमकोर्ट की बैंच पर हरियाणा का कोई भी जज नहीं है। यह जो हम लोग लैग बिहाइंड रहे हैं यह जो डैफिशिएंसी है यह जो कमी है यह इसलिए है कि हमारी अपनी हाई कोर्ट नहीं थी, हमारी अपनी बार नहीं थी। चेयरमैन सर, हाईकोर्ट का, ज्यूरिसडिक्शन का, बार का बहुत ही महत्त्वपूर्ण विंग है। मैं केवल एम्फेसिज़ इस बात को करना चाहता हूं कि इसी प्रकार से हरियाणा की 39 सालों से अपना कैपीटल ही नहीं है। मैं तो यह कह सकता हूँ कि हमारी अपनी कैपीटल न होने की वजह से हरियाणा सोशली, एजुकेशनली, कलचरली, सब-सफियरली में पीछे रहा है। हिन्दुस्तान में एक ही स्टेट है जिसकी अपनी कोई कैपीटल नहीं है। We are the headless State. हमारा कोई भी सिर नहीं है। आज चण्डीगढ़ में कितने ही इन्टरनैशनल और नैशनल लैवल के इंस्टीच्यूशंज हैं। यहां पर बाहर से भी लोग आते हैं और वे एजुकेशन लेने के लिए वेरियस सब्जैक्टस में जैसे कि साईंस, आर्ट, मैडिशन इत्यादि है, में एडमिशन लेते हैं। लेकिन हरियाणा में इस तरह का कोई भी इंस्टीच्यूशन नहीं हो सकता है क्योंकि हरियाणा की अपनी कोई कैपीटल नहीं है। किसी भी प्रान्त की संस्कृति को, भाषा को और आर्ट को उभरने के लिये उस प्रान्त की कैपीटल ही ग्रोथ सैन्टर होती है। चेयरमैन सर, गालिब जीन्द, कैथल और रोहतक जैसी जगह पर पैदा नहीं हो सकते थे। आज जितने आर्टिस्ट और कल्चरिस्टस हैं जिन्होंने देश और पूरी दुनिया में शाईन किया है वह इसीलिए किया है क्योंकि उनकी अपनी कल्चर है। हरियाणा की अपनी कोई पोयट्री नहीं है, हरियाणा का अपना कोई लिट्रेचर नहीं है इसलिए हरियाणा में अपनी लैंग्वेज के बल पर कभी भी किसी ने शाईन नहीं किया है। अभी भी हम इतनी प्रिमेच्योरड स्टेज पर हैं। लिखने की जो भाषा है, संस्कृति की जो भाषा है, आर्ट की जो भाषा है उसके बारे में मैं अगर यह कहूं कि नैशनल लैवल का यहां से कोई आर्टिस्ट नहीं हुआ, नैशनल लैवल का प्रिन्टर नहीं हुआ और न ही हरियाणा की कोई नैशनल लैवल पर अपनी कोई स्टैज है तो यह गलत नहीं होगा। आज पंजाब के जो गायक हैं, राईटर्ज हैं वह इंटरनैशनल लैवल के इसलिए हैं क्योंकि लाहौर पंजाब की सैंट्रल कैपीटल हुआ करती थी उस समय पंजाबी शिक्षा, आर्ट और कल्चर का बहुत ग्रोथ हुआ और अब चण्डीगढ़ भी पंजाब की संस्कृति को ही आगे ले जाने में सहायक हुआ है। चेयरमैन साहब, मैं सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि हालांकि हम इस मामले में बहुत लेट हो चुके हैं लेकिन अब भी हरियाणा की अपनी कैपीटल हरियाणा में होना बहुत जरूरी है। जो इंटर स्टेट और दूसरे मसले हैं इनको हमें एक दूसरे से टाईअप नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल अलहदा होने चाहिएं। हरियाणा में पानी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एस.वाई.एल. कैनाल का मसला बहुत पहले ही रिज़ोल्व होना चाहिए था। आज भी अगर मैं यह कहूं कि चूंकि भाषाई इलाकों का फैसला नहीं हुआ है या हाई कोर्ट का फैसला नहीं हुआ है या कैपीटल का फैसला नहीं हुआ है तो पानी का फैसला भी नहीं हो सकता, यह ठीक नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वह हरियाणा के हितों का नुकसान कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, मैं आज यह भी कहना चाहूँगा कि हरियाणा और पंजाब के पंजाबी भाषी और हिन्दी भाषी जो टैरीटरीज हैं उनको तुरन्त टेकअप करने की जरूरत नहीं है। 25 साल के लिए यह इशू फ्रीज कर देने चाहिएं कि कौन सा इलाका कहां जाएगा। आज न तो हरियाणा के लोगों के दिमाग में यह बात है और न ही पंजाब के लोगों के दिमाग में यह बात है। पानी का मसला प्रायोरिटी पर होना चाहिए। इसी तरह से हाई कोर्ट भी अलग बनना चाहिए क्योंकि इससे हरियाणा के लोगों का फायदा होगा। यह एक मील का पत्थर साबित होगा। जब तक हरियाणा की कैपीटल नहीं बनती तब तक हरियाणा

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

शिक्षा और साईंस के जगत में पीछे ही रहेगा। हालांकि हरियाणा में जमीन की बहुत तरक्की हुई है क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने हरियाणा में जमीन का नक्शा पूरी तरह से बदला है। यहां पर सड़कें बनायी गयी हैं और हर जगह बिजली भी तथा इंडस्ट्रीज भी हैं लेकिन हरियाणा का जो ह्यूमन मैटीरियल है वह आज भी बहुत बैकवर्ड है, बहुत पीछे है इसलिए इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। चाहे कोई भी प्रान्त हो उसकी धरती का इतना नाम नहीं होता, हालांकि धरती भी महत्वपूर्ण है लेकिन किसी भी संस्कृति का नाम किसी जमीन के नाम पर नहीं है। यह ह्यूमनबिंग और इंसान ही हैं जिनका नाम होता है। इसलिए हरियाणा के इंसान को जागृत करने के लिए, दुनिया के लैवल पर लाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि सरकार को ह्यूमन मैटीरियल पर सबसे ज्यादा एमफेसिज करना चाहिए। जब तक हमारी अपनी कैपीटल नहीं होगी तब तक हरियाणा में कल्चर और शिक्षा की ग्रोथ नहीं हो सकती है। कैपीटल ही इन चीजों का ग्रोथ सैंटर हो सकता है। चेयरमैन साहब, इन सारी बातों के साथ अंत में मैं इस प्रस्ताव का स्पोर्ट करता हूं और सरकार को एक बार फिर इसके लिए मुबारिकबाद देता हूं। धन्यवाद।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : चेयरमैन सर, सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव हरियाणा का अलग से नया हाई कोर्ट बनाने और केन्द्र सरकार को इस बारे में सिफारिश करने के लिए हमारी सरकार ने सदन में पेश किया है। चेयरमैन सर, मैं इस प्रस्ताव पर बोलने से पहले Just to strengthen the record सर, मैं यह कहना चाहूँगा कि बड़े खेद की बात है कि हम नॉन ऑफिशियल-डे पर कोई प्रस्ताव, कोई बिल जिसकी ज्यादातर जिम्मेदारी उन विधायकों पर है जो अपने आपको बड़ा ही इनलाइटन समझते हैं, बड़ा प्रौग्रेसिव मानते हैं, सदन की कार्यवाही में गहन रुचि रखते हैं, खासतौर से विपक्ष के सदस्यों से यह तवक्को की जाती है कि वे कम से कम नॉन आफिशियल डे पर सरकार की नीतियों के लिए जो उनको ठीक नहीं लगती उन पर वे अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई न कोई प्रस्ताव लेकर आएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी हार्दिक इच्छा थी कि नॉन ऑफिशियल डे नॉन ऑफिशियल ही रहे लेकिन विपक्ष की कमी की वजह से हम यह प्रस्ताव नॉन आफिशियल-डे पर लेकर आए। इस प्रस्ताव का महत्व भी उतना ही है जितना नॉन ऑफिशियल-डे पर हो सकता है। यह सही है कि यह सरकारी बिजनैस का हिस्सा है क्योंकि यह प्रस्ताव सारे सदन का प्रस्ताव है। अपनी बात कहने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज विपक्ष में जो साथी बैठे हैं चाहे इनैलो के साथी हैं या बी.जे.पी. के हैं ये आज से दो साल पहले सत्तापक्ष में बैठते थे, ये भी एक ऐसा ही प्रस्ताव इस सदन में लेकर आए थे। जहां तक मेरा अपना ज्ञान है उसके अनुसार उस वक्त की हरियाणा सरकार को कहा गया था कि आप ऐसा प्रस्ताव लेकर आएं, हम यह चाहते हैं कि हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बने। इस प्रस्ताव को न लाने के क्या कारण बने, हो सकता है कि बी.जे.पी. केन्द्र में दूसरे दलों से मिलकर एन.डी.ए. के रूप में सरकार चला रही थी और यहां इनैलो की सरकार थी जो कि बी.जे.पी. के साथ मिलकर यहां सरकार चला रही थी, उनके आपसी मतभेद की वजह से हो सकता है उन्होंने यह काम न किया हो लेकिन यह काम निहायत ही जरूरी था जैसे सुरजेवाला जी ने कहा, वे यह काम नहीं कर सके और हमने यह बात महसूस की कि अब केन्द्र में भी सरकार यू.पी.ए. की है और हरियाणा में भी सरकार बदली है और कांग्रेस की सरकार आई है, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हैं। बहुत से साथी जो कैबिनेट के मैंबर और पेशे से वकील हैं राजनीति में आने के बाद मैं नहीं मानता कि वे अपने पेशे के साथ उतना इंसाफ कर पाते हों जितना बिना राजनीति में आए कोई अच्छा वकील कर सकता है। फिर भी हमारी इच्छा थी और हम अपने ऐडवोकेट साथियों की भावना से अच्छी तरह से परिचित थे और चाहते थे कि हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बने। राजनीतिक रंग की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हरियाणा का अलग हाई

कोर्ट बनने से यह कहना कि हमारा चंडीगढ़ पर क्लेम खत्म हो जाएगा या कमजोर पड़ जाएगा या चंडीगढ़ के अलावा हमारे दूसरे जो दोनों स्टेट्स के मुद्दे हैं, उनको हल करने में कोई दिक्कत आएगी यह गलत होगा। हम एस.वाई.एल. पर पूरा जोर नहीं लगा सकेंगे। हमारी जो अपनी टैरीटरी, हिंदी स्पीकिंग एरिया और अबोहर-फाजिल्का के इलाके की मांग में है उस में कमजोरी आ जाएगी, यह विपक्ष के साथियों का 30 साल के इलैक्शन का हथियार रहा है। जब कांग्रेस के खिलाफ भावनात्मक रूप से वोटर को अपनी तरफ करने का कोई जरिया नहीं होता था तो एस.वाई.एल. और चंडीगढ़ का सहारा लेकर ये अपनी राजनीति करते आ रहे थे, कांग्रेस ने कभी ऐसी राजनीति नहीं की। हमने हमेशा से यह प्रयास किया है कि जो भाईचारा पंजाब और हरियाणा में है वह कायम रहे। हम किसी भी मुद्दे का बैठकर फैसला कर सकते हैं। जब भी बैठने का प्रयास किया इन्होंने मोटीवेट करके उसको एट्रीब्यूट करने का प्रयास किया। बड़ी आसानी से यह लोग कह जाते हैं कि अब तो आपकी पार्टी के कैप्टन अमरिन्द्र सिंह जी की सरकार पंजाब में हैं और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसके मुखिया डॉ० मनमोहन सिंह जी हैं अब आप कुछ करके दिखायें। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि जब आप यहां सत्तासीन थे और पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी मुख्यमंत्री थे और केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी जो कि इन के दम पर चलती थी। एन.डी.ए. की सरकार ने सौदा करके इनको स्टेट में लाईसैंस दिया हुआ था कि अपने पांच एम.पी. हमें दे दीजिए और स्टेट में जो चाहे जितनी चाहे लूटपाट करें। इस अण्डरस्टैंडिंग के साथ इन्होंने 5 एम.पीज. का समर्थन देकर उनको गिरवी रखा और हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर सके (विघ्न)।

डॉ० सुशील इन्दौरा : चेयरपर्सन सर, इस गिरवी शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सर, इस शब्द के बारे में आप चाहें तो आर.एण्ड डी. भेजकर रिसर्च करवा सकते हैं। अगर फिर भी यह शब्द गलत हो तो आप इस शब्द को कार्यवाही से निकाल देना।

श्री सभापति : इन्दौरा साहब, गिरवी शब्द अनपार्लियामैंटरी नहीं है आपकी पर्ची मेरे पास आई हुई है आपको बोलने का समय दिया जायेगा Do not be impatient. Have patience. आप अपने नम्बर पर बोलना। जब आपका नम्बर आयेगा तो आपको बोलने का समय दिया जायेगा।

डॉ० सुशील इन्दौरा : चेयरपर्सन सर, इस गिरवी शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। इसलिए मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : चेयरपर्सन महोदय, कहने का अभिप्राय: यह है कि मेहरबानी करके ये लोग इस वोट की राजनीति को बस्ते में बन्द रखें अभी समय नहीं है। अब कम से कम चार-पांच साल तक तो ऐसी राजनीति न करें। इन्दौरा साहब, जब आपका समय आये तब ऐसी राजनीति कर लेना। मुझे इस बात का अफसोस है कि जब ये मार खा जाते हैं तब ऐसा सोचते हैं लेकिन जब सोचने का समय होता है तब नहीं सोचते। पार्लियामेंट के चुनाव में मार खाने के बाद इन्होंने हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश की और आज ये उस नीति का प्रोटैस्ट कर रहे हैं, वाक आउट कर रहे हैं और यह कहते हैं कि इस बिल को निरस्त कर दिया जाये। माननीय साथी ईमानदारी से बतायें कि इन्होंने चार साल पहले हरियाणा के नौजवानों को रोजगार देने की कोशिश क्यों नहीं की। विधान सभा के चुनाव के 6 महीने पहले इनको कैसे याद आ गया। ये सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते थे। (विघ्न)

Mr. Chairperson : Balwant Singh Ji, no commentary be made while

[Mr. Chairperson]
sitting. आपको तो काफी तजुर्बा है, कोई भी सदस्य बैठे-बैठे कामैन्ट्री न करे। Do not waste the time of the House.

श्री बीरेन्द्र सिंह : चेयरपर्सन महोदय, मेरी गुजारिश है विपक्ष के भाईयों को किसी बात को तो ऐप्रिशिएट करना चाहिए। क्या वे यह नहीं चाहते कि आपके बच्चे, आपके भाई जो कोर्ट में बैठते हैं उनको हाई कोर्ट के जजिज बनने का हक मिलना चाहिए। जैसे सुरजेवाला जी ने कहा कि हजारों ऐसे इम्पलाईज हाई कोर्ट में है। मैंने यह भी माना है कि पिछली सरकार द्वारा हाई कोर्ट सैपरेट करने की मांग का जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था उस प्रस्ताव को पास करने के लिए भारत सरकार ने मना कर दिया था। इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी के और बी.जे.पी. के आपसी संबंध खराब होने से इनैलो पार्टी हरियाणा में भी अपनी साख खो बैठी। इनैलो पार्टी को चाहिए था कि जब लोक सभा में हार हुई तो इनके जो पांच लोकसभा और राज्य सभा के सदस्य थे उनको ये बगावत करने को कहते। लेकिन इनैलो पार्टी ऐसा नहीं कर सकी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज अलग हाई कोर्ट होगा तो कई हजार हमारे वकील साथी हैं उनको नये सिरे से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और हाई कोर्ट के जजिज बनने का मौका मिलेगा। सैशन जजिज जो सिर्फ हरियाणा में सर्व करते हैं जब उनको हाई कोर्ट में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना होता है तो उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। मैं यह भी कहता हूँ The lawyers who are practicing at Chandigarh they may claim himself to be domicile of Haryana. But still the lawyers those who are sitting in the district courts, I don't think, that their percentage may be very high but at least 5% of the lawyers in every district headquarter, they may be brilliant cases but they do not see any ray of hopes to be elevated to the posts of judges. Speaker Sir, they may not try. If we have a separate High Court तो उन लोगों को एक मौका मिलेगा, उनके लिए एवेन्यूज खुलेंगे, एक और अंदर की बात आज मैं आपको बता रहा हूँ जो शायद पब्लिक में डिबेट न बने। हरियाणा का जो वकील है जो हरियाणा की पृष्ठभूमि से आता है उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह इतना अच्छा वकील नहीं हो सकता क्योंकि उसको धाराप्रवाह इंगलिश बोलनी नहीं आती। उनके केस की प्रेजैंटेशन ठीक नहीं होती, डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं होती, उसका कोलोनियल एक्सैंट है। ये सारी बातें हम पर एट्रीब्यूट की जाती हैं। लेकिन आज से 70-75 साल पहले श्री शादी लाल प्रिवी कौंसिल के जज बन सकते थे जो रिवाड़ी के रहने वाले थे, आज से 35 साल पहले जस्टिस तेवतीया जज बन सकते थे लेकिन उनकी भी बेसिक बैक ग्राउंड रूरल थी इस कारण उन के नाम पर स्टोप लगवाया। स्टोप क्यों लग गया। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों कोई नहीं बन सका। ये जो सारी बातें हैं इनमें सबसे बड़ा डिसइन्सैंटिव यह था कि हम रूरल बैकग्राउण्ड से चंडीगढ़ के इन्वायर्नमैंट में आ गए, हमको दो नम्बर का वकील समझा गया, जज एलीवेट होने की हमारी 2 नम्बर की तस्वीर बनती गई। कितने ऐसे नाम लूं, हवा सिंह हुड्डा जी जो आज हमारे एडवोकेट जनरल हैं His name was recommended at least half a dozen of times by Ch. Bansi Lal and other Governments but the man was denied of his right. यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारा अपना हाई कोर्ट नहीं था। हमारे भाई कर्ण सिंह दलाल जी यहां बैठे हैं। हमारे साथियों ने बगावत का झंडा उठाया जो इस विधान सभा के सदस्य थे उन्होंने बगावत इस बात के लिए की थी पार्लियामैंट डैमोक्रेसी नार्म्स को गेट किया जा रहा था उनका गला घोंटा जा रहा था Some of the MLAs decided to raise revolt against the then Government. उनको सिर्फ सदन में बोलने के लिए सजा हुई। Mr. Chairperson

Sir, I have all respects for the Chair. One fine morning the decision came that you are expelled and you are no more Member of the Legislative Assembly because their fault was that they were raising the revolt against the then Government. Mr. Chairperson Sir, to raise a revolt against the Government is not a crime. If we would have our separate High Court, I am sure, जो सजा और जिस तरीके का न्याय हमारे साथियों को मिला वह नहीं मिल सकता था बल्कि हरियाणा की जनता को उस समय की जालिम सरकार से एक साल पहले छुटकारा मिल सकता था। न्याय प्रक्रिया ऐसी रही कि हमारे सवा दो करोड़ लोगों को जो इन्साफ मिलना चाहिए था वह इन्साफ नहीं मिल सका। आज मौका है और मैं कहूँगा कि हम होई कोर्ट की कार्य प्रणाली पर बात करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। Mr. Chairperson Sir, this is not disrespect to the High Court. मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जिस तरीके से कैप्टन अमरेन्द्र सिंह, प्रकाश सिंह बादल और उस समय के गवर्नर ने मिलकर हमारे अधिकारों का हनन किया, जो समझौता था उसको एब्रोगेट करने का कानून पास कर दिया और 6 घण्टे में गवर्नर के भी दस्तखत हो गए, हरियाणा के हितों पर कुठाराघात हुआ, लेकिन इन लोगों ने उफ तक नहीं किया, मुझे इस बात पर शर्म आती है। Mr. Chairperson Sir, I am confident यदि हमारा अपना हाई कोर्ट होता तो हमको इन्साफ मिलता, उस कानून पर पाबंदी और बंदिश लगती, एब्रोगेशन का उनका जो इरादा था वह कामयाब नहीं हो सकता था। ये हाई कोर्ट के फायदे हैं, जो कि लोंग रन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं शमशेर सिंह सुरजेवाला जी की बात से इसलिए भी सहमत हूँ कि जब तक अलग हाई कोर्ट नहीं होगा जब तक अलग कला का केन्द्र नहीं होगा तब तक हम इन फायदों से वंचित रहेंगे। सभापति महोदय, मुझे अभी तक इस बात का पता नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में कोई ऐलान किया है या नहीं हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली के अन्दर हम अपना आर्ट एण्ड कल्चर का सैंटर खोलें। आर्ट एण्ड कल्चर को विकसित करने के लिए दिल्ली में हमारे पास जो जमीन है उस पर कला संग्रहालय स्थापित करने के लिए हम उस जमीन का प्रयोग करेंगे। सभापति महोदय, कला केन्द्र खोलने का मतलब क्या है, इस प्रकार का केन्द्र कला का सूत्रधार होता है। कला को विकसित करने के लिए उसकी एक जगह होती है, कोई मठ होता है, कोई स्थली होती है जहां से कला का फव्वारा छूटता है, जहां कला एवं संस्कृति उगती हैं, जहां संस्कृति का विकास होता है और सभ्यता में एक मेच्योरिटी आती है। इस विकसित सभ्यता का असर आम जनता पर होता है। यह बात हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश की स्थिति यह नहीं रही। अगर हमारे असली कल्चर का कोई सैंटर रहा है तो वह दिल्ली था लेकिन दिल्ली की आज एक अलग पहचान इसलिए हो गई है क्योंकि वह भारत की राजधानी बन गया है। वहां की संस्कृति सारे देश की संस्कृति का मिश्रण हो गई है और उस संस्कृति के मिश्रण को हम अपनी संस्कृति नहीं मान सकते हैं। यह बात सही है कि हमारी अपनी संस्कृति कभी पनप ही नहीं पाई। सभापति महोदय, आज हम पंजाबी का रि-मिक्स टैलीविजन पर देखते हैं उस एक्सैपटिब्लिटी तो उन लोगों में भी है जो अपने आप को म्यूजिक और गाने में एडवांस समझते हैं। पंजाब के लोगों ने अपने गाने से अपने म्यूजिक से लोगों को कन्विंस कर दिया है कि अगर आप लोग हमारा रि-मिक्स करेंगे तो आपको व्यावसायिक लाभ होगा। इस बारे में हमारी क्या हालत है, मुझे मुआफ करना मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आज भी हम अपनी रागनी उसी मटके पर ट्यूब लगा कर और फटफट करके गाते हैं और उसका मजा लेते हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई है लेकिन हमारे गाने के जो इंस्ट्रूमैंट्स हैं जिनसे आज हम हरियाणा प्रदेश में मनोरंजन लेते हैं वे आज भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं जो कि प्रिमेटिव ऐज के होते थे। सभापति महोदय, हमारे ये इंस्ट्रूमैंट्स बदले क्यों नहीं इसका

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

कारण यह है कि हमारी अपनी कला और संस्कृति की कोई धुरी नहीं है। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में कानून का कोई सैंटर नहीं है जिस कानून के सहारे एक गरीब आदमी को विश्वास हो कि वह समाज में बिना किसी डर के रह सकता है बिना किसी भय के रह सकता है। इस कानून में इन्साफ होते-होते पता नहीं कितना समय लग जाता है और जब इन्साफ देर से मिलता भी है तो उस इन्साफ की कोई अहमियत नहीं रहती उसकी कोई इम्पोर्टैंस नहीं रहती है। जब आप यह समझते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनानी जरूरी हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्या अर्थ है जबकि इस समय करीब दो करोड़ से ज्यादा केसिज कोर्ट्स में पैंडिंग पड़े हैं। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट और दूसरी कोर्ट्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी तो लोगों को जल्दी इन्साफ मिलेगा लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मतलब है कि जहां पर दोनों पार्टीज की कन्सैंट हो लेकिन हर जगह दोनों पार्टीज की कन्सैंट नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ कि जब हमारा अलग से हाई कोर्ट बनेगा तभी कोई कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर काम करेगी और हमारे हरियाणा के नागरिकों को जल्दी इन्साफ मिलेगा तथा सही इन्साफ मिलेगा सही समय पर इन्साफ मिलेगा वरना आज आप महसूस करते हैं कि और लेबर कोर्ट्स बनें और कन्ज्यूमर कोर्ट्स बनें। आप यह महसूस करते हैं कि हाई कोर्ट में इतना काम हो गया है कि वे उस सारे काम को सही रूप से नहीं चला सकते हैं। सभापति महोदय, मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि लोगों को जल्दी न्याय मिलना चाहिए Justice delayed is justice denied. अगर लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा तो लोगों में न्यायपालिका के प्रति श्रद्धा और विश्वास होगा तथा उनमें एक ऐतबार पैदा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह चाहूँगा कि यहां पर सिर्फ नया हाई कोर्ट बनाने का रैजोल्यूशन ही पास नहीं होना चाहिए इसके साथ-साथ हमें भारत सरकार को टाईम बाउन्ड तरीके से यह कहना चाहिए कि इस पर अमल करना जरूरी है। चेयरमैन सर, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस देश के हर राज्य का संविधान के अन्तर्गत अलग-अलग हाई कोर्ट होना चाहिए। गोआ की पॉपूलेशन शायद 14 लाख के करीब होगी और उनकी भी अपनी अलग से हाई कोर्ट है। इसके अलावा जो राज्य कल ही बने थे, उनकी भी अलग से हाई कोर्ट है। चेयरमैन सर, किसी ने यह कहा है कि हो सकता है अगर हमारी चण्डीगढ़ में हाई कोर्ट न हो तो हमारा चण्डीगढ़ पर क्लेम कम हो जाएगा। मैं यह कह सकता हूँ कि लखनऊ यू.पी. की राजधानी है लेकिन उनका हाई कोर्ट इलाहाबाद में है और यह अब से नहीं है बल्कि 100 सालों से है। चेयरमैन सर, ऐसे बहुत से एरिए हैं, कितने ही ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिनकी राजधानी कुछ और है और उनकी हाई कोर्ट कहीं और है। गोहाटी असम की राजधानी है और उनका हाई कोर्ट भी दूसरी जगह पर है। चेयरमैन सर, मेरा यह कहना है कि चण्डीगढ़ से बाहर हमारा हाई कोर्ट होने की वजह से चण्डीगढ़ पर हमारा क्लेम कमजोर हो जाएगा मैं इस बात को नहीं मानता। यह हमारी पार्टी की प्राथमिकता है और हमारी पार्टी इस बारे में स्टैंड लेती रही है। चौधरी शमशेर सिंह जी ने जो कहा है हमारी इनसे सहमति है और मैं इस बात की ताईद करता हूँ कि अगर हम सब ईशूज को लेकर पंजाब से समझौता करना चाहेंगे या निपटारा करना चाहेंगे तो वह कभी नहीं हो सकता है। हमारा दृढ़ निश्चय है कि इन सब मामलों को डि-लिंक किया जाए और डि-लिंक में the very first beginning should be the separate High Court which is more easy for us. सर, दूसरी बात हमने यह भी कही है कि एस.वाई.एल. हमारी प्राथमिकता है। पहले एस.वाई.एल. का फैसला हो फिर चण्डीगढ़ का फैसला होना चाहिए कि चण्डीगढ़ हरियाणा की राजधानी रहेगा या पंजाब की राजधानी रहेगा। हम बिल्ली और कबूतर की बात करें और अपने हितों का बलिदान देते रहें, यह नहीं हो सकता है। दो राज्यों की राजधानी एक शहर में हो यह नहीं हो सकता है। यह बात निश्चित तौर पर है, पंजाब को पटियाला जाना पड़ेगा या आपको कहीं और जाना पड़ेगा। इस बात से यह नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग

कमजोरों सी बात करने लग गए हैं। मैं कमजोर की बात नहीं करता लेकिन हकीकत यही है और हकीकत से हम भाग नहीं सकते हैं। चेयरमैन सर, पटियाला का मोतीबाग हिन्दुस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे बड़ा खेल का सैन्टर है। लेकिन हमारे हरियाणा में वैसा सैन्टर आज तक नहीं बन सका है क्योंकि हमारा हमेशा राजधानी का मामला खड़ा रहा है। हमारी अपनी राजधानी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्पोर्टस का टैलेंट है हम उसको उभारें। लेकिन जब तक हमारा कोई स्पोर्टस का अपना सैन्टर नहीं होगा तब तक हम शहरों में से या कस्बों में से या गांवों में से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पैदा नहीं कर सकते हैं। पंजाब के बटाला में हॉकी की जो नर्सरी है वह सभी प्रकार के लोजेस्टिक से सुसज्जित है, ऐक्विपड है जो कि इन्टरनैशनल प्लेयर बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। आज उसका दुनिया में नाम है। आज ऐसे ही स्पोर्टस के ढांचे को विकसित करने के लिए हमें अपने फैसले आप लेने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम किसी पर भी निर्भर नहीं करेंगे।

चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम कई बातों को पहले दकियानूसी तरीके से सोचते हैं। हमारी सोच का यह हिस्सा बनना चाहिए कि जो किसाऊ डैम और लखवार डैम बनने हैं, वे डैम आपको इतना पानी दे सकते हैं जितना कि आपको एस.वाई.एल. से राउंड दि ईयर भी नहीं मिल सकता है। ऐसे आल्टरनेटिव जब आप पहले से ही सोच कर रखेंगे तभी आप लोगों के लिए समान इन्साफ की बात कर सकेंगे। हम सिर्फ वोटों की राजनीति तक ही सीमित रहेंगे तो हम लोगों को उनकी सही पहचान नहीं दे सकेंगे। हरियाणा की सभ्यता की, कला की और संस्कृति की सही पहचान तब ही बनती है जब हम दुनिया की कला से, संस्कृति से मुकाबला करने के लायक हों। बड़े अचम्भे की बात है कि हरियाणा के बच्चे अपने यहां से निकल कर मुम्बई में जाकर अच्छे मॉडल बने हैं। आज हरियाणा के बच्चे अगर मॉडल के नाम पर नम्बर वन हैं तो वह इसलिए क्योंकि वे हरियाणा से बाहर चले गए। लेकिन उनको मौका तब मिलता है जब वे यहां से बाहर चले जाते हैं। हरियाणा में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिससे कि हम उन बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कोई सीख और सुविधाएं दे सकें। ऐसी बात क्यों है ? हमारे अंदर प्रतिभा है हमारे अंदर खेलों में एक्सल करने की प्रतिभा है। हमारे अंदर बॉम्बे नगरी जिसको बालीवुड भी कहा जाता है, पर कब्जा करने की क्षमता है। ऐसा करके पैसा भी कमाया जा सकता है लेकिन ऐसा तभी होगा जब हमारे बच्चों को समय पर मौके मिलें। संस्कृति के क्षेत्र में भी वही लोग आगे पहुँच सके जो यहां से चले गए। जैसे पंडित जसराज हैं वह हरियाणा के ही हैं। वे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में नम्बर वन हैं। वे बाहर इसलिए गए क्योंकि हरियाणा में अपना इस तरह का कोई सैंटर नहीं था। सभापति महोदय, नेता भी वहीं बड़े बन सके जो यहां से बाहर चले गये। चाहे पंडित भगवत दयाल जी हों या सर छोटूराम जी हों। हम कुएं के मेंढक ही रहे तथा बड़े नेता भी नहीं बन सके। (विघ्न) इंदौरा साहब, अगर आप एम.बी.बी.एस. न होते तो आप भी एम.पी. या विधायक नहीं बनते। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का चौटाला जी की पार्टी में कोई भविष्य नहीं होता। सभापति महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि हम इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करें।' जब हम एस.वाई.एल. पर सर्वसम्मति रख सकते हैं। जब हम कन्या भ्रूण हत्या की बात पर एकमत रख सकते हैं, जब हम हरियाणा के विकास के लिए सर्वसम्मति रख सकते हैं और दूसरी बातों के लिए सर्वसम्मति रखते हैं तो जो एक पिलर है जो एक स्तम्भ है वह जूडिशियरी है इस पर भी हमें सर्वसम्मति रखनी चाहिए क्योंकि इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों की तरक्की का एक रास्ता खुलेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उच्च पदों तक जा सकेंगी। हमारे बच्चे भी अच्छे अधिवक्ता बन सकेंगे और उनकी भी अपनी पहचान सारे देश में होगी। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूँगा कि इस प्रस्ताव को सारे सदन को ध्वनिमत से, सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : मेरी सभी स्पीकर्ज से यह रिक्वैस्ट है कि वे बोलने के लिए पांच मिनट से ज्यादा न लें क्योंकि बोलने वाले मैम्बर्ज बहुत हैं। अब श्री शादी लाल बत्तरा बोलेंगे।

श्री शादी लाल बत्तरा (रोहतक) : सभापति महोदय, 1947 में देश का विभाजन हुआ और उसके बाद देश में भाषा के आधार पर प्रदेशों का गठन हुआ। 1947 से लेकर 1966 तक आज जो हरियाणा का एरिया है वह पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उस वक्त हरियाणा के लोगों में यह भावना आयी कि हमारा पूरी तरह से विकास नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे हिस्से का पैसा हमारे एरिया में न लगकर पंजाब के एरिया में ज्यादा लग रहा है। इसके बाद एक आन्दोलन चला और उसके बाद भाषा के आधार पर 1966 में हमें अपनी स्टेट बनाने में कामयाबी मिली। इसके बाद पंजाब और हरियाणा दो स्टेट बनीं। सभापति महोदय, संविधान में हर स्टेट को अधिकार है कि उसकी अपनी कैपीटल हो, उसका अपना हाई कोर्ट भी हो लेकिन हरियाणा को न तो इंडीपैंडैन्ट कैपीटल मिली और न ही अलग हाई कोर्ट मिला। इसके अलावा क्षेत्रों का भी विवाद था। कुछ पंजाब का एरिया हरियाणा को नहीं मिला और न ही पंजाब से पानी हरियाणा को मिला। उस समय यही कहा गया कि हाई कोर्ट इक्ट्ठी ही रहेगी और इसमें जजों का रेशो 60 और 40 का रहेगा तथा कैपीटल भी यहीं पर रहेगी। तब से लेकर आज तक बहुत सरकारें बनीं लेकिन किसी सरकार ने भी अलग कैपीटल बनाने के लिए, अलग हाई कोर्ट बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। मैं सबसे पहले चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सोच चलायी कि हरियाणा के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए तथा हरियाणा के लोगों की जो सोच है वह पूरी होनी चाहिए।

12.00 बजे

इसलिए आज यह प्रस्ताव सरकार लेकर आई। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव सिर्फ प्रस्ताव नहीं रहेगा। बल्कि इस पर आगे कार्यवाही भी होगी और उस कार्यवाही के लिए आज हमारे हरियाणा के वकील भाई या हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात के लिए तैयार है कि जो भी लीडर इस बात का आह्वान करेंगे, हम उनके साथ चलेंगे और अपने आंदोलन के द्वारा अपना हक लेकर रहेंगे। सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक छोटा पेड़ एक बड़े पेड़ के नीचे उग नहीं सकता, विकसित नहीं हो सकता। आज मेरे काफी सारे भाइयों ने कहा कि हम हाई कोर्ट में तो बैठे हैं, लेकिन हमें हमारे पूरे अधिकार नहीं मिल रहे। जितने जजिज होने चाहिएं थे, वे नहीं हैं, जितने दूसरे कर्मचारी होने चाहिए थे वे नहीं हैं। हों भी कैसे। ये प्रजातंत्र है, जब भी वहां उनकी मीटिंग होती है हैड काउंट हो जाते हैं और हैड काउंट होकर एक प्रस्ताव आ जाता है कि यह नहीं होना चाहिए और यह होना चाहिए। ऐसे में सिवाय बर्दाशत करने के और कोई चारा नहीं होता। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है और वह सीमा अब खत्म हो चुकी है। मैं चाहूँगा और सदन से अनुरोध करूंगा कि यह जो प्रस्ताव आया है यह सिर्फ यूनानिमसली पास ही नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें भावना भी व्यक्त होनी चाहिए कि हमें इस बात को लागू कराने से पहले जो भी हमें करना होगा वह कार्य करेंगे। सभापति महोदय, अगर सैपरेट हाई कोर्ट होती है और सैपरेट कैपीटल होती है तो हमें क्या फायदे होंगे उन फायदों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपने मुझे पहले ही समय की सीमा में बांध दिया है। मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि जब कोई आदमी इंडिपैंडैंट होता है उसके कंधों पर बोझ होता है वह सोचता है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए मेरे कंधों पर बोझ आया है और उसको पूरा करने के लिए उसकी सोच बढ़ती है और कार्यवाही भी बढ़ती है। आज हरियाणा सरकार अगर इस बात में कामयाबी लेती है कि हरियाणा हाई कोर्ट अलग हो जाए तो उसमें यह होगा कि हरियाणा प्रदेश के लोग यह समझेंगे कि हम अपने आप में पूरी तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन करने में सक्षम हो गए हैं। हमारी

हाई कोर्ट में हमारे भाई बैठे हैं और वे भी इंसाफ करेंगे वह ठीक होगा और हमें किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हमारे हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों को इम्प्लौयमैंट मिल जाएगी और इन सब बातों से बढ़कर हमारा आत्म सम्मान बढ़ेगा। आज हममें आत्म सम्मान नहीं है। आत्म सम्मान क्या है आज हम कहते हैं कि जनरल हाई कोर्ट है, हमारा तो वहां कोई है नहीं। हमारे तो 8 जजिज हैं। हमारा अपना हाई कोर्ट बनने से जज कोई भी बने वह हरियाणा का सपूत होगा और वह हरियाणा प्रदेश के लोगों को इंसाफ देने के लिए आगे चलेगा। जब स्टेट्स बनी थीं, राज्यों का गठन और पुनर्गठन हुआ था तब यह कहा जाता था कि प्रदेश जितना भी छोटा होगा उसकी ऐडमिनिस्ट्रेशन उतनी ही अच्छी होगी। अगर ये हाई कोर्ट दो बन जाते हैं तो हरियाणा का जो बैकलॉग 1986 का है वह बड़ी जल्दी खत्म होगा। आज यह स्थिति है कि अगर कोई केस डाला जाता है तो उसकी 12 साल बाद सुनवाई होती है और justice delayed is justice denied वाली बात हो जाती है। हमारे यहां के लोगों में जिनमें विवाद काफी हैं जिन पर मुकदमें चल रहे हैं उन मुकदमों का फैसला जल्दी होने का सबब बन सकता है। इन मुकदमों का फैसला जल्दी करने का एक ही तरीका है वह यह है कि हमारा अलग हाई कोर्ट बनें। दूसरी बात जब हम अपना हाई कोर्ट अलग कर देंगे उसके बाद हाई कोर्ट कहां हो, हाई कोर्ट का बैंच कहां हो, यह तय हो जाएगा। आज जैसे प्रस्ताव आ रहा है कि हाई कोर्ट का बैंच अभी तो यहीं चण्डीगढ़ में ही हो लेकिन एक दिन हमें यह सोचना होगा कि कैपीटल कहां जाए। हिंदीभाषी जो एरिया है वह हमें कब मिलेगा, वह हमें सोचना होगा लेकिन वह बाद की बात है। आज हम सारी ताकत इस बात पर लगाएं कि हमारा अलग हाई कोर्ट हो और उसकी बैंच अभी चंडीगढ़ में ही रहे। विपक्ष का यह कहना कि हाई कोर्ट अलग हो कर चण्डीगढ़ से कहीं और चला गया तो हम चण्डीगढ़ पर अपना हक छोड़ देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इससे हमारा हक नहीं जाता। इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और सदन से व हरियाणा की जनता से आह्वान करता हूँ कि अब समय आ गया है, अब हमें जागरूक होकर अपने अधिकार लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और इस फैसले को लागू करने के लिए हमारे लीडरान आह्वान करेंगे उस पर चलकर फैसले को लागू कराने के लिए पूरा साथ देंगे। धन्यवाद।

राजस्व मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि एक ऑफिशियल रैजोल्यूशन सदन में लाया गया है। यह बहुत जरूरी था। मैं यह समझता हूँ कि हमारी पार्टी का जो मेनीफैस्टो था उसमें भी हमने यह बात कही थी कि हमारा सैपरेट हाई कोर्ट हो, सैपरेट कैपीटल हो। हर गवर्नमैंट का यह फर्ज बनता है कि जो पार्टी मेनीफैस्टो में बात रखी जाए उसको अमल में लाया जाए। इस प्रकार का रैजोल्यूशन पिछली सरकार द्वारा भी लाया गया था इस बारे में आप सभी जानते हैं। अब नई लोकसभा एस्टैबलिश हो चुकी है इसलिए यह रैजोल्यूशन लाना जरूरी था। मैं खुद भी लॉ ग्रेजुएट हूं और मेरे पिता जी भी लॉ ग्रेजुएट थे। इसलिए मैंने यह देखा कि यह बात बिल्कुल सही है कि कोर्ट में जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनको बहुत सफर करना पड़ता है because of not having a separate High Court. आज हरियाणा के हाई कोर्ट में केवल आठ जजिज हैं जोकि एक बहुत ही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हाई कोर्ट में हमारे साथ किया गया है। इस प्रकार जो हमारे प्रदेश के टेलैंटिड एडवोकेट्स हैं उनको आगे आने के लिए अवसर नहीं मिलते। हमारे एडवोकेट को जजिज बनाने में कतराते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उनको इस प्रकार का मौका मिलना चाहिए। जब हाई कोर्ट में जजिज बनाये जाते हैं तो हरियाणा के साथ टोटल डिस्क्रिमिनेशन का एटिच्यूड रहा है। इसलिए हमारा हाई कोर्ट होना चाहिए।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

दूसरी एक और बात इन्होंने कही कि अगर अलग हाई कोर्ट बना दिया जायेगा तो हमारा चण्डीगढ़ पर जो क्लेम है वह खत्म हो जायेगा या हमारा केस कमजोर हो जायेगा। इस बारे में मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार सैक्रेटरियेट और दूसरे क्षेत्र में 60:40 की रेशो है उसी प्रकार से हाई कोर्ट की बिल्डिंग में भी 60:40 की रेशो में within the same building बंटवारा किया जा सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उससे जूरिस्डिक्शन वाली बात भी खत्म हो जायेगी। यू.टी. के केसिज के बारे में जो बात कही गई है उसके बारे में यह कहना है कि उन केसिज को जिस कोर्ट में ले जाना चाहे ले जा सकते हैं चाहे हरियाणा हाई कोर्ट में ले जायें या पंजाब हाई कोर्ट में ले जायें। ऐसी कोई बात नहीं है कि चण्डीगढ़ पर हमारा क्लेम खत्म हो जायेगा। ऐसी बात नहीं है क्योंकि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर दो-दो हाई कोर्ट हैं जिस प्रकार मुम्बई और नागपुर में हाई कोर्ट की सैपरेट बैंचिज हैं, राजस्थान में जोधपुर में हाई कोर्ट की सैपरेट बैंच हैं। इसलिए अलग हाई कोर्ट होना स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज प्रदेश में इतनी लिटीगेशंज बढ़ चुकी हैं कि Justice delayed is justice denied वाली बात सही साबित हो रही है। आज इतनी लिटीगेशंज पैंडिंग हो गई हैं। जहां जजिज की स्ट्रैंग्थ 53 हैं वहीं आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में केवल 29 जजिज ही हैं। इसलिए सैपरेट हाई कोर्ट और सैपरेट कैपिटल होना बहुत जरूरी है। यह 8 और 29 जजिज का गैप तभी पूरा हो पायेगा जब हमारा सैपरेट हाई कोर्ट होगा तब तक सही बात बनने वाली नहीं है। इसलिए मैं इस रैजोल्यूशन का समर्थन करता हूँ और इस प्रस्ताव को लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ और सदन से प्रार्थना करता हूँ कि इस रैजोल्यूशन को पास कर दिया जाए। धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : चेयरपर्सन महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश के लिए अलग हाई कोर्ट बनाने के लिए आज सदन में जो प्रस्ताव लेकर आए हैं यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है इसके लिए मैं उनको मुबारिकबाद देता हूँ। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी अपने-अपने विचार इस माननीय सदन में रखे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहां उन्होंने इस बात की जरूरत समझी है कि हरियाणा प्रदेश का अलग से हाई कोर्ट होना चाहिए वहीं हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे ज्यादातर ऑफिसिज चण्डीगढ़ में ही स्थित हैं। हमारे प्रदेश के विभिन्न विभागों के ज्यादातर डायरैक्टोरेट्स, चण्डीगढ़ में ही हैं, सिविल सचिवालय चण्डीगढ़ में हैं, विधान सभा सचिवालय चण्डीगढ़ में हैं इसलिए किसी भी प्रदेश का हाई कोर्ट बनाया जाता है तो उसकी अपनी एक टैरिटरी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्टिकल 214 में जिस प्रस्ताव का जिक्र किया है यह बिल्कुल सही है। लेकिन आर्टिकल 214 में तो क्रिएशन ऑफ हाई कोर्ट लिखा है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आर्टिकल 230 को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए। आर्टिकल 230 आफ कंस्टीच्यूशन आफ इंडिया कहता है Extension of Jurisdiction of High Courts to Union Territories. क्योंकि चण्डीगढ़ यूनियन टैरिटरी है, यूनियन टैरिटरी में अगर हमारा हाई कोर्ट होगा और उसकी ज्यूरिस्डिक्शन यूनियन टैरीटरी के अन्दर नहीं होगी तो चण्डीगढ़ में हमारे जो कार्यालय हैं जो आदेश सरकार चण्डीगढ़ में बैठकर पारित करेगी, जो फैसले हमारे अधिकारी चण्डीगढ़ में बैठकर लेंगे वे फैसले बिना टैरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन के लम्बित रह जाएंगे। चेयरपर्सन महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि अगर आप चाहें तो मैं इस आर्टिकल को पढ़कर सुना देता हूँ। आर्टिकल 230 में जो कंस्टीच्यूशन ऑफ इंडिया में प्रावधान किया हुआ है कि--

"Parliament may by law extend the jurisdiction of a High Court to, or exclude the jurisdiction of a High Court from, any Union Territory."

यह जो प्रावधान है इसमें आगे भी साफ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 226 में ज्यादातर प्रदेश के मुद्दे दायर किए जाते है। वहां 226 आर्टिकल में Power of High Courts to issue certain writs में पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि--

"The power conferred by clause (1) to issue directions, orders or writs to any Government, authority or person may also be exercised by any High Court exercising jurisdiction in relation to the territories within which the cause of action, wholly or in part, arises for the exercises of such power, notwithstanding that the seat of such Government or authority or the residence of such person is not with those territories."

तो ये सारे प्रावधान संविधान की धाराओं में किए गए हैं। चेयरपर्सन महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जब हाई कोर्ट बनाने का प्रस्ताव पारित करने के बाद ये भारत सरकार से बात करेंगे तो ज्यूरिस्डिक्शन का जो मुद्दा जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय और सरकार ठीक समझें ज्यूरिस्डिक्शन के मुद्दे को अपनी निगाह में रखे और आज मुख्यमंत्री महोदय अलग हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। चेयरपर्सन महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अलग विधान सभा भी बनाने की जरूरत है। जो विधान सभा हमारी है इसमें कमरे पर्याप्त न होने की वजह से कमेटीज की वर्किंग सफर करती है, कमेटी की मीटिंग्ज होती हैं तो अधिकारियों के बैठने की जगह नहीं होती। सिस्टर कमेटीज को टाइम के लिए आपस में तालमेल करना पड़ता है और उन्हें इंतजार करना पड़ता है। पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी के दफतर की भी यहां दिक्कत है और विधान सभा के हमारे वरिष्ठ अधिकारी जिन को अच्छा अनुभव है और वे विधानसभा में काम करना चाहते हैं, कम जगह होने की वजह से उनको दिक्कत होती है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि सही समय पर नई विधान सभा के बनाने के बारे में भी सोचें। हाई कोर्ट का जो यह प्रस्ताव लेकर आए हैं मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्रीमती गीता भुक्कल (एस.सी.,कलायत) : चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज हरियाणा राज्य के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हरियाणा प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं, जन प्रतिनिधियों की आकांक्षाओं के अनुरूप एक सस्ता और स्पीडी न्याय देने के लिए अलग हाई कोर्ट की मांग का प्रस्ताव यहां आया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अपनी सरकार का समर्थन करती हूं और धन्यवाद करती हूँ। क्या हरियाणा के लिए अलग हाई कोर्ट होनी चाहिए यह हरियाणा के आम जागरूक व्यक्ति, वकील और चाहे विशेषज्ञ हों उनमें बहुत ही चर्चा का विषय है। जिस समय भारत के संविधान का निर्माण किया गया था उस समय संविधान के निर्माताओं के बीच इस विषय पर काफी चर्चा हुई थी और यह तय किया गया था कि हर राज्य के लिए अपना एक अलग से हाई कोर्ट होगा इसीलिए कांस्टीच्यूशन के अन्दर आर्टिकल 214 के चैप्टर 5 में उसका प्रावधान भी किया गया है। हमारा हरियाणा राज्य 1 नवम्बर, 1966 को अस्तित्व में आया। 39 वर्ष हो चुके हैं हरियाणा को अस्तित्व में आए हुए लेकिन हम लोग पंजाब के साथ में अपनी इस राजधानी चण्डीगढ़ में दो भाइयों की तरह कॉमन कैपीटल पर यह हमारा हाईकोर्ट चलता आ रहा है। इस 10 दिसम्बर को इसकी गोल्डन जुबली भी सैलिब्रेट की गई थी। मैं समझती हूँ कि 39 वर्ष हरियाणा राज्य को बने हुए हो गए हैं लेकिन उसकी अपनी राजधानी नहीं बन पाई है जबकि जो भी नया राज्य एग्जिसटैन्स में आता है

[श्रीमती गीता भुक्कल]

चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ या उत्तरांचल हो, उनके अस्तित्व में आते ही उनके नये हाई कोर्ट्स उसी समय बना दिए गए और हमारी यह चिरलम्बित मांग है। चेयरमैन सर, मैं यहां पर एक बात विशेषतौर पर कहना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे राज्य है जिनका दायरा और क्षेत्रफल बहुत बड़ा है चाहे वह उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है और उसकी एक बैंच लखनऊ में है और मेरठ में एक अलग बैंच की मांग वहां पर बार-बार उठ रही है। जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, यह भी बहुत बड़ा राज्य है और उसका हाई कोर्ट जबलपुर में है। उसका एक बैंच भोपाल में है और इन्दौर में बैंच की डिमाण्ड उठ रही है। जब बड़े राज्य अलग-अलग बैंचिज की मांग उठा रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि हमारा राज्य हरियाणा जो कि पूरी तरह से इसमें सक्षम है और इस सरकार से यह उम्मीद लगाए बैठा है कि जल्दी से जल्दी हरियाणा का अपना हाई कोर्ट बनेगा। अभी हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति महोदय यहां पर गोल्डन जुबली सैलिब्रेशन में आए थे और उन्होंने यहां पर हमारे बैकलॉग केसिज का जिक्र किया था। जो केसिज पैंडिग पड़े हैं उन पर उन्होंने गहरी चिन्ता जताई थी और कहा था कि इस समय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 31 अक्तूबर तक करीब 2.40 लाख केसिज पैंडिग पड़े हुए थे। मैं समझती हूँ कि न्यायपालिका लोकतन्त्र का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है जिसका उद्देश्य लोगों को न्याय देना है। क्योंकि पंजाब के साथ हरियाणावासियों का ज्वायंट हाई कोर्ट है जिसके कारण हरियाणावासियों को न्याय मिलने में काफी देर होती है। जहां तक जजिज के स्वीकृत पदों की बात है, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जजों के 53 पद स्वीकृत हैं और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में जजों का रेशो 60 : 40 है। इस समय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में 29 जज कार्य कर रहे हैं जिनमें से 21 जज पंजाब के और 8 जज हरियाणा प्रदेश के हैं। (विघ्न) चेयरमैन सर, मैं यह समझती हूँ कि यह वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक हमारा कोई जज नहीं जा सका। अभी यहां पर एक चर्चा की गई थी कि रिटायर्ड जजों को एड-हॉक पर रखा जाए लेकिन यह बात भी नहीं चलेगी। अगर हमने न्यायपालिका को मजबूत बनाना है तो हमें इस बात की ओर विशेष ध्यान देना होगा। हमारी यू.पी.ए. गवर्नमैंट जिस तरह से कह रही है कि डि-सैंट्रलाईजेशन ऑफ पावर्ज हो। चेयरमैन सर, केन्द्र में भी हमारी पार्टी की सरकार है। (विघ्न) मैं केवल एक मिन्ट का समय और लूंगी। पिछली सरकार के समय में भी यह प्रस्ताव आया था और पिछली सरकार ने इस प्रस्ताव का बहुत बुरा हाल किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार होने की वजह से इस प्रस्ताव पर अमल होगा। इस प्रस्ताव के समर्थन में आज हम खड़े हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार जल्दी से जल्दी इस प्रस्ताव को पास कर अपना हाई कोर्ट बनाकर हरियाणावासियों को नये साल का तोहफा देगी। जैसे कि सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि Justice delayed is justice denied. इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इस मामले में और डिले नहीं की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ हरियाणा राज्य के अपने हाई कोर्ट की मांग का मैं समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ, धन्यवाद।

चौ० अर्जन सिंह (छछरौली) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आप का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में पानी की बड़ी भारी समस्या है और सड़कें भी टूटी पड़ी हैं। (विघ्न)

श्री सभापति : अर्जन सिंह जी, आप इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं।

चौ० अर्जन सिंह : चेयरमैन सर, मैं समर्थन करता हूँ। यह बहुत ही गम्भीर मामला है और मैं इस बारे में बहुत कुछ कहना चाहता था । (विघ्न) मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री सुखबीर सिंह (रोहट) : चेयरमैन सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह प्रस्ताव बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। मेरा यह कहना है कि यह हाई कोर्ट बनाना चाहिए और इसका बहुत फायदा है। हमारे बहुत से साथियों ने इस बारे में बोलते हुए इसके बहुत से फायदे गिना दिए हैं। अगर यह हाई कोर्ट अलग से बन जाता है तो इससे हरियाणा की अलग से पहचान बन जाएगी। मैं तो यह भी कहता हूँ कि हमारी राजधानी अलग से होनी चाहिए। जितना हमारा अलग से हाई कोर्ट होने का फायदा होगा उससे कई गुणा ज्यादा फायदा हमारी अलग से राजधानी होने से होगा। जब तक हम चण्डीगढ़ के सहारे रहेंगे तब तक न तो हमारा विकास होगा और न ही कोई फायदा होगा। चेयरमैन सर, हमारा हाई कोर्ट और हमारी राजधानी अलग से होनी चाहिए। इससे हरियाणा का नाम होगा। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। (विघ्न)

श्री सुखबीर सिंह जोनपुरिया (सोहना) : चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव सदन में लेकर आए हैं जो कि काफी समय से लम्बित पड़ा हुआ था। अभी छ: महीने पहले ही एक स्टेट अलग बनी थी, उनका भी अलग से हाई कोर्ट बन गया है। लेकिन हमें अपना अलग से हाई कोर्ट बनाने के लिए 39 साल लग गए हैं। आज मुख्यमंत्री जी सही समय पर यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। जो हमारे जजिज़ हैं और जो हमारे लोग हैं उनकी राष्ट्र में पहचान तब तक नहीं बनेगी जब तक उन को चांस नहीं मिलेगा। जब हमारे जजिज को और वकीलों को अलग से मौके मिलेंगे तो ही उनका नाम सारे राष्ट्र में और संसार में होगा। चेयरमैन सर, अगर हरियाणा स्टेट की अलग से राजधानी और हाई कोर्ट बन गए तो हमारे लोगों को ही वहां पर नौकरियां मिलेंगी। चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं सदन के सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए।

श्री नरेश यादव (अटेली) : चेयरमैन सर, आज जो सदन में अलग से हाई कोर्ट बनाने का प्रस्ताव आया है मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बारे में चर्चा करते हुए अपने सुझाव दिए हैं। चेयरमैन सर, 39 सालों में जितने भी जजिज़, वकील और ऑफिसर्ज थे वे चण्डीगढ़ के आस-पास आकर रहने लग गए हैं। उनके सलाह मश्विरे चण्डीगढ़ में ही चलते रहते हैं। सवाल इस बात का है कि जब तक हमारा इस चण्डीगढ़ से लगाव खत्म नहीं होगा, जब तक हमारे नेतागण और आफिसरगण चण्डीगढ़ से बाहर हाई कोर्ट और राजधानी नहीं बनवाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इस बारे में हमें क्लीयरकट फैसला लेना होगा कि हम राजधानी चण्डीगढ़ से हटाएंगे, हाई कोर्ट चण्डीगढ़ से हटाएंगे और एस.वाई.एल. का पानी हरियाणा में लाएंगे। पूरी सहमति से पूरे हाउस को, सभी सदस्यों को इस बात के लिए सहमति बनानी पड़ेगी। आज जो राजनीति हम पानी के ऊपर, चण्डीगढ़ के ऊपर या दूसरी चीजों के लिए करते हैं उस राजनैतिक केन्द्र बिन्दु को अलग हटाकर हमें इस बात के लिए एक होना पड़ेगा। पिछले 6 सालों में भाजपा और लोकदल की सरकार रही और पंजाब में बादल साहब की सरकार रही तथा सैंटर में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे लेकिन इन 6 सालों में इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। एस.वाई.एल. कैनाल के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तारीखें लगती रहीं। जब तक पंजाब में बादल साहब की सरकार का चुनाव नहीं हो गया तब तक इन लोगों ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन लोगों के टाइम में ही आया था लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने दो बार एस.वाई.एल. का फैसला कर दिया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अभी चौधरी बिरेन्द्र सिंह जी इस बारे में कह रहे थे। मैं उनको बताना चाहूँगा कि इसके न बनने से तकलीफ तो दक्षिणी हरियाणा की जनता भुगत रही है। महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और भिवानी

[श्री नरेश यादव]
जिलों में वाटर लेवल 1400 फुट तक नीचे चला गया है। वहां पर पानी बिल्कुल सूख गया है इस कारण वहां के लोग तकलीफ भुगत रहे हैं। इस बात को लेकर कभी लोकदल वाले और कभी कांग्रेस वाले राजनीति करते हैं। पंजाब के लोग भी राजनीति कर रहे हैं।

श्री सभापति : नरेश यादव जी, आपने केवल दो मिनट का समय पर्ची पर बोलने के लिए लिखकर दिया था। इसलिए अब आप बैठें।

श्री नरेश यादव : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। जहां तक अलग हाई कोर्ट की बात है, आज जो यह प्रस्ताव हाउस में आया है मैं इसका अनुमोदन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पर सभी की सम्मति बनें। मैं सभी से इस पर सम्मति बनाने के लिए कहना चाह रहा हूँ। हाई कोर्ट, राजधानी और विधान सभा तीनों हरियाणा के मध्य क्षेत्र में होनी चाहिएं। जींद से लेकर महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, नारनौल या कोसली चाहे कहीं भी लेकिन इनमें ही ये तीनों चीजें होनी चाहिएं। सरकार को जहां भी सूटेबल लगे वहीं पर हिम्मत करके इस बारे में फैसला लेना चाहिए। जब तक चण्डीगढ़ का लगाव हमारे दिमाग में रहेगा तब तक न तो एस.वाई.एल. का पानी आ सकेगा और न ही राजधानी बनेगी। हमारे मैम्बर्ज अपने नेताओं को इस बारे में कहकर अपने मन में तसल्ली कर लें और यह सोच लें कि हमने निश्चित रूप से पंजाब से अलग होना है। जब तक हम अपने-अपने नेताओं से लगाव रखेंगे तब तक एस.वाई.एल. नहीं बनेगी। इसलिए विधान सभा के अंदर यह फैसला होना चाहिए कि ये तीनों चीजें हरियाणा के मध्य क्षेत्र में हों।

श्री सभापति : नरेश यादव जी, अब आप बैठिए। अब बलवन्त सिंह बोलेंगे।

श्री बलवन्त सिंह (एस.सी. सढौरा) : धन्यवाद चेयरमैन सर, कि आपने मुझे अलग हाई कोर्ट के रैजोल्यूशन जो माननीय पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर लेकर आए हैं, उस पर बोलने का समय दिया। यह बात ठीक है कि जब तक अलग हाई कोर्ट नहीं बनेगा तब तक हरियाणा के हितों की अनदेखी होती रहेगी। पहले भी हरियाणा के हितों की अनदेखी हुई। हरियाणा के हिस्से के दो-दो, चार-चार ही जज रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ा बुलंगबांग दावा किया और लच्छेदार भाषण दिया कि अलग हाई कोर्ट बनाने का प्रस्ताव केवल वे ही लेकर आए हैं। चेयरमैन सर, यह बात ठीक नहीं है। सन् 2000 में किसकी पार्टी की सरकार थी उस समय कौन मुख्यमंत्री रहे थे ? आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनने के बाद सन् 2002 में आम सहमति से सदन में इस बारे में प्रस्ताव पास किया गया था। चौधरी भूपेन्द्र सिंह जी भी उस समय इस सदन के सदस्य थे। उस समय सहमति से एक रैजोल्यूशन आया था और उसको पास करके केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था। क्या कारण रहे कि यह प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ पाया यह अलग बात है। उसके बाद पार्लियामैंट के और असैम्बली के चुनाव आ गये थे।

श्री सभापति : बलवन्त सिंह जी, 2002 में सैंटर में किसकी सरकार थी ?

श्री बलवन्त सिंह : चेयरमैन सर, बाद में हमारी सरकार चली गयी थी। आज जो यह रैजोल्यूशन आया है इसके पास कर देने भर से अलग हाई कोर्ट मिलने वाला नहीं है इसमें अभी वक्त लगेगा। केवल भाषणों से हाई कोर्ट नहीं बन सकता। हम चाहते हैं कि अलग हाई कोर्ट बने, अलग राजधानी बने। हम एक बात और चाहते हैं कि हरियाणा के हितों की, हरियाणा के हिन्दी स्पीकिंग एरियाज की और एस.वाई.एल. का जो पानी है इस बारे में पंजाब की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने केन्द्र की सरकार के कहने पर एक रैजोल्यूशन लाकर ऐसी अफरातफरी मचाई जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। इस तरह से होगा तो किसी भी प्रदेश

में यदि मेजोरिटी में सरकार होगी तो वह रैजोल्यूशन पास कर देगी और उससे दूसरे राज्यों को दिक्कत आ जाएगी। आपके माध्यम से सरकार से मेरी गुजारिश है कि सन् 2002 में दिनांक 14.3.2002 को अलग हाई कोर्ट का जो रैजोल्यूशन गया था उसमें क्या कारण और क्या कमी थी जिसकी वजह से उसमें से आज एक पैरा डिलीट किया गया है। उस पैरे को डिलीट करने से कहीं हमारे दूसरे क्लेम ढीले न पड़ जाएं। हम चाहते हैं कि अलग हाई कोर्ट बने लेकिन सन् 2002 का जो रैजोल्यूशन है उस पर हम आम सहमति से अलग हाई कोर्ट बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चंद मुलाना) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के नेता और हरियाणा की सरकार को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ। समय के मुताबिक यह काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था फिर भी आज यह रैजोल्यूशन सदन में लाया गया है इसके लिए मैं सरकार को हार्दिक बधाई देता हूँ। किसी भी प्रांत के लिए अलग कैपीटल और अलग हाई कोर्ट का होना बहुत आवश्यक है। दु:ख की बात है कि इन मामलों को किसी न किसी बहाने से टाला गया। पानी के मुद्दे को भी टाला गया। (विघ्न) डॉ० सीताराम जी कह रहे हैं कि हमारे राज में इसे टाला गया। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे राज में तो यह रैजोल्यूशन लाया जा रहा है। जहां तक एस.वाई.एल. का सवाल है, एस.वाई.एल. का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने अम्बाला के कपूरी गांव से खुद कस्सी मारकर शुरू किया था। इनके सहयोगियों ने उसको स्टॉल करके रखा हुआ था। कहीं चाचा भतीजा का रिश्ता तय हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। इसी प्रकार से हमारी कैपीटल के मामले को उलझाया जा रहा है, जो टैरिटोरियल इशयूज हैं जो हरियाणा को स्थानांतरित होने थे, उनको टाला जा रहा है। हाई कोर्ट के मामले में कुछ ब्यान पढ़कर हम हैरान हुए कि इसमें चण्डीगढ़ को शामिल नहीं किया जा रहा है। सभापति महोदय, हाई कोर्ट चण्डीगढ़ में स्थित है, सुरजेवाला जी ठीक कह रहे थे कि जब हाई कोर्ट हरियाणा का अलग बनेगा तो चण्डीगढ़ में ही स्थित होगा, चण्डीगढ़ में ही हाई कोर्ट हरियाणा को बाईफरकेट कर दिया जाए और 60:40 के रेशो में ही कर दिया जाए और चण्डीगढ़ के मामले पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट में आएंगे। मेरे से पूर्व बोलते हुए कई सदस्यों ने ठीक बात कही कि हम से भेदभाव किया जा रहा है। यह हमारा हक है और हमारे हक से हमें वंचित किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारा जज नहीं पहुँच पाया। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में भी हरियाणा के बहुत कम जजिज हैं। अगर आज हरियाणा का हाई कोर्ट अलग होता तो इस दबे हुए समाज का भी कोई जज उसके अंदर होता। दलित अथवा पिछड़े वर्ग का कोई जज आज आपके हरियाणा में नहीं है जो जज बने भी हैं वे बहुत बड़ी मदालखत के बाद हरियाणा में आए हैं। हमारे वकील अपनी प्रतिभा दिखाने से वंचित हैं। आप हैरान होंगे कि एक दिन हाई कोर्ट के बार में मैं सर्दी के मौसम में गया था मैंने पंजाब के किसी वकील से हरियाणा के किसी वकील का नाम पूछ लिया तो उसने कहा कि उधर चले जाओ वहां ऐनीमल हस्बैंड्री डिमार्टमैंट है। इस प्रकार हमारे यहां के वकीलों को ऐनीमल हस्बैंड्री डिपार्टमैंट बताया जाता है। इस प्रकार का भेदभाव हमारे लोगों से हमारे कल्चर से किया जाता है। जब हमारे प्रदेश को हमारे हाई कोर्ट से वंचित कर दिया गया और एग्रीमेंट को सैट- असाईड कर दिया गया। अगर हमारा अलग से हाई कोर्ट होता, हमारी अपनी कल्चर का हाई कोर्ट होता तो हरियाणा के हक को बरतरफ नहीं किया जा सकता था। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, आज जस्टिस स्पीडी होना चाहिए। Justice at the door होना चाहिए। स्पीकर साहब, आप यह जानकर हैरान होंगे कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आज के दिन 2 लाख 40 हजार केसिज पैंडिंग हैं और लोअर कोर्ट्स में 11 या 12 लाख केसिज पैंडिंग हैं अब उनका नम्बर कब आयेगा यह मेरी समझ से बाहर है। लोगों

[श्री फूल चंद मुलाना]
को केसिज सर्व करवाने के लिए दस-दस साल लग जाते हैं। हाई कोर्ट में लोग अपने केस लड़ने के लिए हरियाणा के कोने-कोने से आते हैं और यहां से निराश होकर लौट जाते हैं। आज हरियाणा हाई कोर्ट में न केवल जजिज की कमी है बल्कि लोअर स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी काफी कमी है जिसके कारण हमारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। कौन सा केस किस समय लगाना होता है इसके लिए कम्प्यूटर का बहाना लगाया जाता है कि कम्प्यूटर में डाल रखा है। स्पीकर साहब, आपको मालूम ही है कि यह एक बहुत गम्भीर विषय है। हरियाणा हाई कोर्ट के लिए 60:40 के रेशो से जजिज बनाये जायें ताकि हरियाणा से संबंधित जो भी मसले हैं वे हरियाणा के जजिज ही सुनें। हरियाणा के वकीलों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके और जितने जजिज हैं उनको अपग्रेड होने का मौका मिल सके। चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो लेकिन स्पीडी जस्टिस होना चाहिए और केसिज का डिस्पोजल स्पीडी होना चाहिए ताकि जो मुकदमें मुद्दत से पैंडिंग पड़े हुए हैं उनका निराकरण हो। यह तभी हो पायेगा जब हरियाणा का हाई कोर्ट अलग होगा और हरियाणा से संबंधित जो केसिज हैं वे टेक अप होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हर समाज की अपनी धारणा होती है अपना कल्चर होता है। अध्यक्ष महोदय, एक सामाजिक विश्वास होता है कि हमारा भी उत्थान हो हमारा कल्चर कई सालों से दबा पड़ा है। हमारे वकीलों की प्रतिभा दबी हुई है उनको सैकिण्ड रेट सिटीजन गिना जाता है। वकील और जजिज को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता है। आज जो अलग से हाई कोर्ट बनाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है उसको हम भारत सरकार को भेज रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि भारत की पार्लियामेंट भी इस पर उचित निर्णय लेकर अलग से हाई कोर्ट बनायेगी और हमारी अलग कैपिटल का निर्णय करेगी। एस.वाई.एल. का मुद्दा मुद्दत से लटका हुआ है उसका सही समाधान तुरन्त करने का कष्ट करेगी। आज यह जो रैजोल्यूशन आया है यह समय की पुकार है मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूँ और मैं सारे सदन से प्रार्थना करता हूँ कि इस रैजोल्यूशन को एक मत से पास करें ताकि हरियाणा को अपना अलग से हाई कोर्ट मिले। धन्यवाद।

डॉ० सुशील इन्दौरा (एस.सी. ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया। आज सरकार इस सदन में जो प्रस्ताव लेकर आई है वह हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बनाने के बारे में है। माननीय साथी इस दावे के साथ इस प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे थे कि यह प्रस्ताव सदन में पहली बार लाया गया है और इस दावे के साथ लाया गया कि यह सत्ता पक्ष का दावा है। किसी भी प्रकार का इन्टर-स्टेट डिस्प्यूट हो सत्ता पक्ष के सदस्य ही उसकी जोरदार पैरवी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सदन को बताना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष का दावा अपना दावा होगा लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब-जब भी इन्टर स्टेट विवाद के कारण हरियाणा के हितों पर कुठाराघात हुआ तब-तब हमारी पार्टी के नेता चौधरी देवीलाल जी ने और चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। माननीय श्री सुरजेवाला जी द्वारा यह कहना कि यह प्रस्ताव पहली बार आया है गलत ब्यानी है। मैं कहना चाहूँगा कि 14.3.2002 को भी यही रैजोल्यूशन आया था। यह जो रैजोल्यूशन आया है This is the supplementary of that resolution. Only some lines have been deleted but this is the supplementary of that resolution. शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो उस वक्त माननीय सुरजेवाला जी और चौ० बीरेन्द्र सिंह जी इस सदन के सदस्य नहीं थे लेकिन जो आज सदन के नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं वे उस वक्त इस सदन के सदस्य थे और

उन्होंने कहा था कि हम इस रैजोल्यूशन का सर्वसम्मति से समर्थन करते हैं और वह रैजोल्यूशन सर्वसम्मति से पास हो गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जब उस वक्त सर्वसम्मति थी तो ऐसे क्या कारण रहे कि आज उसमें चेंज करना पड़ गया। मैं आज एक बात जरूर कहूंगा कि हाउस की प्रोसीडिंग्ज के जो कागजात सदस्यों को दिए जाते हैं, 13.12.05 को जो मुझे कागजात मिले उसमें जब मैंने हिन्दी में यह रैजोल्यूशन पढ़ा उसमें लास्ट में स्पष्ट शब्दों में लिखा था :-

"इसलिए अब, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का केन्द्रीय अधिनियम 31) की धारा 41 तथा भारत के संविधान के अनुछेद 214 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य की विधान सभा इसके द्वारा प्रस्ताव पारित करती है कि संसद को अनुरोध किया जाए कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के भाग 4 अर्थात् अधिनियम की धारा 29 से 41 में उचित संशोधन करने के लिए तथा हरियाणा राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायलय की व्यवस्था करने के लिए, जो कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित हो, विनियोग विधेयक बनाना शुरू करें।"

आज हमें जो रैजोल्यूशन प्राप्त हुआ है और उस वक्त के रैजोल्यूशन में बड़ा फर्क है। आज हमें जो रैजोल्यूशन प्राप्त हुआ है उसमें है कि हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में हो। उस वक्त संसदीय मंत्री माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने प्रैस कांफ्रैंस में कहा था कि यह जो रैजोल्यूशन है सर्वसम्मति से केन्द्र सरकार को भेजा था। रैजोल्यूशन में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उस वक्त लोकसभा भंग हो गई थी यानि कि टैक्नीकिली प्रौब्लम आ गई थी। अब एक नई लोकसभा का गठन हुआ है, यह अच्छी बात है मैं इस का स्वागत करता हूँ। हरियाणा के हितों के लिए जो हमने शुरुआत की थी, चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरुआत की थी और कहा था कि हमारा अलग से हाई कोर्ट हो और हमारे जजों और वकीलों के हितों का ध्यान रखा जाए लेकिन उस समय लोकसभा भंग हो गई। आप जानते हैं कि नियमानुसार जब लोकसभा भंग हो जाए तो जो भी काम पैण्डिंग होता है वह सब निरस्त हो जाता है। प्रैस कांफ्रैंस में संसदीय मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने एक और बात कही कि उस वक्त एन.डी.ए. की सरकार थी और हम एन.डी.ए. के घटक थे, मैं खुद कहता हूं कि हम एन.डी.ए. के घटक थे। अरुण जेटली जी उस वक्त केन्द्रीय कानून मंत्री थे। बाद में प्रैस कांफ्रैंस में सुरजेवाला जी ने कहा कि चिट्ठी आई है कि अरूण जेटली ने उस रैजोल्यूशन को रिजैक्ट कर दिया है। मुझे उस पत्र के कंटैंट्स का तो ध्यान नहीं कि उसमें क्या लिखा था। अरुण जेटली जी ने उसको रिजैक्ट किया इस बात को चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी कह नहीं पाए लेकिन सुरजेवाला जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। उस वक्त ऐसे हालात थे कि लोकसभा के भी चुनाव आए और विधान सभा के भी चुनाव आए, इसलिए उस वक्त हम यह बात नहीं कह पाए लेकिन इनके साथ क्या मजबूरी थी, मुख्यमंत्री महोदय भी बैठे हैं और सुरजेवाला भी बैठे हैं 9 महीनों के शासन में इन्होंने इस बात को उजागर क्यों नहीं किया कि अरुण जेटली जी ने उस वक्त हाई कोर्ट के मामले को रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त इन्होंने यह कहा था कि एन.डी.ए. की सरकार से चौ० ओम प्रकाश चौटाला के पांचों एम.पीज. को समर्थन वापिस ले लेना चाहिए। आज मैं मुख्यमंत्री महोदय और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि हम इस रैजोल्यूशन का तो समर्थन करेंगे, आज इन्होंने जो इस रैजोल्यूशन में जोड़ा है हम इसका समर्थन करेंगे लेकिन साथ ही ये इसमें यह भी जोड़ने की हिम्मत करें कि चंडीगढ़ की यूनियन टैरिटरी भी हरियाणा हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में आए। अगर यह बिल पास नहीं होता कल को रिजैक्ट हो जाता है तो क्या हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के 9 एम.पीज.

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

सरकार से समर्थन वापिस लेने की हिम्मत करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) मैं यह रिपीट करता हूँ कि हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला किया जाना चाहिए। (विघ्न)

Mr. Speaker : Thank you Indora Sahib, please take your seat now.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच-सात मिनट का समय और लूँगा, मैंने अभी तो शुरुआत ही की है इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि मुझे पांच-सात मिनट का समय और देने की मेहरबानी करें।

श्री अध्यक्ष : जो क्रक्स था वह आपने कह लिया है इसलिए अब आप बैठें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : बाई रिक्वैस्ट मुझे पांच मिनट का समय और दे दीजिए वरना मेरी बात अधूरी रह जाएगी। (विघ्न) मुझे केवल पांच मिनट का समय और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय मुख्यमन्त्री जी ने कहा है कि चण्डीगढ़ पर हमारा दावा है और माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट दो जगह हैं लेकिन वहां पर उनकी अपनी-अपनी राजधानियां है। मैं यहां पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि उन राज्यों में राजधानी का कोई डिस्पयूट नहीं है जबकि यहां पर हमारी लड़ाई राजधानी की भी है, हमारी लड़ाई एस.वाई.एल. की भी है। एस.वाई.एल. हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने एक बात को बड़ा डायल्यूट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम किसाऊ डैम से पानी ले लें तो बहुत पानी मिल जाएगा। स्पीकर सर, मेरी यह आशंका भी है कि कहीं केन्द्रीय मन्त्रियों की शह पर तो वह ऐसा नहीं कह रहे हैं। एस.वाई.एल. के मुद्दे पर हमारी जो लड़ाई पंजाब से है और जो हमारे हक में है कहीं आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें डायल्यूट तो नहीं करना चाहते हैं ? किसाऊ डैम की बात कह कर उन्होंने एस.वाई.एल. के मुद्दे को डायल्यूट करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, आज भी मैं यह बात कहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एस.वाई.एल. के बारे में हमारे हक में जो फैसला दिया है और अगर सरकार चाहे तो एस.वाई.एल. को कम्पलीट कर सकती है। आज भी हम यह बात कहते हैं कि केन्द्र में इनकी सरकार है और यहां पर इनकी पार्टी की सरकार है। हम पर तो यह लांछन लगाते हैं कि उस वक्त पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी, इधर हरियाणा में हमारी पार्टी तथा बी.जे.पी. की सरकार थी और केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी उस वक्त क्या हुआ या क्या कारण रहे कि यह नहर कम्पलीट नहीं हो सकी, अब इस बात को छोड़िये और एक नई शुरुआत कीजिए तथा एक नई परम्परा डालिये। सरकार यह बात कहे तो सही कि हम नहर को पूरा करेंगे। अगर सरकार उसका यह बहाना बनाती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एस.वाई.एल. के निर्माण का फैसला कोर्ट में नहीं है। अगर कोर्ट में कोई मामला पैंडिंग है तो पंजाब सरकार ने इन्टरस्टेट वाटर कानून का जो बिल पास किया था वह मामला कोर्ट में पैंडिंग है न कि एस.वाई.एल. का मामला पैंडिंग है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Thank you very much. (Interruptions) Mr. Indora, please wind up now.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। अखबार में एक खबर छपी थी कि केन्द्रीय कानून मन्त्री जी ने एक प्रश्न के जवाब में लिखित रूप में यह कहा है कि

हरियाणा समेत कई राज्यों ने अलग हाई कोर्ट की मांग की है, मैं उसका जवाब यहां पर सुना देता हूँ। उन्होंने कहा है कि हरियाणा, मनीपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों ने केन्द्र सरकार से अपने राज्य में पृथक हाई कोर्ट स्थापित करने का अनुरोध किया है। हरियाणा का चण्डीगढ़ स्थित हाई कोर्ट में विद्यमान परिसर हरियाणा का कोटे का 40% भवन है। कर्मचारियों तथा सभी न्यायधीशों का आबंटन करते हुए पृथक हाई कोर्ट के सृजन के लिए कहा है। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायधीश ने यह राय दी है कि यह साध्य नहीं है। मनीपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा न्यायालयों में इन राज्यों में पृथक उच्च न्यायालय के गठन का औचित्य नहीं ठहरता है। यह जानकारी विधि एवं न्याय राज्य मन्त्री श्री के. वैंकटापति ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में लिखित रूप में दी है। अध्यक्ष महोदय, जब केन्द्रीय मन्त्री यह कह रहे हैं तो अपना दावा क्यों कमजोर कर रहे हैं। हमारा दावा विधान सभा में भी इसी परिषद में पहुँचता है। अगर हम चण्डीगढ़ से अपना दावा छोड़ते हैं तो बाकी के मुद्दे भी खत्म हो जाएंगे। (विघ्न)

Mr. Speaker : Thank you very much. Mr. Indora, take your seat. (Interruptions) thank you very much. Madam Chaudhary, will speak now. (Interruptions). Indora Sahib, thank you very much. please take your seat.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, यह हमारे साथ अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : अभी भी अन्याय है तो आपके साथ न्याय हो ही नहीं सकता। इन्साफ आपको कभी मिल ही नहीं सकता। (विघ्न) आप सिर्फ यह बात कहने के आदी हो। आप डाईजैस्ट नहीं करते कि आपके साथ इन्साफ हो। (विघ्न)यह आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। स्पीकर सर, वैसे मैं कोई नाजायज बात नहीं कर रहा हूँ।

Mr. Speaker : Thank you very much. Madam Kiran Chaudhary please speak.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। हम इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करवाने के पक्षधर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा का पृथक हाई कोर्ट हो लेकिन यह भ्रमजाल की भाषा फैला कर हरियाणा के लोगों को गुमराह नहीं किया जाए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ।

Mr. Speaker : Thank you very much. Please take your seat. Madam Kiran Chaudhary will speak now.

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम) : ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इन्होंने सैप्रेट हाई कोर्ट के लिए कम्प्रीहैंसिव प्रस्ताव सदन में रखा है। मैं चाहती हूँ कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो। यह सब की बहुत पुरानी डिमान्ड है। मैं अपनी सीट पर बैठी सभी मैम्बर्ज की बातें सुन रही थी और श्री बत्रा जी ने यह बात कही कि हमारे स्वाभिमान का मामला है। कोई भी स्टेट cannot be corsider sovereign unless it has an independent Judicature and independent Legis!ature and also an independent Executive. Unfortunately, we have an independent Legislature and an Executive and to a certain extent an independent Judiciary. लेकिन जिस तरह से उसका पंजाब के साथ एमैलगामेशन कराया गया है उस

[श्रीमती किरण चौधरी]

से जो फायदा हमारे को पहुँचना चाहिए, जो स्वाभिमान हमारे को ऐज ए हरियाणा स्टेट मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। यह सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर according to the tenents of the Constitution जब यह बात कही गई कि all the three arms of the State have to be independent. Unfortunately because of the territorial dispute. यहां पर हरियाणा के अन्दर हमारे हाई कोर्ट का शेयर करना पड़ रहा है। सब ने इस बारे में विस्तार से चर्चा की है। बीरेन्द्र सिंह जी ने बहुत डिटेल से सारी की सारी बातें कहीं जिसमें उन्होंने कल्चर का भी जिक्र किया। सुरजेवाला जी ने भी यही बात कही। यह सत्य है कि अपनी आईडैंटिटी खुद बनानी चाहिए क्योंकि इसको देने के लिए कोई खुद तैयार नहीं होगा। आज यह जो रैजोल्यूशन हम लेकर आए हैं जैसा कि इस बारे में सुरजेवाला ने कहा कि देर से याद आया है लेकिन यह दुरुस्त है। सचमुच में this is the need of the hour, स्पीकर साहब, पूरे सदन को इस प्रस्ताव को सवर्सम्मति से पास करना चाहिए। स्पीकर सर, 2-4 प्वायंट हैं जिन पर मैं दौबारा से नजर डालूंगी। एक तो यह प्वायंट है कि जो टैरीटोरियल डिस्प्यूटस है वे हरियाणा और पंजाब के बीच में बहुत अहम् मुद्दे हैं। इस बारे में हमें तय करना होगा कि आज यह रैज्योल्यूशन पास तो करवा रहे हैं लेकिन आगे चलकर यह रैजोल्यूशन केवल फाईलों के अन्दर घिर कर न रह जाए। यह रैज्योल्यूशन आगे चल कर एक रियेलटी बने। कर्ण सिंह दलाल जी ने भी इस अगस्त हाउस का भी टैरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन की तरफ ध्यान आकर्षित किया था कि इसके बारे ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस बारे में बैठकर विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हाई कोर्ट जो हम अलग मांग रहे हैं उसकी ज्यूरिस्डिक्शन किस प्रकार से होनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट चण्डीगढ़ के अन्दर ही रखा जाएगा तो किस तरह से आपका डिमार्केशन विज़ अ विज़ बिल्डिंग विज़ अ विज़ जजिज एंड फोर्थ क्लास इम्पलाईज और जितने भी इम्पलाईज हैं उनकी किस तरह से डिमार्केशन किया जाए। स्पीकर साहब, चण्डीगढ़ संघ शासित है। Jurisdiction of the High Court of Haryana and Punjab today rests with the Chandigarh Administration. आगे चलकर अगर हमें यही करना है तो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन कहां पर होगी यह बहुत ही अहम मुद्दा है। इस बारे में हमें बुहत ही विचार विमर्श करना चाहिए। इस बारे में बहुत ही सुलझे हुए तरीके से हमें प्रस्ताव रखना चाहिए। स्पीकर सर, हरियाणा पंजाब के अन्दर जो एक्यूमूलेटिव स्ट्रैंग्थ जजिज की होनी चाहिए, अनफारच्युनेटली हमारे पास नहीं है। रैजोल्यूशन के अंदर बताया गया है कि We have only 8 judges from Haryana out of 29. अब एक वकील होने के नाते मैं यह बात कह सकती हूँ कि कोर्टस के अंदर केसिज का बहुत ज्यादा बैकलॉग है जितनी लिटीगेशंज आती हैं उनको समय नहीं मिलता है इसी कारण इनमें डेट्स मिलती रहती हैं और इनमें सालोंसाल बीत जाते हैं। पूरे का पूरा बैकलॉग जो है वह हम खत्म नहीं कर सकते हैं। स्पीकर सर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने स्टेट के मूल लोगों को भी वहां पर अप्वॉयंट नहीं कर पा रहे हैं। इस हाई कोर्ट की सारी की सारी जो हरियाणा के कोटे की वैकेंसीज हैं यह पूरी की पूरी भरी जाएं ताकि जो लिटीगेशंज के अंदर बैकलॉग है उसको खत्म किया जा सके। यह बहुत ही अहम् बात है कि हम अपने हाई कोर्ट को अलग करें और जजिज के खाली पद पूरी तरह से भरे जाएं ताकि हरियाणा की जितनी भी लिटीगेशंज हैं जो दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही हैं और जिन लोगों के साथ आज ज्यादती हो रही है वह न हो। स्पीकर सर, कल्चर की बात बीरेन्द्र सिंह जी ने भी कही। यह सत्य है कि जब तक हमारा अपना कल्चर विकसित नहीं होगा तब तक हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते। हम अपनी कल्चर को अपने आप ही पनपने से रोक रहे हैं।

जो कल्चर सिटी और आर्ट एवं कल्चरल का प्रोग्राम दिल्ली के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है यह सचमुच में बहुत सराहनीय है। यह एक लिंक है, एक कड़ी है I am linking it with this aspect of the resolution कि अगर हमारे को अपना सैपरेट हाई कोर्ट मिलता है, हमारे को स्वाभिमान मिलता है तो हम उस स्वाभिमान के जरिए अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। स्पीकर सर, दिल्ली के अंदर यह बात कही जाती है कि हरियाणा का जो कल्चर है वह ऐग्रीकल्चर है और ऐग्रीकल्चर से बाहर की कल्चर को यहां नहीं माना जाता लेकिन सारा सदन जानता है, आप सब जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि जो यहाँ पर बेसिक ह्यूमर है, बेसिक आर्टिफैक्ट हैं, बेसिक कल्चर है, बेसिक संस्कृति है वह बहुत अच्छी है। संस्कृति की इस विधा को पनपने के लिए बाहर निकलने के लिए हम कितनी कोशिश कर रहे हैं और दुर्भाग्य से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर सर, इसी तरीके से बीरेन्द्र सिंह जी ने यह भी बताया कि हमारे अपने लोगों को समय पर अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके नहीं मिल पाते हैं। मसलन उन्होंने ऐड्वोकेट जनरल हवा सिंह हुड्डा का नाम लिया जो बहुत ज्यादा कम्पीटैन्ट आदमी हैं। बार-बार उनका नाम जज बनने के लिए भिजवाया गया लेकिन इसके बावजूद भी He could not be elevated as judge so this is only one case in point what we are trying to say here कि अगर We have our own separate High Court, this will become a breeding ground for the future lawyers and for the future judges of this State and who will themselves then participate at the National level at Delhi itself. यह बहुत जरूरी है कि हम अपना एक सैपरेट हाई कोर्ट बनाएं जिसकी अलग से अहमियत हो और जिसके अंदर नियुक्तियां हमारे ही लोगों में से हों, जिसका 'बार' इस इस तरह का हो जहां पर हमारे वकीलों को पनपने का समय मिले। उनको अपना योगदान देने का मौका दिया जाए और उनको यह दिखाने का मौका दिया जाए कि जो दूसरे ऐडवोकेट्स हैं चाहे वह पंजाब के हों या किसी दूसरी जगहों के हों, चाहे कम्पीटैन्स लेवल का मामला हो चाहे काम के लेवल का मामला हो किसी भी प्रकार से किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है। स्पीकर सर, मैं आपकी घंटी बजने से पहले ही अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। मैं एक ही बात कहूंगी कि जैसे एक इंडीपैंडैन्ट लैजिस्लेचर है उसी प्रकार से Judiciary is also so important. यहां पर राज्यसभा के इलैक्शन की बात हुई। हमारे सैक्रेटरी साहब सुमित कुमार जी बैठे हैं। उस समय जिस प्रकार से हमारे एम.एल.एज. को एक्सपैल किया गया था Unilaterally without any reasons without taking into account any legal point. फिर भी उनको उनकी सदस्यता से केवल इसलिए वंचित किया गया कि वे राज्यसभा के इलैक्शन में वोट न डाल पाएं और सारी जगह दरबदर की ठोकरें खाते फिरें। उस समय अगर We had a separate High Court, this issue would have been taken up, it would have been

1.00 बजे

adjudicated upon and the rule of law would have been upheld. So, basically it is very very important aspect for a State to be considered sovereign to have its own independent judiciary and independent judiciary does not mean by nature of having its own judges alongwith another State. It also means that the functioning of that judiciary should be independent and in every aspect your own people are contributing towards independence of judiciary. That is why it is imperative that we should have independent separate High Court for the State of Haryana, which will give us and bring us back honour that we deserve, which

[श्रीमती किरण चौधरी]

unfortunately we do not have till now. Inspite of Haryana coming into being for such a long time, I think it is unfortunate that we have languished in that aspect completely. अंत में मैं एक ही बात कहूँगी कि मैं अपनी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को बहुत ही मुबारकबाद देती हूँ। वकीलों की तरफ से भी मैं खास तौर से मुबारकबाद सदन की टेबल पर रखने की बात करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अलग से जो हम हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं इसको हम नीयत से अलग करें और इस इशू को इसके साथ बिल्कुल न जोड़ा जाए कि हमारी कैपिटल कहां होगी ? हम चंडीगढ़ लेंगे या नहीं लेंगे, हम चंडीगढ़ की जगह पर दूसरी जगह लेने के लिए तैयार हैं या नहीं क्योंकि अगर ये मुद्दे फंस गए तो हमारे को अलग से हाई कोर्ट नहीं मिल पाएगा इसलिए इस मुद्दे को अलग रखकर सिर्फ एक डिमांड की जाए कि आज जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से हम पारित कर रहे हैं इस प्रस्ताव को हम पार्लियामैंट में लेकर जाएं और वहां पर उनको समझाएं कि यह न केवल हरियाणा के लिए अहमियत की बात है बल्कि यह पंजाब के लिए भी उतनी ही अहमियत की बात है। इससे दोनों राज्यों को सम्मान और स्वाभिमान मिलेगा। स्पीकर साहब, इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेती हूँ।

सरदार परमवीर सिंह (टोहाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी और हरियाणा गवर्नमैंट को बहुत ही कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। हाई कोर्ट सैपरेट होना बहुत ही जरूरी है, कई कई साल केसिज पेंडिंग रहते हैं, स्पीडी जस्टिस के लिये अलग हाई कोर्ट बहुत ही जरूरी है। इससे हरियाणा के लोगों को स्पीडी जस्टिस मिलेगा। ऐडवोकेट्स को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ-साथ कैपिटल के बारे में कुछ मैंबर्स ने बोलना शुरू किया था, मैं तो इस ओपीनियन का हूँ कि कैपिटल का इशू इसके साथ बिल्कुल भी लिंक नहीं करना चाहिए। चण्डीगढ़ पर अपना क्लेम किसी भी प्रकार से वीक नहीं होने देना चाहिए। It is a pride of India. It is a most beautiful city in Asia. इसका डिवीजन भी हो सकता है जैसे डबवाली टाउन का आधा हिस्सा पंजाब में है, आधा हिस्सा हरियाणा में है जब वह शहर डिवाइड हो सकता है तो चंडीगढ़ भी डिवाइड हो सकता है। इस वक्त कैपिटल चण्डीगढ़ को छोड़कर कहीं और बनाई जाए, इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए। इस वक्त इस मुद्दे को सिर्फ हाई कोर्ट तक ही सीमित रखा जाए। इस ईशू पर हमारे कई मैम्बर्ज बोले हैं। मैं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को दोबारा इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। इस बारे में मेरी राय यह है कि इसमें हमारा शेयर है इसलिए इस प्रैजेन्ट हाईकोर्ट में भी बाईफरकेशन हो सकती है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की प्रेजेन्ट बिल्डिंग बायफरकेट होकर चल सकती है। धन्यवाद।

प्रो० छतर पाल सिंह (घिराय) : स्पीकर सर, आज जो प्रस्ताव आर्टिकल 214 में हरियाणा सरकार द्वारा विधान सभा में रखा गया है वह काबिलेतारीफ है। सभी सम्मानित सदस्यों ने इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर और इसकी आवश्यकता के ऊपर काफी डिटेल में चर्चा की है। स्पीकर सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय हमें एक एफैक्टिव, एफिशिएंट और सफिशिएंट ज्यूडिशियरी की आवश्यकता है। मामला चाहे एग्जिक्यूटिव का हो चाहे ज्यूडिशियरी का हो उसको लम्बित रखने के बहुत सारे कारण होते हैं। यदि सैफिशिएंट ज्यूडिशियरी न हो तो स्वाभाविक तौर पर मामले लम्बित रहेंगे। आज पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट में जो अवेलेबल पोस्ट्स हैं वही पूरी नहीं भरी गई हैं। अगर हमारा सैपरेट हाई कोर्ट होगा तो हरियाणा सरकार एफर्टस कर सकती है और ज्यूडिशियरी को एप्रोच कर सकती है। अपने हाई कोर्ट के अन्दर चाहे जजिज हों चाहे सुबोर्डिनेट स्टाफ हो उनकी पोस्टस को फिल-अप करवाकर मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठा सकती है। कई साथियों ने बोलते हुए कहा कि सरकार को हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन का ध्यान रखना

चाहिए। इस रैजोल्यूशन को लाते वक्त इस बारे में सरकार की मन्शा बिल्कुल साफ थी। भाई कर्ण सिंह दलाल ने बोलते हुये आर्टिकल 230 और 226 का जिक्र किया जिस पर मैडम किरण चौधरी ने भी प्रकाश डाला। इस बारे में मैं यह समझता हूँ कि हमने सैपरेट हाई कोर्ट की मांग की है। हाई कोर्ट चण्डीगढ़ में ही रखने की बात हमने की है। इसमें आर्टिकल 230 और 226 को इसमें इन्क्लयूड न किया जाये। मैं यह समझता हूँ कि ऐसी कोई बात तो रह ही नहीं जाती। इस प्रस्ताव को पार्लियामैंट को भेजते समय सरकार इन माननीय सदस्यों की भावना का ध्यान जरूर रखेगी। इस प्रस्ताव की चर्चा करते समय यह बात भी आई कि यह प्रस्ताव हम बड़ी देरी से लेकर आये हैं। स्पीकर सर, जब कोई प्रान्त अलग होता है तो उसके लिए प्रत्येक पहलू पर प्रियोरिटी तय की जाती हैं। जब हरियाणा प्रदेश पंजाब राज्य से अलग हुआ तो हरियाणा प्रान्त की प्रियोरिटी भी हर क्षेत्र के लिए तय की गई उसमें चाहे विकास करने की हो, चाहे किसानों की समस्याओं के बारे में हो, चाहे बिजली के बारे में, चाहे होस्पिटल के बारे में हो और चाहे वैटरेनरी होस्पिटल के बारे में हो हर प्रकार की समस्याएं हमारे सामने खड़ी थी। हरियाणा सैपरेट स्टेट बना उस समय कांग्रेस की सरकार इस प्रान्त में थी। मुझे कहते हुए फख्र है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस के अलावा बीच में दूसरी पार्टियों का एक्सपीरियंस भी हमने देखा, भगवान न करता कि कांग्रेस के इलावा दूसरी पार्टी यहां सत्ता में होती। हरियाणा में विकास कार्यों को जो गति हमने दी है शायद ही कोई अन्य सरकार दे पाती। हरियाणा में बहुत थोड़े समय के अन्दर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में और स्वर्गीय श्रीमति इन्दिरा गान्धी के प्रधानमंत्री रहते हुए खुले दिल से बेशुमार पैसा हरियाणा के किसानों, देहात और शहर के विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में दिया गया और हमने रिकॉर्ड समय के अन्दर शानदार विकास करके दिखाया। आज हमें अलग हाई कोर्ट की आवश्यकता है। खेद की बात है कि विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को प्रजातन्त्र के अन्दर बहुत जिम्मेदार पार्टी का रोल करना चाहिए लेकिन वह नहीं कर रही है। उनके नेता को बहुत गम्भीरता और जिम्मेदारी के साथ बिहेव करना चाहिए। हरियाणा सरकार साफ दिल के साथ पूरे हरियाणा के इन्ट्रस्ट को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को लेकर आई है। इनेलो पार्टी के माननीय सदस्यों ने बोलते हुए यह बात कही कि सरकार का अलग हाई कोर्ट बनाने का प्रस्ताव कहीं चण्डीगढ़ पर हरियाणा के क्लेम को कमजोर न कर दे। कभी भी सरकार चण्डीगढ़ के बारे में नॉन-सीरियस नजर नहीं आती। पूरी संवेदना के साथ हरियाणा सरकार चण्डीगढ़ को इन्टैक्ट कर अपने साथ रखना चाहती है। मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि अपोजीशन के साथी जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस पर ध्यान देते हैं इससे निश्चित तौर पर हमारा चण्डीगढ़ पर क्लेम कमजोर पड़ जायेगा। स्पीकर सर, आपने देखा है कि जब-जब भी हरियाणा और पंजाब का मामला उठाया गया तब-तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी इटसैल्फ ने हरियाणा के हितों पर पूरी गम्भीरता के साथ और बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया है। इतिहास गवाह है कि इण्डियन नेशनल लोकदल जिसका समय-समय पर अलग-अलग नाम रहा, के नेता आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने इस पार्टी के मुखिया के तौर पर काम किया और जब भी यह मुद्दा उठा तो इसके खिलाफ ही काम किया है। इनके नेताओं ने, इनकी पार्टी ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से हरियाणा के हितों को मजाक बनाकर रखा है। आपको याद होगा कि एस.वाई.एल. की आधारशिला श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी, हरियाणा के नेताओं ने बड़ी लड़ाई लड़कर हरियाणा के शेयर को मुकर्रर करवाया था, उस वक्त हर समय इनके नेताओं ने उसकी मुखालफत की थी।

श्री अध्यक्ष : प्रोफैसर साहब, आप वाईंड अप करें।

प्रो० छतर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ। आज हम हरियाणा की पंचायत में बैठे हैं, यहां पर हर नेता को जिम्मेदार तरीके से बिहेव करना आवश्यक है। यदि आप ऐसे नॉन सीरियस एटीट्यूड को गम्भीरता में बदलते वक्त में भी समय नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि आप और हम

[प्रो. छतर पाल सिंह]

अपनी जिम्मेवारी में कहीं न कहीं कोई कोताही करेंगे। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एस.वाई.एल. के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हरियाणा के हकों की बात को कहा था, जब हरियाणा के हित में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अपोजिशन पार्टियां उन मसलों पर, उन मुद्दों की विरोध का स्वर देती थीं, गुलाल लगाकर खुशियां मना रही थीं। पोलीटिकल एटीट्यूड, पोलीटिकल बिहेवियर से बात करना हरियाणा की जनता को कहां तक इन्साफ देगा। ये लोग छोटी और ओछी राजनीति करके वाही वाही लूटना चाहें और गम्भीरता से बात न करें तो मैं समझता हूँ कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और यह चाहता हूँ कि सारी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता हरियाणा के हितों के मामले में चाहें हरियाणा के विकास की बात हो, हरियाणा के लोगों को समृद्ध बनाने की बात हो, हरियाणा के लोगों को विकसित करने की बात हो, बराये मेहरबानी करके पूरी गम्भीरता के साथ बात करें अन्यथा लोग जो हश्र करते हैं उससे बड़ी कोई सजा नहीं होती और परमात्मा भी उनको माफ नहीं करता। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इजाजत लेकर अपना स्थान लेता हूँ। स्पीकर साहब, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस गम्भीर मसले पर बोलने का मौका दिया।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस सदन में जो प्रस्ताव रखा गया है कि हरियाणा को अपना अलग से हाई कोर्ट दिया जाए, यह बहुत विचार करने के बाद रखा गया है। पहले भी जब यह प्रस्ताव 2002 में सदन में आया था उस समय मैं विपक्ष का नेता था और सत्ता पक्ष यह प्रस्ताव लेकर आई थी, बिना किसी नुक्ताचीनी के हमने खूब दिल खोलकर उस प्रस्ताव का समर्थन किया था और हमें उम्मीद थी कि इस बार ये जो प्रस्ताव लेकर आए हैं इसको अमलीजामा पहनाने का प्रयास करेंगे। कई सालों के शासन के बाद एक प्रस्ताव रखने के अलावा कोई कार्यवाही उस समय सत्ता पक्ष ने नहीं की। खैर समय बदला और अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, केन्द्र में भी आज कांग्रेस की सत्ता है। उस समय नई लोकसभा का गठन हुआ था, आज विधान सभा भी नयी चुनकर आई है। आज हमने महसूस किया है कि फिर से एक प्रस्ताव रखा जाए। मेरे विपक्ष के सम्मानित साथियों ने जो उस समय प्रस्ताव रखा था उस पर चर्चा करते हुये कहा कि उस प्रस्ताव की लैंग्वेज में और इस प्रस्ताव की लैंग्वेज में अन्तर है। इस पर चण्डीगढ़ पर हमारा अधिकार कमजोर पड़ता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो प्रस्ताव उस वक्त लेकर आए थे हालांकि हमने उसका पूरा समर्थन किया था। अगर हम चाहते तो उस समय हम भी कई प्रश्न चिन्ह लगा सकते थे, नुक्ताचीनी कर सकते थे लेकिन हम समझते थे और नीयत से यह चाहते थे कि हरियाणा का हाई कोर्ट अलग बनना चाहिए इसलिए हमने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इनकी क्या नीयत है इस बात पर मैं संदेह नहीं करूंगा लेकिन इनकी क्या नीति है इस बात पर जरूर चर्चा करूंगा। इन्दौरा जी कह रहे थे और जैसा कि चौ० बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि कई वर्षों तक कभी एस.वाई.एल. की चर्चा, कभी चण्डीगढ़ की बात और आज हाई कोर्ट की बात आई है। कई साथियों ने ये कहा कि उस समय उस प्रस्ताव में ज्युरिस्डिक्शन के बारे में लिखा हुआ था। अगर आज कोई ज्यूरिस्डिक्शन का सवाल उठाता है, चण्डीगढ़ पर चर्चा करता है तो मैं भी वकील हूँ इसलिए कहता हूँ कि यह बात तो केवल डिले करने के लिए कही जा रही है। आज आपके सामने जो सवाल है वह यह है कि आपको अपना अलग से हाई कोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, इस सवाल का जवाब हां या नहीं में

देना है। इसका ज्युरिस्डिक्शन क्या होगा यह पार्लियामैंट ने देखना है। इस बारे में चौधरी कर्ण सिंह दलाल जी भी कुछ पढ़ रहे थे कि इस बारे में संविधान में क्या प्रावधान है। पार्लियामैंट ने कौन सी यूनियन टैरिटरी का किस हाई कोर्ट के साथ ज्युरिस्डिक्शन बनाना है यह काम पार्लियामैंट का है लेकिन अगर प्रदेश को प्रगति करनी है तो खुलेपन से हमें स्टेट के हितों को ध्यान में रखना होगा। हाई कोर्ट में कार्यरत जजों तथा स्टाफ के बारे में सारे साथियों ने चर्चा की यह सारी बात ठीक है और फैक्चुअल पोजीशन और फैक्ट्स भी यही हैं कि आज 29 में से हरियाणा के कितने जजिज हैं, कितने इम्पलाईज हैं यह आंकड़े और तथ्य सही हैं। इसके साथ ही मैं यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से यह भी कहना चाहता हूँ कि यह केवल एक वर्ग के हित की ही बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वकील हूँ और मैंने खुद उस किसान और गरीब आदमी की पीड़ा को देखा है जो यहां हाई कोर्ट में चक्कर काटता है जहां पर बहुत मंहगे दाम पर भी वकील नहीं मिलते हैं। यह सारी स्थिति इसलिए है क्योंकि हमारा अलग से हाई कोर्ट नहीं है और उस किसान और गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता है। आज हाई कोर्ट का जो प्रस्ताव हम लेकर आए हैं केवल इस वास्ते लेकर आए हैं कि जो गरीब आदमी है, जो किसान और मजदूर है उसको समय पर न्याय मिले और उसको विश्वास हो कि हमारे अपने प्रदेश का हाई कोर्ट है और मुझे समय पर न्याय मिलेगा इसके लिए वकील भी ज्यादा फीस नहीं लेंगे, यही सोचकर हम यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। इसमें ज्युरिस्डिक्शन का कोई सवाल नहीं है सवाल सिर्फ यह है कि अगर आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट अलग बने तो एक हो कर आवाज देनी पड़ेगी। जिस तरह से एस.वाई.एल. का मामला उलझाया गया सब को मालूम है। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने बिल्कुल सही बात कही है और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने भी इस बात का समर्थन किया है और मैं भी उन व्यक्तियों में से हूँ जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में आवाज उठाई थी। आज हरियाणा बने इतने वर्ष हो गए हैं लेकिन एस.वाई.एल. का फैसला भी हुआ और केन्द्र सरकार ने 700 करोड़ रुपये इस पर लगाए और इस नहर की काफी खुदाई भी हुई लेकिन आज तक उसका काम कम्पलीट नहीं हुआ। इसमें विलम्ब क्यों हुआ, इस विलम्ब का कारण क्या है और इस विलम्ब के लिए ज़िम्मेदार और दोषी कौन है। इस विलम्ब में पूरे रूप से हमारे विपक्ष के साथी दोषी हैं। उस समय शायद इनकी पार्टी का नाम लोक दल था और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर एस.वाई.एल. के बारे में हरियाणा के हित में उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का विरोध किया था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा हुआ है कि उनका हरियाणा के हित में फैसला करने का जो कारण, तथ्य और आधार है वह इन्दिरा गान्धी अवार्ड और राजीव लौंगोवाल समझौता है। इस समझौते तथा अवार्ड का विरोध उस समय जो इनकी पार्टी थी पता नहीं उस समय उसका क्या नाम था वह मुझे याद नहीं क्योंकि ये लोग हर बार अपनी पार्टी का नाम बदलते रहे हैं। उस समय उस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी देवी लाल जी थे और उन्होंने राजीव लौंगोवाल समझौते का विरोध किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ थी और डॉक्टर मंगल सैन तथा चौधरी देवी लाल ने उस समझौते के खिलाफ अपनी सीटों से इस्तीफे दिए थे। बहुत सारे बेकसूर लोगों की जानें भी गई थीं। अध्यक्ष महोदय, उसका नतीजा क्या हुआ आज तक एस.वाई.एल. का मामला सिरे नहीं चढ़ा। कांग्रेस पार्टी के बारे में ये लोग बात करते हैं जबकि एस.वाई.एल. के बारे में आज तक जो भी फैसला किया वह कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने ही किया। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने स्वयं अपने हाथों में कस्सी लेकर कपूरी में नहर के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था। मैं स्वयं भी उस समय वहां पर हाजिर था। राजीव गांधी जी ने सन्त लौंगोवाल के साथ समझौता किया था तथा उसको सैंटरली प्रोजैक्ट किया। अब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

का फैसला आने के बाद यहां पर इनकी पार्टी की सरकार थी और केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की एन.डी.ए. की सरकार थी लेकिन दो साल तक वह फैसला ठण्डे बस्ते में रहा और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। लोकसभा के इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी के नौ सांसद बने। वे लोग उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले तथा श्रीमती सोनिया गांधी जी से भी मिले। उस समय मैं भी सांसद था और उस समय केन्द्र सरकार ने फैसला किया था कि एस.वाई.एल. का जो पोर्शन बकाया है उसका काम पंजाब से न करवाया जाए। यह काम सी.पी.डब्ल्यू. को हैंड ओवर करने का फैसला किया गया था लेकिन ये लोग तो इतना काम भी नहीं कर सके थे। उसके बाद भी जिस चीज की चर्चा की गई, अमरेन्द्र सिंह, प्रकाश सिंह बादल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर पंजाब असैम्बली में एक गैर कानूनी बात पास की कि पानी के समझौते को बर्खास्त किया जाए। हालांकि इस प्रकार की बात ये लोग असैम्बली में पास नहीं कर सकते थे लेकिन उन्होंने यह किया। उसके विरोध में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले और राष्ट्रपति जी ने स्वयं रैफरैंस के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा हुआ है। राष्ट्रपति जी से भी हमें यह पूरी उम्मीद है कि यह फैसला हरियाणा के हित में होगा। इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन जो विलम्ब हुआ है उसके लिए ये लोग पूर्ण रूप से दोषी हैं। इन्होंने आज भी जो प्रश्न चिन्ह उठाया है यह भी केवल डिले करने वाली बात है क्योंकि इस मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है। एस.वाई.एल. का मायना क्या है एस.वाई.एल. से क्या लाभ होने वाला है इससे इन लोगों ने कुछ भी लेना-देना नहीं है। जो रावी व्यास का पानी है उसमें से बहुत सारा पानी आज भी हमारे पास आ रहा है। जो पानी आना है वह पानी कहां जाना है ? वह पानी दक्षिणी हरियाणा में जाना है। आज हमने एक नहर मंजूर की है जो भाखड़ा मेन लाईन से हाँसी ब्रांच में मिलेगी। यह नहर हरियाणा के कोने-कोने तक पानी लेकर जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इस नहर के विरोध में कभी तो प्रो० सम्पत सिंह और कभी लोकदल के सांसद अजय सिंह चौटाला ब्यान दे रहे हैं। इनके इस तरह के ब्यान इनकी नीयत के बारे में बताते हैं। इन्होंने ही एस.वाई.एल. के काम में विलम्ब किया है। सरकार ने जो नहरी पानी का समान बंटवारा किया है उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं कि इस नई लिंक कैनाल में कौन सा पानी आएगा ? मैं इनको कहना चाहता हूँ कि इस नहर में भी वही पानी आएगा जो एस.वाई.एल. कैनाल में आएगा। ये लोग अपने निजी विकास के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। इन लोगों को हरियाणा के विकास के बारे में सोचने का बहुत मौका मिला था। अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। अगर वे चाहते तो उस समय हरियाणा का अलग होई कोर्ट वे बना सकते थे क्योंकि केन्द्र की सरकार उनके हाथ में थी और हरियाणा में भी उस समय उनकी अपनी सरकार थी। अध्यक्ष महोदय, जब आज हम हाई कोर्ट को अलग बनाने के बारे में इनका सहयोग मांग रहे हैं तो ये लोग ज्यूरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं। ये भाई आज ज्यूरिस्डिक्शन की बात उठा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इनकी नीयत क्लीयर नहीं है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि यह सैपरेट हाई कोर्ट चाहते हैं या नहीं। ये हाँ या न कहें। आज हमारे और पंजाब के तीन मुद्दे हैं। हमें इनके बारे में सोचना पड़ेगा। एक मुद्दा पानी का है, दूसरा मुद्दा राजधानी का है और तीसरा मुद्दा टैरीटरीज का है। मैं, चौधरी बीरेन्द्र सिंह और चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला पहले वे व्यक्ति थे जो लोगों के पास यह मुद्दा लेकर गए थे। रोहतक में एक लाख से ज्यादा लोगों की हमने पब्लिक मीटिंग की थी। वहां पर पब्लिक में हमने यह बात रखी थी कि अगर आपने हरियाणा के इन मुद्दों का निपटारा करना है तो इन सभी मुद्दों को डि-लिंक करना पड़ेगा, अलग-अलग करना पड़ेगा। जो लोग इन सभी मुद्दों को इकट्ठा करने की बात करते हैं और वे इन मुद्दों का कभी फैसला नहीं होने देंगे। हमने डि-लिंक करने के बारे में एक बात

कही थी कि हरियाणा में हम सबसे पहली प्राथमिकता पानी को देंगे। आज भी मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कहता हूं कि हरियाणा के हिस्से के पानी का फैसला हम पहले करवाएंगे और दूसरे मुद्दों का निपटारा हम बाद में बैठकर कर सकते हैं। इसमें हमें सब साथियों का सहयोग चाहिए। हमें अपनी सुविधा की राजनीति से और वोट की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज ये कहां पर खड़े हैं ? लोगों ने इनको पहचान लिया है। इन्दौरा जी हमारे साथ सांसद रहे हैं। जब ये पहले दिन विधायक बनकर आए थे तो मैंने इनका स्वागत किया था और मैंने इनको कहा था कि सदन में अब तक जिस तरह की व्यवस्था बनी हुई है, जिस तरह का ट्रैंड बना हुआ है और जो यहां पर पहले गला घोटने का कार्य होता था उस माहौल को हमें बदलना है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं यहां पर विपक्ष में रहते हुए विपक्ष का नेता था तो हमने उस समय ये सारी बातें देखी थी। मैंने इन्दौरा जी से कहा था कि हम उन पुरानी परम्पराओं को बदलेंगे और अच्छी परम्पराएं डालेंगे। मैंने सोचा था कि ये पार्लियामैंट से कुछ सीखकर आयें हैं लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी कोई मंत्री, पार्लियामैंट अफेयर्ज मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़ा होता है तो इन्दौरा जी सीट पर खड़े हो जाते हैं चाहे अध्यक्ष महोदय भी अपनी सीट पर खड़े हों (विघ्न) अब भी आपकी इजाजत के बिना बोल रहें हैं। इन्दौरा जी, जीतकर आए हो तो कुछ सीखो। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिए।

Mr. Speaker : Mr. Indora, please take your seat. (Interuptions) Please take your seat.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ये और हम संसद में पुराने साथी रहे हैं वहां पर इनका व्यवहार बहुत अच्छा था इसलिए इनसे यह तवक्को की जाती है कि ये यहां पर भी अच्छा व्यवहार करेंगे। स्पीकर सर, पार्लियामैंट में तो इनका बहुत ही अच्छा व्यवहार था लेकिन यहां पता नहीं इन पर किसका असर पड़ रहा है। किसकी सीख पड़ी है जो ये बार-बार बीच में ही बोले जा रहे हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Indora, please take your seat. (Interruptions) Indora ji, this is not the way. (Interruptions) Let the speech be over.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

Mr. Speaker : Mr. Indora, please take your seat. (Interruptions) Nothing to be recorded.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, आज इतना अहम मुद्दा प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए सदन में रखा गया है लेकिन जब पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर नॉन ऑफिशिएल-डे को ऑफिशिएल-डे में कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे उस वक्त भी ये बिना इजाजत लिए बोलने के लिए खड़े हो गये थे और उस पर भी ये ऐतराज करने लग गये थे जबकि ये खुद ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आए, कोई बिल लेकर नहीं आए। स्पीकर सर, हमने पिछले सत्र में भी सभी को बोलने की छूट दे दी थी और सबको खूब बोलने का मौका दिया था और आज भी कह रहे हैं कि सभी बोलें क्योंकि हमें पुरानी प्रथा बदलने की जरूरत है। पिछली बार इन्दौरा जी की पार्टी की सरकार यहां पर थी और उस समय मैं विपक्ष का नेता होता था, उस समय हमारे बहुत से साथी जो हमारे साथ अपोजिशन में बैठा करते थे उनको बोलने नहीं दिया जाता था। जब हम किसी मामले पर बोलते थे तो हमारे को मार्शलों

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
के द्वारा उठाकर बाहर करवा देते थे लेकिन अब यह काम हमारे को दूसरे तरीके से करना पड़ रहा है। अब जो नहीं बोलने वाले सदस्य हाउस से बाहर चले जाते हैं तो उनको बुलाने के लिए हमें मार्शलों को बाहर रखना पड़ेगा और हाऊस के सदस्यों को अंदर बुलवाना पड़ेगा। अगर हाऊस चलाना हो तो हमें उल्टा काम करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इनके पास कोई मसौदा नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इनको मुद्दों पर बोलना चाहिए और अगर सरकार में कोई कमी नजर आए तो उसके बारे में विधानसभा में कहना चाहिए। हम इसका स्वागत करेंगे और मैं उसको सुधारक के रूप में लूँगा। अगर इन्होंने केवल विपक्ष के रूप में खड़ा ही होना है तो हमें प्रथा बदलनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, अब तो इनका विपक्ष के नेता का भी स्टेट्स नहीं है जबकि हमारा तो विपक्ष के नेता का स्टेट्स रहा है लेकिन फिर भी हमारे को उस समय बोलने नहीं दिया जाता था। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, आप हमारी बात सुनिए।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, कृपया फैक्चुअल बात को आप डाईजैस्ट करें। आपको पेशंस रखना चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, इनके नेता पिछले सत्र में नहीं आए और न ही वे इस सत्र में आए। वे पब्लिक मीटिंग को ऐड्रैस करने सांपला तो पहुँच गए लेकिन यहां पर नहीं आए। यहां पर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे आज अलग हाई कोर्ट बनाने का मुद्दा है। आज मैं उम्मीद कर रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जरूर विधान सभा में आएंगे और उनके तजुर्बे का लाभ हम भी उठाएंगे लेकिन वे इसके लिए भी तैयार नहीं हैं। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है। Let the C.M. proceed. (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने बहुत गंभीर मुद्दे हैं। आज जो यह अलग हाई कोर्ट करने का प्रस्ताव हाउस में लेकर आए हैं तो जैसा बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि यह तो एक पहल है। जो हमारे उलझे हुए मुद्दे हैं उनके लिए यह एक पहल है, शुरुआत है। हाई कोर्ट अलग होगा तो हमारा सांस्कृतिक विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, किसी प्रदेश का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक उसका अलग हाई कोर्ट न हो, अलग राजधानी न हो। हमारे संविधान के निर्माताओं ने क्यों यह प्रावधान किया है कि हर प्रदेश की अपनी अलग राजधानी होगी, अलग हाई कोर्ट होगा क्योंकि वे यह चाहते थे कि हर इलाके की, हर प्रदेश की संस्कृति का विकास हो, समाज का विकास हो और प्रदेश का विकास हो और यह तभी संभव हो सकता है जब उसकी सैल्फ रिसपैक्ट हो। अध्यक्ष महोदय, जैसा शादी लाल बत्तरा जी ने कहा कि यह हमारे स्वाभिमान की बात है। इसलिए कृपा करके मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि इस किस्म के सवाल मत उठाईये जिससे यह मामला और उलझ जाए। अगर इनकी नीयत ठीक है तो इनको हमारा साथ देना चाहिए, हम नकली बात नहीं करते इसलिए इनको हमारा साथ देना चाहिए। यह ठीक है कि इस तरह की आज कोई बात नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस बारे में पूरा प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जो सोच लेता है वह करके दिखा देता है।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sence of the House that the time of the House be extended for 15 minutes ?

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : The time for the House is extended for 15 minutes.

सरकारी संकल्प - (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, यह सहयोग की बात है। हमने तो एस.वाई.एल. के बारे में भी बार-बार कहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बातें ही रहीं। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हम खुले दिल से इनके साथ हैं लेकिन ये अलग हाई कोर्ट बनाकर तो दिखाएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात ये पहले ही कह देते तो इतनी चर्चा की जरूरत ही नहीं थी। मैं कह देता कि उसी वक्त इस प्रस्ताव को पास कर दो। बनता तो यह था कि जिस समय यह प्रस्ताव आया था उसी समय यह कहते कि हम आपके साथ हैं लेकिन कभी तो इन्होंने कहा कि इसकी लैंग्वेज में फर्क है कभी कहा कि आज तो नोन ओफिशिएल-डे है। सरकार जो यह प्रस्ताव लेकर आज हाउस में आई है इनको इसकी महत्ता को समझना चाहिए। (विघ्न) इनकी बहुत मेहरबानी, फिर तो इस पर कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं थी। हम इस मामले में जो भी फैसला करेंगे उसमें इनको हमारा साथ देना चाहिए ताकि हरियाणा का हित हो और इस प्रदेश के गरीब से गरीब आदमी को समय पर न्याय मिले। अध्यक्ष महोदय, यही हमारी प्राथमिकता भी है। इन शब्दों के साथ मुझे पूरा भरोसा है और मेरा सभी सदस्यों से निवेदन भी है कि सारे सदस्य एक साथ एक स्वर में पूरे जोश से इस प्रस्ताव का समर्थन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is --

"That whereas the framers of the Constitution of India were candid of the issue that there should be a separate High court for each of the States of Indian Union and for this specific reason they incorporated an article 214 in Chapter V of the Constitution that there shall be a High Court for each State. The spirit and object of article 214 of the Constitution has been meticulously and consistently followed inasmuch as a separate High Court has been established invariably for each State.

2. And whereas the State of Haryana came into existence with effect from Ist November, 1966, by virtue of the provisions as contained in section 3 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966). Apparently, on account of certain unresolved territorial disputes between the State of Punjab and Haryana, Parliament, in its wisdom, enacted section 29 in Part IV of the Punjab Reorganization Act, 1966, whereby it established a common High Court for the State of Punjab, Haryana and Union Territory of Chandigarh. Even after, a long period of thirty-nine years has passed, there continues to be a common High Court States like Himachal Pradesh and newly created State like Jharkhand, Chhattisgarh and Uttranchal which came into existence much later

[Mr. Speaker]

than Haryana, are having their own separate High Courts from the very day of their inception. Presently, except the seven eastern States falling under the jurisdiction of Guwahati High Court, there is no State in the country which is not having its own separate High Court.

3. And whereas during this long period, the interests of the State of Haryana have suffered manifold due to the common High Court. It is a matter of fact that Haryana has never been able to get its proportionate representation on the Bench as per the ratio of 60 : 40 between Punjab and Haryana. Even at present there are only eight Judges from Haryana out of twenty-nine Judges in position against the total sanctioned strength of 53. Similar is the case with the insufficient/under representation of the State of Haryana in the Bar. Had there been a separate High Court, the disposal of the cases would have been much faster judicial system would have been further strengthened in the State.

4. And whereas the matter is taken up under section 41 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act 31 of 1966), which is reproduced as under-

> **"41. Savings. – Nothing in this Part shall effect the application to the common High Court of any provisions of the Constitution, and this Part shall have effect subject to any provision that may be made on or after the appointed day with respect to that High Court by any Legislature or other authority having power to make such provision."**

5. And whereas on 14th March, 2002, Haryana Vidhan Sabha adopted a resolution for the bifurcation of Punjab and Haryana High Court and creation of a separate High Court for the State of Haryana since the new Lok Sabha has come into existence with effect from 17th May, 2004, it is apt to take up the matter afresh with the new Parliament.

6. And whereas in pursuance of the above said objective the Haryana Cabinet took up the matter in its meeting dated 23-11-2005 and resolved as under :-

> **"It was approved that a resolution be moved in the Assembly to request the parliament to take up the amendment Bill and to pass the same thereby providing for a establishment of a High Court for the State of Haryana."**

7. Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in section 41 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act, 31 of 1966) and article 214 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolve that the Government of India may move an appropriate bill for carrying out suitable amendment in the said Act and provisions of the Constitution. The House also earnestly urges the Parliament to take up an appropriate bill to carryout suitable amendment in part-IV of the Punjab Reorganization Act, 1966 (Central Act, 31 of 1966) that is from sections 29 to 41 of the Act and provide for a separate High Court for the State of Haryana to be located at Chandigarh which is the Capital of the State of Haryana."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 2.00 P.M. on Monday the 19th December, 2005.

*13.36 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 19th December, 2005.

40817—H.V.S.—H.G.P., Chd.